असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

31 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा **31 मार्च, 2017 ई०**

पंचम सत्र **शुक्रवार, तिथि 10 चैत्र, 1939 (शक)**

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के मंत्री श्री विजय प्रकाश कहां गये थे.....

अध्यक्ष : अब प्रश्न चलने दीजिए न। अब ये सब बातें तो बहुत दूर तक मीडिया में आ चुकी हैं। नेता महोदय, अब ये सब बातें तो मीडिया के लिए भी पुरानी हो गयी है। अब अल्प-सूचित प्रश्न ।

डा0 रंजु गीता : महोदय, हमलोगों को विधान मंडल में सुरक्षित करने के लिए कुछ किया जाय।

अध्यक्ष : आप को पूर्ण सुरक्षा दी जायेगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, हमें आपको एक सूचना देनी है कि सरकार ने विधिवत् सूचना दी है जैसा कि पिछले दिनों

(व्यवधान)

चलिए अब स्थान ग्रहण कर लीजिए न, रंजु गीता जी, हो गयी बात, स्थान ग्रहण कर लीजिए । सदन में चर्चा हुई थी विद्युत टैरिफ के संबंध में उस संबंध में सरकार ने सूचित किया है कि आज प्रश्नकाल के बाद माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस संबंध में वक्तव्य देंगे।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : मैं महोदय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर साइकिल से चलकर आया था इसीलिए काफी पसीने-पसीने हो गया हूँ। हम आग्रह करेंगे सरकार से भी.....

प्रश्नोत्तर काल

अल्प-सूचित प्रश्न

अल्पसूचित प्रश्न सं0-30(श्री संजय सरावगी)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है।

2- जॉच हेतु लिये गये दवाइयों में से निम्न स्तरीय पाये जाने वाले उन दवाइयों की बिक्री, वितरण एवं व्यवहार पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में सरकार द्वारा निम्न स्तरीय पायी गयी 37 दवाओं पर रोक लगायी गयी है। उपरोक्त दवा कंपनियों के संबंध में नियम के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ बायोलोजिकल जो भारत सरकार का बहुत प्रतिष्ठित और ये सर्वे किये उसमें बिहार के भी 42 दवा इन्सपेक्टर उस सर्वे में थे और अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां आपको बताऊं मल्टी नेशनल फाइजर लि0 का 56 प्रतिशत सैंपल फेल कर गया, सन फार्मा का फेल कर गया, एक्मेडायर का फेल कर गया, लेबरेट फार्मास्युटिकल एक प्रसिद्ध कंपनी है, जी0 लेबोरेट्रीज.....

अध्यक्ष : आप पूरक भी पूछिए।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी कंपनियों का सैंपल फेल हो गया और फरवरी के प्रथम सप्ताह में यह रिपोर्ट आया, ऑनलाइन रिपोर्ट हो गया- मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रिपोर्ट आने के तुरंत बाद इस रिपोर्ट के आधार पर ड्रग कंट्रोलर बिहार को जो जो सेंपल फेल हुआ है या निगेटिव आया है या नन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आया है तो इनपर रोक तुरंत लगा देनी चाहिए थी, उस बैच को तुरंत रोक देना चाहिए था, सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं यह जानना चाहता हूँ सरकार से कि ये जो 40 कंपनियों का सेंपल फेल हुआ प्रथम सप्ताह फरवरी में.....

अध्यक्ष : वह तीन बार आप बोल चुके हैं।

श्री संजय सरावगी : किन-किन कंपनियों पर अभी तक इन्होंने कार्रवाई की और इन कंपनियों में से किन-किन दवाइयों पर रोक लगायी है, दो महीना बीत गया यह मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा है कि रोक लगायी गयी है।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, भेग उत्तर दिया है कि रोक लगायी है 37 दवाइयों पर- जो ऑनलाइन सर्वे में ये 40 कंपनियाँ आई है। इन 40 कंपनियों में किन-किन दवा कंपनी पर रोक लगाया है माननीय मंत्री जी ने मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं है, इसकी सूचना प्राप्त होगी तो इनको भेजवा दिया जायेगा।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपनियों के नाम की सूची मैंने क्वेश्चन में दिया और जो पेपर कटिंग लगाया उसमें था, ऑनलाइन ये बहुत इम्पोटेंट चीज है तो जैसे ही भारत सरकार ऑनलाइन करती है सर्वे को तुरंत सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग उस सर्वे पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर देते हैं और बहुत सी राज्य सरकारों ने किया है। माननीय मंत्री जी का इतना असंवेदनशील विभाग है कि दो महीना बीत गया और माननीय मंत्री जी को कंपनियों का नहीं पता है। अध्यक्ष महोदय, इसपर माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए क्वेश्चन है, अगर तैयार नहीं हैं तो एक घंटे के बाद जवाब दें, आधे घंटे के बाद जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, जीवन की बात है।

अध्यक्ष : संजय जी, आपने सरकार का जवाब सुन लिया कि अभी सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री संजय सरावगी : तो सरकार तैयार होकर नहीं आयी है।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि सूची प्राप्त कर आपको उपलब्ध करा देंगे। अब आप अभी क्या चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : हम चाहते हैं महोदय कि अल्पसूचित का महत्वपूर्ण प्रश्न विधान सभा में आया और सरकार यह बताने की स्थित में नहीं है कि किन-किन कंपनियों के दवा पर रोक लगायी गयी।

अध्यक्ष : क्यों रिपीट कर रहे हैं ? सरकार ने खुद कहा कि अभी सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। महोदय, कितने दिनों के अंदर इन सारी कंपनियों की समीक्षा करके सरकार इसपर कार्रवाई करेगी ?

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, एक माह में कार्रवाई करवा दी जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब प्रश्न सं0-31, श्री जिवेश कुमार, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप दे दीजिएगा, आप वह कागजात उपलब्ध करा दीजिएगा। अब अपना प्रश्न पूछिए।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-31(श्री जिवेश कुमार)</u>

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : 1-आंशिक स्वीकारात्मक है। पी0एम0सी0एच0 पटना में कुल 78 डायलिसिस मशीन है जिसमें से 8 मशीन कार्यरत है और 2 मशीन हेपेटाइटिस बी0 एवं एड्स रोगियों के लिए अलग रखा गया है।

2- स्वीकारात्मक नहीं है। पी0एम0सी0एच0 में आनेवाले किडनी के सभी मरीजों को कार्यरत मशीन द्वारा डायलिसिस किया जा रहा है। वर्ष 2016 में 2407 मरीजों का डायलिसिस किया गया है। डायलिसिस के अभाव में किसी मरीज के मौत की शिकायत नहीं है।

3- खराब डायलिसिस मशीनों को तुरंत ठीक कराने के लिए अधीक्षक को आवश्यक निदेश दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता के आलोक में नयी मशीनों का भी क्रय किया जायेगा।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, पिछले 6 महीने से खराब पड़े मशीन को ठीक करने वाली कंपनी जिसको काम दिया गया है उसको भुगतान नहीं हुआ है और भुगतान नहीं होने के कारण मशीन ठीक नहीं हुआ है। माननीय मंत्री ने कहा कि 78 मशीन है तो मैं माफी चाहता हूँ 11 मशीन है पी0एम0सी0एच0 के पास जिसमें से 4 मशीन केवल कार्यरत है। 11 में से केवल 4 मशीन कार्यरत है तो सभी लोगों का समय पर डायलिसिस कैसे हो गया, ये जवाब दें मंत्री जी कि 4 ही मशीन काम कर रहा है तो सभी डायलिसिस समय पर कैसे हो गया और पी0एम0सी0एच0 के अंदर डायलिसिस वालों की लंबी लाइन है इससे कई मौत हो चुकी है तो मंत्री जी जवाब दें कि 11 में से 4 मशीन काम कर रहा है तो डायलिसिस सबका कैसे हो गया ?

अध्यक्ष : आप जो भी पूरक पूछियेगा उसका माननीय मंत्री जी जवाब देते ही हैं लेकिन मंत्री जी जवाब दें, मंत्री जी जवाब दें, क्यों बोलते हैं ? पूरक होता ही है जवाब देने के लिए। आपका पूरक क्या है ?

श्री जिवेश कुमार : पूरक यही है महोदय कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 78 मशीन और 11 मशीन है वहां जिसमें से मात्र 4 काम कर रहा है तो केवल 4 ही मशीन काम कर रहा है तो सभी लोगों का डायलिसिस कैसे हो गया ?

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, 8 कार्यरत है और जो खराब है शीघ्र ही उसको बनवा दिया जायेगा।

अध्यक्ष : 8 कार्यरत है।

श्री जिवेश कुमार : नहीं महोदय, 4.....

अध्यक्ष : अगर आपके हिसाब से 4 ही कार्यरत है और मंत्री जी कह रहे हैं 8 कार्यरत है तो उसको मंत्री जी देखवा लेंगे।

श्री जिवेश कुमार : ठीक है।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-32(श्री जिवेश कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : 1-स्वीकारात्मक नहीं है। पी0एम0सी0एच0 पटना में ओ0पी0डी0 के लिए 33 एवं आइ0पी0डी0 के लिए 112 प्रकार की दवाइयॉं उपलब्ध हैं ।

2-स्वीकारात्मक है। बी0एम0एस0आइ0सी0एल0 द्वारा ओ0पी0डी0 के लिए 14 दवा उपलब्ध करायी जा रही है और अगले महीने से 95 दवा उपलब्ध करा दी जायेगी। जब तक निगम द्वारा दवा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक अधीक्षक को स्थानीय स्तर पर दवा क्रय कर उपलब्ध कराने का निदेश पूर्व से ही दिया गया है।

टर्न-2/अशोक/31.03.2017

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने स्वयं कबूला कि 38 दवा उपलब्ध है, राज्य का सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थिति यह है कि 112 में 38 दवा उपलब्ध हैं, मैं उन्हीं की बात मान लेता हूँ आपके माध्यम से कि 112 में से 38 दवा उपलब्ध है तो राज्य के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का यह हाल है तो बाकियों का क्या होगा, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए ।

अध्यक्ष : बाकी के बारे में तो आपने पूछा नहीं है ।

श्री जिवेश कुमार : जी महोदय, बाकी स्वयं कबूला कि ओ.पी.डी. में 112 में से केवल 12 दवायें उपलब्ध हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जिवेश कुमार : पूरक ही पूछ रहा हूँ, माननीय मंत्री जी का पहले भी इस संबंध में आश्वासन मिला है कि जल्द सारी दवाओं का क्रय कर लिया जायेगा, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ओ.पी.डी. में मिलने वाली सभी आवश्यक दवायें कितने दिनों में मरीज को मिलना प्रारम्भ हो जायेगा, समय सीमा निर्धारित करें इसकी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, मंत्री जी ।

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, ओ.पी.डी. के लिए 112 प्रकार की दवायें उपलब्ध हैं ।

श्री जिवेश कुमार : अभी तो बोले कि 12 उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : बाकी उपलब्ध करा देंगे, इन्होंने पहले भी कहा है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-33(श्री शत्रुधन तिवारी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एन.बी.पी.डी.सी.एल. एवं एस.बी.पी.डी.सी.एल. के अन्तर्गत आर0- ए. पी.डी.आर.पी. योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में SAP आधारित साफ्टवेयर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में NIC आधारित सॉफ्टवेयर पर विपत्रीकरण किया जा रहा है । शहरी क्षेत्रों में प्राईवेट कम्पनी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी द्वारा मोबाईल एप से कंपनी के सॉफ्टवेयर पर मीटर रीडिंग अंकित कर ब्लूटूथ प्रिंटर से विपत्र निर्गत कर उपभोक्ता परिसर में ही विपत्र सुर्पुद किया जाता हैं, उनके द्वारा कोई गणना नहीं की जाती है । मात्र मीटर रीडिंग ईमेज के साथ अंकित कर विपत्र निर्गत किया जाता है ।

त्रुटिपूर्ण विपत्र के सुधार के लिए प्रत्येक जिले में प्रमण्डल स्तर पर राजस्व पदाधिकारी एवं अवर प्रमयडल स्तर पर कनीय विद्युत अभियंता(राजस्व) पदस्थापित किए गए हैं, जिने द्वारा प्रति दिन क्षेत्रीय कार्यालयों में विद्युत विपत्र से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाता है । प्रत्येक माह में विपत्र सुधार हेतु अवर प्रमण्डल स्तर पर कैम्प का भी आयोजन किया जाता है । साथ ही उपभोक्ता मुख्यालय स्तर पर जन शिकायत कोषांग के दूरभाष संख्या 1912 पर शिकायत दर्ज कराया जाता है, जिसके त्वरित निष्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण किया जाता है ।

2 एवं 3- अस्वीकारात्मक । उत्तर -1 में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

श्री शत्रुधन तिवारी : महोदय, यह गरीबों की सरकार है । जो अमीर लोग को बढ़ा चढ़ा कर आता है, वह जाकर डराता धमकाता है, कुछ बोलता है तो उनका सुधर जाता है लेकिन जो गरीब गुरूबा हैं, दलित बस्ती का हैं, उनलोगों को जो बढ़ा चढ़ाकर आता हैं तो वह वहां जाता नहीं हैं वह हमारे दरवाजे पर आता है, हम गरीब के झोपड़ी तक जाते हैं उसके बोड़ा और चटाई पर बैठते हैं, वे लोग कलपते हैं, इसलिय हम प्रश्न किये हैं, एक गोसाखाप में दो महीना हो गया वहां ट्रांसफारमर जल गया है,...

अध्यक्ष : इसके लिए आपका पूरक क्या है ?

श्री शत्रुधन तिवारी : पूरक यही है कि बढ़ा चढ़ा कर बिल आ रहा है।

अध्यक्ष : उसका सुधार होना चाहिए ?

श्री शत्रुधन तिवारी : उसका और दलित बस्ती में दो महीना पहले ट्रांसफारमर जल गया है तो सी.एस. बोल रहे हैं कम्पनी के द्वारा होगा और अभी तक वह नहीं लगा है । पेपर में देखें थे कि 72 घंटा के अन्दर लग जायेगा अभी तक नहीं लग रहा है ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर जब से निजी बिजली कम्पनियों के द्वारा सप्लाई का जो काम किया जा रहा है अक्सर देखा जा रहा है, राज्य के दौरे पर हम देख रहे हैं कि शिकायत लोगों की बड़े पैमाने पर आ रही है कि बिजली का विपत्र अधिक आ रहा है और लोगों का कहना है कि पहले जब मीटर होता था, मैनुअल होता था अभी एलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया जा रहा है जब कि लगभग लाखों ऐसे उपभोक्ता हैं जहां मीटर लगा नहीं है लेकिन महोदय अभी बिजली का बिल जो अभी आ रहा है, निजी कम्पनियों के माध्यम से काफी शिकायत हैं, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जब शिकायतें आ रही हैं कंज्यूमर्स का, उनके समाधान के लिए लोग चक्कर लगाते है बिजली विभाग के कार्यालय का, कोई बेहतर व्यवस्था बनाने का सरकार विचार करे ताकि आने वाले समय में शिकायतें जो आ रही हैं और हमारा मानना हैं आरोप हैं जिन निजी कम्पनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर विपत्र में हेरा फेरी की जा रहीं, लोगों के साथ बारगेनिंग किया जा रहा है और बारगेनिंग में पैसे की वसूली की जा रही हैं, हम आग्रह करें सरकार से, मत्री महोदय से जो हालात पैदा हुये हैं निजी कम्पनियों के आने से उससे निबटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है ?

श्री संजय सरावगी : महोदय....

अध्यक्ष : पूछना है तो पूछ ही लीजिये, सरकार एक साथ जवाब दे देगी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : पारा-पारी न । वन बाई वन न !

अध्यक्ष : एक साथ पूछ लीजिये न, फिर समय समाप्त हो जायगा ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सुधार के लिए बहुत बहुत कार्रवाई की जा रही है, मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन जिलों में कितने शिकायत आये और उस में से कितना का निदान हो गया यह जरा माननीय मंत्री जी बतायें, ये बोल रहे हैं कि हम बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं तो कितनी शिकायतें आई और कितना का निदान हो गया ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : बोलने की बीमारी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मैंने कहा, सुन तो लीजिये (व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मंत्री महोदय का जवाब देने का क्या तरीका है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : तीन माननीय सदस्य एक साथ पूछेंगे ?

अध्यक्ष : ये भी पूरक पूछ रहे हैं, माननीय सदस्य पूरक पूछ रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : तीन माननीय सदस्य एक साथ पूछेंगे ? प्रेम बाबू का सम्मान कीजिये। ये तो क्रांतिकारी आदमी है । अब इनका भी बिल दिखलवावेंगे कि प्रोपर हो रहा है कि नहीं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इनका भी सुन लीजिये ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, एक तो माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करिये कि पीछे की पंक्ति पढ़ें महोदय, ये पंक्ति उन्हीं के लिए लिखा हुआ है । जब भी खड़े होते हैं उस पंक्ति को विस्मरण हो जाता है उनको, पढ़िये उसमें क्या लिखा हुआ इसमें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : क्या लिखा हुआ है ?

श्री नंद किशोर यादव : आप पढ़िये न, हम तो पीछे है, आपके सामने है । पढ़िये उसको ।

महोदय, एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह केवल शिकायत के लहजे में नहीं है, सच्चाई क्या है उसका बयां आपसे करना चाहता हूँ आप जानते हैं दो अप्रील में 26, बेली रोड में चला गया, शिफ्ट हो गया, एक साल हो गया महोदय और मैंने इनके विभाग को लिखा वहां मीटर नहीं था बिजली का, पता नहीं कैसे बिजली बिल पेमेंट होता था, मुझे मालूम नहीं, एभरेज होता था या कैसे बिजली का पेमेंट होता था, वहां मीटर था नहीं, वहां जाने के बाद मैंने पत्र लिखा और मैंने कहा यहां मीटर नहीं है, मीटर लगाया जाय, महोदय, एक साल हो गया और अभी तक मीटर नहीं लगा जब 26, बेली रोड में मीटर नहीं लग सकता है महोदय माननीय विधयाक के यहां कहने के बाद भी और एभरेज बिल आप भेज रहे हैं क्या हाल होगा पूरे पटना शहर का? और बाकी जहां कम्पनियां काम कर रही हैं मैं केवल आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो चूक है, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ महोदय, आपका सिस्टम फेल हो गया, मार्च महीना में हमलोगों को जो मेल से बिल आता था बिल नहीं आया, जो एलेक्ट्रॉनिक बिल भेजने का सिस्टम था आपका वह भी समाप्त हो गया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, कमियां रहती हैं विभाग में, आखिर भाई कर्मचारी काम करता है, व्यक्ति काम करता है, आप कमियों को इमानदारी से स्वीकार करिये ओर बताइये कि कमियों को कबतक दूर करेंगे यह मैं कहना चाहता हूँ ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय मैंने कभी नहीं कहा,(व्यवधान) देख लीजिये,

अध्यक्ष : चलिये मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (व्यवधान)आपके यहां पहले से मीटर लगा हुआ हैं, हम देख चुके हैं। महोदय, कभी भी जो भी सरकार काम कर रही हैं, काम का जो क्रम है

लगातार, स्वभाविक है कई कठिनाइयों और समस्याओं से आगे बढ़ती है, बिजली के मामले में बिहार में प्रारम्भिक काल से ही पहले कंसंट्रेशन था कि अधिक से अधिक घर तक बिजली पहुंचावें, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें यह सही हैं कि स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, टेकनिसियन की कमी है, ग्रेजुअली उसकी बहाली भी हो रही है, घर-घर में एक साल के भीतर मीटर लगाने का प्रयास हो रहा है, यहां स्थिति यह है कि मीटर बाहर से मंगाना पड़ता है, अपने राज्य कोई भी मैन्यूफैक्चर नहीं होता है, कठिनाइयों हो रही है, उस पर निगाह है लेकिन मैंने जैसा कहा तीन तरह के संगठन कम्पलेन दूर करने के लिए हैं, मैं ने मोबाईल नं. कहा, जूनियर इंजीनियर. अंचल के स्तर पर कहा, प्रमण्डल के स्तर पर कहा, शिकायतें सुनी जाती हैं, मैंने नहीं कह रहा हूँ कि बिजली बिल गड़बड़ नहीं आ रहा है, सुधार के लिए ये सिस्टम डेवलप किये गये हैं, और उस पर लोग शिकाय करें, कार्रवाई होती और करेक्ट भी होता है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न का समय समाप्त हुआ । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न</u>

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-9(श्री अजीत शर्मा)</u>

पूछा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है, नया संकल्प वर्ष 2011 का है ।

2-स्वीकारात्मक है । सरकार के संकल्प के आलोक में हैण्डलूम से बनाया गया चादर ही खरीदा जाना है ।

3- अभी सरकार में इस प्रकार की कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

टर्न-3/ज्योति

31-03-2017

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था उद्योग विभाग पर कि चूँकि चार बार से यह ट्रांसफर हो रहा है । पहले जो हाथ से बुनकर लोग चलाते थे चूँकि लाखों बुनकर हैं भागलपुर जिला में और उनकी गरीबी की स्थिति हो गयी है, क्या जो मोटर लगा लिए है, उनका जो प्रोडक्शन है क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहेंगे वह आप क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं चूँकि बुनकर की गरीबी ऊपर हो सके, जो वह रिक्शा चला रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, वह छोड़कर फिर से बुनकरी करने लगे, क्या दिक्कत है सरकार को उसको खरीदने में, क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे ?

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सतरंगी चादर की आपूर्ति बिहार राज्य हस्तकरघा बनुकर सहयोग संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, राजेन्द्र नगर,पटना द्वारा की जा रही है । अभी तक

सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगभग 1 लाख 15 हजार चादरों की आपूर्ति की जा चुकी है । सरकारी अस्पतालों में सतरंगी चादरों की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि सप्ताह के सात दिन अलग अलग रंगों यथा बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला एवं लाल का उपयोग किया जाता है । अस्पतालों की आवश्यकतानुसार दो साईज की चादर की आपूर्ति की जाती है । बड़े साईज की कीमत 443 रुपये प्रति चादर एवं छोटे साईज की कीमत 308 रुपये प्रति चादर निर्धारित है । हैण्डलूम से बनी हुई चादर का निर्माण राज्य के गरीब बुनकर द्वारा किया जाता है जिससे उनको आर्थिक लाभ के साथ साथ रोजगार की भी प्राप्ति हो रही है ।

श्री अजीत शर्मा : मंत्री महोदय, बिल्कुल आप अस्पताल में देखियेगा तो बाहर से भी खरीदा जा रहा है, बुनकर जो मोटर चालित हस्तकरघा से बना रहे हैं, वह नहीं खरीदा जा रहा है । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया इसको देखवा लें और बुनकर भाई जो बना रहे हैं उसको खरीदने का उपाय करें ।

अध्यक्ष : सरकार इस बात को देखवा ले, माननीय सदस्य सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो मोटर से हैण्डलूम की मशीन चलती है या हैण्डलूम इक्वीपमेंट, तो मोटर से चालित होने के कारण वह चादर नहीं लिया जाता है । माननीय सदस्य की इतनी ही चिन्ता है कि जो मैनुअली चालित है हस्तकरघा, उसके अलावा जो मोटर से भी चालित संयंत्र से चादर बनती है उसकी भी आपूर्ति सरकार स्वीकार करे । यही माननीय सदस्य चाहते हैं ?

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, देखवा लेंगे ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, सात रंगों की चादर की व्यवस्था आप जानते हैं कि एन.डी.ए. की सरकार में हुई थी । मुझे आज भी अच्छी तरह से स्मरण है कि उस समय हमलोगों ने जो नियम बनाये थे सात रंग के चादर की आपूर्ति का महोदय, सात रंग की चादर की आपूर्ति समय पर नहीं हो पायी और सरकार ने समय समय पर उसमें संशोधन किया ताकि आपूर्ति सुनिश्चित हो सके लेकिन सारी व्यवस्था के बावजूद आज भी सातों रंग के चादर सात दिन नहीं बदले जा सकते हैं अस्पताल में क्योंकि जिस मात्रा में चादर की आवश्यकता अस्पताल को है वो वर्तमान जो व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की है बुनकर से लेने की केवल उसके कारण से संभव नहीं हो पा रहा है चूँकि उतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रहा है । मैं केवल यह कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए ? स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो उसका निर्णय सात दिन में सात रंग की चादर अस्पतालों में रहे, यह व्यवस्था सुनिश्चित हो इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने में अगर यह बाधा आ रही है तो उसको बदलना चाहिए और जो मोटर चालित हस्तकरघा बुनकर हैं उनके भी चादर खरीदनी चाहिए ताकि उसकी प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग की यह है कि उसको सात रंग की चादर सात दिन में मिल जाय इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय

से कि अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर क्या सरकार, यह निर्णय आपको करना है किससे खरीदना है, कैसा खरीदना है, यह स्वास्थ्य विभाग को तय करना है क्या स्वास्थ्य विभाग अपने इस नियम में परिवर्तन करके जो विद्युत मोटर से हैण्लूम वाले बनाते हैं चादर क्या उनको भी अपने आपूर्ति में शामिल करना चाहेंगे?

अध्यक्ष : आप जो पूछ रहे हैं अभी माननीय सदस्य के प्रश्न पर यही माननीय मंत्री ने कहा था कि मैनुअली जो हस्त चालित हस्तकरघा है, उसके अलावा जो पावर से, मशीन से चलने वाला हस्तकरघा है उससे भी उत्पादित चादरे हैं उसको भी लेने पर सरकार विचार करेगी। इन्होंने कहा है ।

श्री नन्द किशोर यादव : कहाँ कहा है ? सुना नहीं ।

अध्यक्ष : 'हाँ', कहा है ।

श्री नन्द किशोर यादव : बोल दो भाई ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1406 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक नहीं है । पूर्णिया जिला में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु मौसमी डी.डी.टी. छिड़काव के लिए जितने दिन कार्य लिए जाते हैं केवल उतने दिन का ही भुगतान किया जाता है ।

2- स्वीकारात्मक नहीं है । उक्त पत्र द्वारा जनता दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में कार्रवाई करने हेतु जिलों को भेजा गया है । सामान्य प्रशासन विभाग को इस पत्र में रोस्टर का बिन्दु एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है । संबंधित डी.डी.टी. छिड़काव करने वाले कर्मी उन निदेशों के दायरे में आते हैं अथवा नहीं इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाना है । ऐसे कर्मियों के समायोजन का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, यह कालाजार और मलेरिया उन्मूलन कार्य में दैनिक वेतन भोगी पूर्णिया सहित पूरे बिहार में इस उन्मूलन कार्य में लगे रहता है । अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है इसलिए कि ये जो कर्मी हैं ये अपने पीठ पर जो दवा का बक्सा लेकर ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्य में लगे रहते हैं और 1991 में भी स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा प्रमंडल आयुक्त और जिला पदाधिकारी को एक गाईडलाईन निर्गत किया गया था जिसमें कहा गया था कि पैनल बनाकर इनके समायोजन की चिन्ता की जाय और 2011 में अध्यक्ष महोदय, जनता दरबार में भी यह मामला आया है, उसके बाद सामान्य प्रशासन से भी एक चिट्ठी गयी थी इसे लेकर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा आसन के माध्यम से मंत्री जी से कि ये कर्मी जो है डी.डी.टी. वगैरह का छिड़काव करते हैं जिनको दैनिक वेतन दिया जाता है । इनको नियमित करना आवश्यक है, इसको लेकर मैं आपके आसन

के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा और पूछना भी चाहूंगा कि क्या इनको नियमित करने की कोई योजना भविष्य में सरकार की है ?

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : अभी नहीं है विचार ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के माध्यम से आग्रह करुंगा कि गंभीर विषय है इसपर मंत्री जी विचार करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या 3017 (श्रीमती मंगीता देवी)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । स्वास्थ्य उप केन्द्र किराये के भवन में चल रहा है । राशि उपलब्ध होने पर भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

श्रीमती मंगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, कौड़िया लालपुर प्रखंड की दूरी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 22 कि0मी0 की दूरी है, वहाँ मरीजों को काफी परेशानी हो रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूँ कि इसको प्राथमिकता सूची में रखते हुए शीघ्र ही वहाँ भवन का निर्माण करायें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 3018 (श्री अरुण कुमार सिन्हा)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक नहीं है । श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रयोगशाला तकनीकी, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना को सरकारी विश्लेषक पद की आवश्यकता योग्यता रखने के कारण इनको सरकारी विश्लेषक के पद पर कार्य करने की जिम्मेवारी तत्काल दी गयी है तथा वे जॉच का कार्य कर रहे हैं । सरकारी विश्लेषक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो माननीय मंत्री ने बताया कि योगेन्द्र प्रसाद सिंह अस्थायी रुप से कार्यरत हैं । स्थायी पद नहीं होने से पूरी जिम्मेवारी की स्थिति नहीं बनती है ।

अध्यक्ष : उन्होंने स्थायी अस्थायी के बारे में नहीं कहा । श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह के बारे में कहा कि वे आवश्यक अर्हता रखते हैं यानी रिक्वीजीट क्वालिफिकेशन रखते हैं, इसलिए वो अभी विश्लेषक का काम कर रहे हैं और रेगुलर नियुक्ति के लिए कमीशन इसका रिक्वीजीशन भेजा गया है ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा : वही बात मैं कह रहा हूँ । इसकी वजह से ये लगातार ये दो वर्षों से, ये 2012 में सेवा निवृत हो गए । महेश कुमार सिन्हा जी, ये अभी संविदा पर कार्य कर रहे हैं । मेरा महोदय, कहना यह है कि इससे आम आदमी की शिकायत नहीं जाती है जिम्मेवारी पूरी नहीं बनती है और केवल औपचारिकता पूरी होती है तो जब से यह पद स्थायी रुप में नहीं भरा जाता है तो ये बतायें कि कैसे इसको, एक उसमें पूरक प्रश्न यह

है कि अभी तक कितने इसतरह के दवा प्रतिष्ठानों पर छापा मार कर और उसको जॉंचा गया है । एक प्रश्न और है महोदय, कबतक, एक तो जॉंचा गया है ।....

टर्न-4/31..3.2017/बिपिन

अध्यक्ष : एक तो एनालिस्ट के पोस्ट के बारे में आपने पूछा है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: हां । एक है कि कब तक पूरा किया जाएगा ?

अध्यक्ष : वह तो उन्होंने कहा है कि कमीशन को भेज दिया है । माननीय मंत्रीजी, आयोग से शीघ्रता से नियुक्ति करने की कार्रवाई करने के लिए आप कर दीजिए ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: महोदय, ये बताएं न कि अभी तक जो इसका दवाई, बहुत महत्वपूर्ण है, कितने दवाखानों पर इनके द्वारा छापा पड़ा है, क्या उसका विवरणी देंगे मंत्री जी ?

अध्यक्ष : आप तो पदस्थापन की बात पूछे, वह विवरण उपलब्ध अभी कहां से होगा ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा: दवा उससे प्रभावित हो रहा है न !

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3019 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)</u>

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक नहीं है ।

राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओ.पी.डी. के लिए 33 प्रकार की एवं आई.पी.डी. के लिए 112 प्रकार की दवाइयॉं उपलब्ध कराया जाना है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में ओ.पी.डी. के लिए 25 प्रकार की दवाइयॉं, आई.पी.डी. के लिए 75 प्रकार की दवाइयॉं उपलब्ध हैं । इसके अलावे, सभी सिविल सर्जनों को आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर दवा क्रय कर मरीजों को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से निर्देश दिया गया है । इसके अतिरिक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दवा क्रय हेतु दो-दो लाख राशि दी गई है ।

3. उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूरक सवाल करना चाहूंगा । उन्होंने कहा कि 33 प्रकार की दवाईयां और 112 प्रकार की दवाइयों का प्रोविजन है । अच्छी बात है । तो पूर्वी चम्पारण जिले के किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में 33 प्रकार और जो जिला अस्पताल है उसमें 75 प्रकार की दवाईयॉं उपलब्ध है, जरा ये बताऐंगे ?

दूसरा, आपने जो कहा कि सभी जिला अस्पतालों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैसे उपलब्ध करा दिए गए हैं तो क्या जिला अस्पताल सिविल सर्जन ने वहां दवाइयॉं क्रय करने के लिए निविदा कर दिया है, दवाइयॉं खरीद लिया है या जो पी.एच.

सी. के डॉक्टर हैं, कितने पी.एच.सी. में टेंडर करके दवाइयाँ खरीदी गई है पूर्वी चंपारण जिला में ?

अध्यक्ष: ये सारी सूचनाएं हैं अभी आपके पास ?

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री: अभी प्राप्त नहीं है ये सब सूचना ।

अध्यक्ष : अभी प्राप्त नहीं है, लेकर भेज देंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: कब तक इसको उपलब्ध करा देंगे अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष : इनको सारी सूचना एक महीना में उपलब्ध करा दीजिए ।

(व्यवधान)

आप सुनिये । मंत्री ने साफ कहा है कि 112 में से 75 दवाइयाँ उपलब्ध हैं । शेष दवाएं जो उपलब्ध नहीं हैं, उनके क्रय के लिए स्थानीय पदाधिकारियों को राशि उपलब्ध करा दी गयी है । माननीय सदस्य ने पूछा ...

(व्यवधान)

अब सुनिए तो, आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य ने पूछा कि कौन-सी 75 दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इसलिए हमने पूछा कि वह सूची है ? नहीं है तो उपलब्ध करा दीजिए । एक महीना में कोई दवा खरीदने के लिए तो हमने नहीं कहा है कि आप बीमारी की बात हमको समझा रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3020 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री चन्द्र शेखर: महोदय, स्थानान्तरित है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को । परिवहन विभाग को ट्रांसफर्ड है महोदय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: क्या हुआ महोदय ?

अध्यक्ष: परिवहन विभाग को ट्रांसफर्ड ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3021 (श्रीमती एज्या यादव)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

नियमित महिला चिकित्सकों की संख्या कम है जिसके फलस्वरूप सभी स्वीकृत पदों पर उनका पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है । सभी सिविल सर्जनों को संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।

श्रीमती एज्या यादव: धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3022 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

भारत सरकार द्वारा राज्य में एक और एम्स खोलने की घोषणा की गई है । राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से इसके लिए जिला का चयन कर सूचित करने का अनुरोध किया गया है ताकि इसके लिए भूमि दी जा सके ।

2. स्वीकारात्मक नहीं है ।

3. उपर पहले की कंडिका में स्थिति अंकित कर दी गई है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के द्वारा बिहार के प्रत्येक अंचलाधिकारी से मांगा गया कि आप अपने यहां जमीनें उपलब्ध करा कर ढ़ाई सौ एकड़ सरकार को भेज दें ताकि एम्स की व्यवस्था करनी है । बार-बार केंद्र सरकार एम्स की बात कर रही है। हम अंचलाधिकारी, गोरेयाकोठी, जिला सीवान ने मेरे प्रयास से ढ़ाई सौ एकड़ जमीन वहां दूधरा पंचायत में चयनित किया जो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की कर्मभूमि हैं और एकता के पोषक मजहरूल हक साहब का भूमि है ।

अध्यक्षः पूरक पूछिये ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंहः सर पूछ रहा हूं । महोदय, सिवान जिला भारत की आत्मा के रूप में है । वहां पर इन महापुरूषों के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैं आपसे चाहूंगा कि जमीन के लिए सरकार रोना रोती है । जब जमीन हमने उपलब्ध करा दिया है तो सीवान में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर एक गोरेयाकोठी के दूधरा में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की मांग करता हूं । क्या माननीय मंत्री महोदय एम्स बनाने का विचार रखते हैं डा0 राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी पहल पर जमीन उपलब्ध करा दिया है उसको देखवा लीजिए । अगर जमीन उपलब्ध है तो आगे की कार्रवाई हो ।

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को भेजा गया है ।

अध्यक्ष : भारत सरकार को भेजा गया है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः भारत सरकार चाहती है महोदय कि बिहार में एम्स खुले, कृषि महाविद्यालय खुले, सेंट्रल स्कूल खुले, केंद्रीय विद्यालय खुले, और आए दिन प्रश्न आ रहा है और राज्य सरकार के द्वारा लगातार भारत सरकार ने पत्र भी लिखा है । मैं दिल्ली, महोदय, गया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा जी से मिले थे । उन्होंने कहा कि 14 महीने पहले हमने पत्र राज्य सरकार को भेजा है महोदय । तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार बांका में चार हजार बिजली का प्लांट लगाने के लिए महोदय, एम्स के लिए और कृषि महाविद्यालय के लिए और बिक्रमशीला में विश्वविद्यालय के लिए और एम्स के लिए तो जो प्रस्ताव भारत सरकार ने भेजा है, हमारा आग्रह होगा सरकार जल्द ही उपलब्ध कराए ताकि बिहार का विकास जो बाधित हो रहा है महोदय, उसको सरकार ध्यान दे ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-3023 श्री अरूण कुमार सिन्हा ।

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । महोदय, हमारा जो प्रश्न सं0-3020 है, उसको प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को भेज दिया जाए ।

अध्यक्षः आप अलग से लिख कर दीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–3023 (श्री अरूण कुमार सिन्हा)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक नहीं है ।

2. स्वीकारात्मक नहीं है ।

पी.एम.सी.एच., पटना में चार में से तीन ऑटो एनालाइजर मशीन ठीक है एवं सभी प्रकार के खून की जांच हो रही है । एक खराब है। ऑटो एनालाइजर की मरम्मती कराई जा रही है । दो नए ऑटो एनालाइजर अगले वित्तीय वर्ष में खरीद कर दी जाएगी ।

श्री अरूण कुमार सिन्हाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि अस्वीकारात्मक है महोदय, प्रश्न 'क' और 'ख' के विषय में । महोदय, यह सही बात है कि एनालाइजर मशीन बंद रहने से जितनी जांच प्रभावित हुई है, पी.एम.सी.एच. में यह कई तरह के खूनों की जांच करती है और वह बंद पड़ी है । मरीज बाहर से जांच करवाते हैं तो मुझे लगता है कि इनको गलत सूचना इसकी है । तो क्या इसकी ठीक से जांच करवाऐंगे ? पहला प्रश्न और दूसरा है कि ....

अध्यक्ष : अरूण बाबू, माननीय मंत्री ने आपके प्रश्न को अस्वीकार नहीं किया है । माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है कि वहां चार ऑटो एनालाइजर है जिसमें से तीन कार्यरत है, एक ऑटो एनालाइजर खराब है जिसकी मरम्मती कराई जा रही है और अगले वित्तीय वर्ष में दो और ऑटो एनालाइजर सरकार खरीद रही है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हाः महोदय, मुझे लगा कि इन्होंने अस्वीकार किया है । अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी अच्छी–अच्छी जांचें होती हैं पी.एम.सी.एच. में, बाहर से करने के लिए भेजा जाता है । सभी गरीब मरीजों को वहां पर जांच की सुविधा हो जाए, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ? और, कब तक मशीन खरीदेंगे, इसकी समय सीमा बताएं ।

अध्यक्ष : सब बता दिए हैं ।

टर्न : 05/कृष्ण/31.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या : 3024 (श्री नन्द कुमार राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मोतीपुर प्रखंड अन्तर्गत महवल, मोतीपुर में 220/132/33 केवीए ग्रीड सब–स्टेशन का निर्माण कार्य नवंबर, 2014 में मेसर्स एलस्टॉम प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था । अप्रैल,2017 में इसे चालू करने का लक्ष्य है।

श्री नन्द कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, आग्रह है कि जल्द से जल्द पूरा कराकर अपने द्वारा उद्घाटन कराने की एक समय-सीमा निर्धारित कर दीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैंने कहा अप्रील, 2017 में चालू कर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3025 (श्री रामदेव राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटा के भीतर जले ट्रांसफरमर को बदलने का प्रावधान है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । बेगूसराय जिलाा के बछवाड़ा, भगवानपुर एवं मंसूरचक प्रखंड में वर्तमान में 63 केवीए या उस से अधिक क्षमता के ट्रांसफरमर जले हुये नहीं है । उक्त प्रखंडों में 16/25 केवीए क्षमता के कुल 189 ट्रांसफरमर बदले जा चुके हैं । 34 स्थानों पर 16/25 केवीए के जले ट्रांसफरमर के उपभोक्ताओं को उच्च क्षमता के स्थापित दूसरे ट्रांसफरमरों से विद्युत आपूर्ति की जा रही हे । वर्तमान में सभी जगहों पर विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल है ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता उस क्षेत्र का विधायक है और वह सर्वेक्षण करा कर के प्रश्न पूछा है । जब से विधायक बना हूं तब से मेरे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के आदेश से मात्र 5 ट्रांसफरमर लगा है और 63 केवीए की बात नहीं है । मैं पूरे ट्रांसफरमर के बारे में बता रहा हूं । 25 केवीए का भी जला हुआ है और इतना का भी जला हुआ है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने अधिकारी को निर्देश दें कि मैं सूची दूंगा और सर्वेक्षण कर के वे लगा देंगे । सीधी सी बात है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि अधिकारी को निर्देश दिया जायेगा कि माननीय सदस्य से पूरी सूची ले कर इनके साथ जा कर देखें और अगर उत्तर गलत होगा तो कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3026 (श्री मो0 आफाक आलम)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । नियमित महिला चिकित्सकों की संख्या कम है, जिस के फलस्वरूप सभी स्वीकृत पदों पर उनका पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है ।

सभी सिविल सर्जनों को सभी रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है ।

श्री मो0आफाक आलम, अध्यक्ष महोदय, कब तक हो जायेगा ?

तारांकित प्रश्न संख्या : 3027 (श्री नीरज कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्क है ।

राशि उपलब्ध होने पर उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों की मरम्मति करायी जायेगी ।

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, जल्दी करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3028 (श्री जितेन्द्र कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. प्रश्न स्पष्ट नहीं है । वैद्य का नाम अंकित नहीं है ।

2. जिला पदाधिकारी,नालंदा से प्रतिवेदन की मांग की गई है।

3.जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दर्जनों वैद्यों का प्रमाण पत्र है । मैं आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वैद्यों को राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, बिहार द्वारा सूचिकरण एवं निबंधन के बावजूद किस परिस्थिति में प्रैक्टिस से रोका जा रहा है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं । हमारे पास पचासों वैद्यों का निबंधन प्रमाण पत्र है ।

अध्यक्ष : ठीक है । इसको दिखवा लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3029 (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । लाईन में गड़बड़ी होने पर इस को दूर करने में अधिक दूरी होने के कारण कभी-कभी अधिक समय लगता है ।

3. 11 के0वी0ए0 नवीनगर फीडर शहरी फीडर है । शहरी फीडर से ग्रामीण फीडर क्षेत्र को जोड़ने का प्रावधान नहीं है ।

वर्णित ग्रामों को 11 के0वी0ए0 ग्रामीण बाराफीडर से जोड़ने के लिये लगभग 1 कि0मी0 नया 11 के0वी0ए0 लाईन बनाने की आवश्यकता है । यह कार्य माह दिसंबर, 2017 तक करने का लक्ष्य है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3030 (श्री नारायण प्रसाद)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक नहीं है । पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन एवं बैरिया प्रखंड अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण जमीन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जमीन वहां उपलब्ध है । स्वीकृति 2010 में हुआ है । नौतन में जगदीशपुर, धूमनगर, शिवराजपुर और मंगलपुर में, बैरिया में पखनाहा बाजार है, वहां काफी जमीन उपलब्ध है लेकिन आजतक उसका निर्माण नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उपलब्ध होने पर करा देंगे ।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, 7 सालों में निधि उपलब्ध नहीं हुआ ?

अध्यक्ष : आप का पूरक क्या है ?

श्री नारायण प्रसाद : कब तक बना जायेगा, कबतक निधि उपलब्ध हो जायेगा ?

अध्यक्ष : अभी जमीन सब जगह उपलब्ध है ?

श्री नारायण प्रसाद: जी हां ।

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय,आप जमीन उपलब्ध करवा दीजिये, हम करवा देते हैं ।

श्री नारायण प्रसाद : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3031 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 16.03 को चेक दिलवा दिया गया है ।

श्री विजय कुमार खेमका, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं, लगता है क्वेश्चन के बाद उन को मिल गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया सभी माननीय सदस्य किसी भी प्रश्न के सरकार के उत्तर पर इस तरह से अलग-अलग बोलियेगा तो कोई नहीं सुन पाते हैं । उन को पूरक पूछने दीजिये न ।

श्री नारायण प्रसाद : मैं धन्यवाद देता हूं । लेकिन मैं आप के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा में लगभग एक दर्जन लंबित मामले हैं ।

अध्यक्ष : अब लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3032 (डा0सी0एन0गुप्ता)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । राशि उपलब्ध होने पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र का नया भवन बनाया जायेगा ।

डाा0 सी0एन0गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक बनायेंगे, इसकी सूचना हमें चाहिए ।

अध्यक्ष : आप तो स्वयं डाक्टर हैं । आप तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3033 (श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महकार सेवईचक किराये के मकान में संचालित है । चिकित्सक को प्रतिनियुक्त करने हेतु सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है, राशि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कराया जायेगा ।

3. उपर्युक्त खंड से स्थिति स्पष्ट है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या : 3034 (डा0 मो0 नवाज आलम)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

माननीय सदस्य श्री मो0 नवाज आलम से प्राप्त अनुशंसा की विवरणी निम्नवत् है :

पत्रांक 93 दिनांक 09.08.2016 - 11 योजना
पत्रांक 94 दिनांक 09.08.2016 - 17 योजना
पत्रांक 138 दिनांक 08.11.2016 - 21 योजना
पत्रांक 139 दिनांक 08.11.2016 - 08 योजना
कुल 57 योजना ।

उक्त अनुशंसित 57 योजनाओं में से 18 योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जिस की विवरणी निम्नवत् है :

प्रशासनिक स्वी0 की तिथि	प्रशा0स्वी0 प्रदत योजनओं की संख्या	अभ्युक्ति
11.11.2016	1	योजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण है ।
26.12.2016	1	मंतव्य अप्राप्त ।
21.01.2017	4	1 योजन में 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण । 1 योजना का पाईलिंग कार्य प्रगति पर । 2 योजना में लिंटल स्तर तक कार्य पूर्ण ।
07.02.2017	3	1 योजना में 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण । 1 योजना में छत तक का सटरिंग कार्य । 1 योजना पर माननीय सदस्य की सहमति अप्राप्त ।
22.02.2017	2	1 योाजनाका 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण । 1 योजना में माननीय सदस्य की सहमति अप्राप्त ।
23.02.2017	3	2 योजना पर स्थल विवाद। 1 योजना पर माननीय सदस्य की सहमति अप्राप्त ।
17.03.2017	4	माननीय सदस्य की सहमति अप्राप्त
कुल	18	

शेष 39 योजना के लिये विभिन्न विभागों/कार्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने के कारण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :

मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्ति का पत्रांक/दिनांक	अनुशंसित योजनाओं की संख्या ।	योजनाओं की संख्या जिसकी प्र0स्वी0 नहीं दी गयी है, की विवरणी	योजनाओं की संख्या जिसकी प्र0स्वी0 नहीं दी गयी है, की विवरणी	योजनाओं की संख्या जिसकी प्र0स्वी0 नहीं दी गयी है, की विवरणी	योजनाओं की संख्या जिसकी प्र0स्वी0 नहीं दी गयी है, की विवरणी
		अनापत्ति प्रमाण पत्र	मार्गदश्रन के प्रतिकूल	प्राक्कलन अप्राप्त	कुल
93/9.8.16	11	3	2		5
94/9.8.16	17	8		2	10
138/8.11.16	21	17			17
139/8.11.16	8	6		1	7
कुल	57	34	2	3	39

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

मॉडल उच्च विद्यालय,आरा में साईकिल स्टैंड निर्माण की योजना का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण है ।

जिला योजना कार्यालय,भोजपुर में सहायक योजना पदाधिकारी के रूप में श्री मृत्युंजय कुमार शर्मा पदस्थापित नहीं हैं ।

3. उपर्युक्त वर्णित जिन 39 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, उन में से 3 योजना का प्राक्कलन अप्राप्त रहने के संबंध मे प्राप्त प्रतिवेदन पर विलंब के कारणों की जांच हेतु क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्रैया भवन, पटना की संयुक्त जांच टीम विभागीय पत्रांक 1688 दिनांक 28.03.2017 द्वारा गठित की गयी है । यह जांच टीम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त 34 योजनाओं के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करेगी । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यथोचित कार्रवाई की जायेगी ।

टर्न-6/राजेश/31.3.17

तारांकित प्रश्न संख्या: 3035 (श्री सरोज यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । भोजपुर जिला के ग्रामीण विद्युतीकरण का राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 11वीं योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत किया जा रहा है । प्रश्नवर्णित गॉवों/टोलों में से बखोरापुर दलित बस्ती, ततवा टोली, यादव टोली, सरैया दलित बस्ती, फरना दलित बस्ती, बिन्द गॉव बिन्द टोली के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं गाजीपुर यादव टोली, बिन्द टोली, छिनेगांव दलित बस्ती का कार्य अगले माह में शुरु करते हुए जून, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

श्री सरोज यादव: महोदय, जब से हम निर्वाचित हुए हैं, तब से इन गॉवों के लोग हमारे पास आते हैं और बजाज एजेंसी के द्वारा पहले काम कराया जा रहा था, बीच में उन्होंने कहा कि हमने काम को बंद कर दिया है, तो हम सी0एम0डी0 साहब से मिले, सी0एम0डी0 साहब बोले की जनवरी, 2017 तक पूर्ण कर ली जायगी लेकिन आज तक यह पूर्ण नहीं हुआ है और मेरे द्वारा इतने बार कहने के बाद भी बजाज एजेंसी काम नहीं कर रहा है, महोदय, इतना ही नहीं हमारे क्षेत्र में 10 घंटा से ज्यादा बिजली भी नहीं रहता है, बार-बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । इसलिए मैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: इसलिए आप चाहते क्या हैं, आपका पूरक क्या है ?

श्री सरोज यादव: महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये जितने भी टोले हैं, वहॉ शीघ्र विद्युतीकरण करा दिया जाय और मेरे यहॉ बिजली 20 घंटा जो सरकार की नीति है, उसके तहत 20 घंटा बिजली उपलब्ध हो ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, इसको दिखवा लेंगे ।

श्री सरोज यादव: महोदय, दूसरी बात यह है कि बराज एजेंसी जो है, जिसका पोल गाड़ा जा रहा है, उसकी गहराई बहुत ही कम हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सरोज जी, आप लिखित सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा, वे दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3036 (श्री नीरज कुमार सिंह)

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3037 (श्री राणा रणधीर)

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3038 (श्री आनन्द भूषण पाण्डेय)

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3039 (श्रीमती वर्षा रानी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । भागलपुर जिला के ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की 12वीं योजना के अन्तर्गत मेसर्स इनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस लि0 द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नौगछिया अनुमंडल के 97 राजस्व गॉवों का सघन विद्युतीकरण का कार्य भी शामिल है । अद्यतन 69 राजस्व गॉवों का सघन विद्युतीकरण का कार्य कर लिया गया है, जो लगभग लक्ष्य का 71 प्रतिशत है । शेष गॉवों का सघन विद्युतीकरण का कार्य मेसर्स इनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस लि0 को जून, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3040 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3041 (श्री राम विलास पासवान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है । अक्तूबर वर्ष 2013 में अधिगृहित भूमि के घेराबंदी (चाहरदिवाल) निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था ।

खण्ड 2: उत्तर स्वीकारात्मक है । परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया दो चरणों में पॉच राजस्व गॉवों यथा हरिणकॉल I&II, टुण्डवा/मुण्डवा,श्रीमतपुर, सुन्दरपुर एवं रायपुर में जिला समाहरणालय, भागलपुर के द्वारा IDA के माध्यम से प्रारम्भ की गयी । प्रथम चरण में हरिणकॉल 1,श्रीमतपुर, सुन्दरपुर एवं रायपुर गॉवों में अधिग्रहित भूमि कामुआवजा भू-मालिकों को पूर्व के भू-अधिग्रहण नीति के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर यानि सर्किल दर के ढ़ाई गुणा पर की गयी । द्वितीय चरण में हरिणकॉल 11, टुण्डवा/मुण्डला के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा का भुगतान भू-अधिग्रहण की नयी नीति के आधार पर यानि सर्किल दर के चार गुणा पर की गयी। फलस्वरुप परियोजना स्थल के घेराबंदी का निर्माण कार्य बाधित है । अधिग्रहित जमीन से संबंधित किसानों की समस्या का समाधान जिलाधिकारी, भागलपुर के स्तर से किया जा रहा है ।

खण्ड 3: इस परियोजना के निर्माण हेतु NHPC के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 22.02.2014 को दो वर्ष अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, जिसका विस्तार अगले पॉच वर्ष अवधि के लिए करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । समझौता ज्ञापन विस्तार हस्ताक्षरित होने के उपरान्त परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जायेगा ।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, यह बिहार सरकार के ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब समीक्षा बैठक भागलपुर में किये थे, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा था और यह बहुत इम्पौरटेंट है और हल्का सा किसानों का प्रॉबलम है, अगर मिल बैठकर पहल किया जायेगा, तो निश्चित रुप से इसका कार्य प्रारंभ हो जायेगा और यह बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि स्थानीय वहाँ के प्रशासन को कह करके और जो भी प्रॉबलम है किसानों का, वैसे तो किसानों को बहुत ही अच्छा पैसा भी मिला है, इसमें कहीं भी किन्तु, परन्तु नहीं है, सब खुश हैं लेकिन कुछ ऐसा किसान हैं, जो एकही आड़ में एक ही जगह पर दो रंग का पेमेन्ट कर दिया गया है, इसी लिए किसान कुछ आक्रोश में हैं, इसका निदान करा करके वहाँ पर कार्य प्रारंभ कराने की कार्रवाई करेंगे । हमारा तो यही आग्रह है कि काम को जितना जल्द हो सके, स्टार्ट करायें ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, असल में 2014 में तीन पावर प्रोजेक्ट एक एन0एच0पी0सी0 के साथ हुआ पीरपैंती वाला, एक लख्खीसराय में एन0टी0पी0सी0 के साथ हुआ और एक चौसा में हुआ लेकिन दो का अवधि जो दो साल के अंदर होना था, वह बीत गया और अभी तक भारत सरकार से कोई गाईडलाइन मिला नहीं है कि यह प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इसी लिए कहा कि प्रक्रिया जब पूरी हो जायगी और जब वह बनना होगा, तब हम उसपर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे और कलक्टर के साथ बैठ करके इसका सोलुशन निकाल लेंगे लेकिन पहले प्रोजेक्ट बने, तब तो अधिग्रहण की कार्रवाई हो ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3042 (श्री विजय कुमार सिन्हा)

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3043 (श्री संजय कुमार सिंह)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । सभी सिविल सर्जनों को संविदा पर चिकित्सक एवं अन्य पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है ।

श्री संजय कुमार सिंह: धन्यवाद सर । हमें कोई प्रॉबलम नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री हो तो ऐसे हो ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, आज हम तारांकित प्रश्न में देख रहे थे कि कुल 93 प्रश्न आये हैं, उसमें से 50 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं और सारे सवाल जो महोदय हैं, वह यह है कि दवा नहीं है, भवन नहीं है और डाक्टर नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं, हम आग्रह करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा बिहार का गड़बड़ा रहा है, तो ये अपने स्तर से इसकी समीक्षा करके सुधारने का प्रयास करें क्योंकि आज की जो बड़ी आबादी है,वह गरीब लोगों की हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपको देखकर इनको बहुत सी बातें याद आ जाती हैं ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाँय ।

माननीय सदस्यगण, आज सभा के आरंभ होते ही मैंने आपको सूचना दी थी कि पावर टैरिफ विषय के संबंध में सरकार द्वारा इस सदन में वक्तव्य देने का आश्वासन था पूर्व में और आज सरकार की तरफ से विधिवत् सूचना है कि प्रश्नकाल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय पर वक्तव्य देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, इसलिए उनसे अनुरोध है कि पावर टैरिफ से रिलेटेड वे अपना वक्तव्य दें ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/31-3-17

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनगर्ठित कर पांच कम्पनियों - बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमीशन कम्पनी का सृजन 01-11-2012 के प्रभाव से किया गया है । यह कदम विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु लिया गया है । विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानानुसार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना वर्ष 2006 में की गयी । तत्पश्चात् आयोग द्वारा ही प्रत्येक वर्ष विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिक्री दर (टैरिफ) निर्धारित की जाती है ।

वितरण कम्पनियों के द्वारा अनुमानित वार्षिक व्यय के आधार पर आयोग के समक्ष याचिका दायर की जाती है, जिसमें वितरण कम्पनियों को प्राप्त अनुदान की राशि को घटाने के पश्चात् शेष राशि के आधार पर जाँचोपरान्त टैरिफ निर्धारित किया जाता है । इस प्रक्रिया में गहन समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति पर वास्तविक लागत की जानकारी का सर्वथा अभाव बना रहता था तथा राज्य सरकार से दी जा रही अनुदान की भी जानकारी नहीं रहती थी । अत: एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर दायर किया गया । इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ लागत के आधार पर अनुदान रहित निर्गत किया गया है । इस टैरिफ आदेश से राज्य सरकार द्वारा उपभोक्तावार अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता रहेगी । साथ ही वितरण कम्पनियों को Aggregate Technical & Commercial Loss (AT&C Loss) में क्रमिक कमी लाने हेतु गहन अनुश्रवण संभव हो सकेगा । इस प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत आपूर्ति लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि विद्युत विपत्र में अंकित रहेगी जो पूरी तरह से पारदर्शी होगा ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश का गहन अध्ययन एवं पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के 2016–17 के टैरिफ से तुलना कर राज्य सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार उपभोक्ता श्रेणीवार प्रति यूनिट अनुदान की राशि निम्न प्रकार है :–

उपभोक्ता श्रेणी	आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ (फीक्सड एवं इनर्जी चार्ज सहित) रूपये प्रति यूनिट	प्रति यूनिट अनुदान (रू0 में)	अनुदान के पश्चात् औसत टैरिफ रूपये प्रति यूनिट	पश्चिम बंगाल औसत टैरिफ (2016–17)	उत्तर प्रदेश औसत टैरिफ (2016–17)
कुटीर ज्योति	6.08	3.58	2.50	3.44	3.17
घरेलु– 1 (ग्रामीण)	6.45	3.10	3.35	4.75	3.35
घरेलु– 11 (शहरी)	6.48	1.48	5.00	5.02	5.28
गैर घरेलु– 1 (ग्रामीण)	6.83	2.50	4.33	6.86	4.43
गैर घरेलु– 11 (शहरी)	8.02	0.40	7.62		8.24
कृषि एवं सिंचाई– 1	5.79	4.29	1.50	4.07	1.50
निम्न विभव औद्योगिक सेवा–1 (Contract demand Upto 19 KW)	8.59	0.25	8.34	8.39	7.86
निम्न विभव औद्योगिक सेवा–11 (Contract demand Above 19 KW upto 74 KW)	8.62	0.28	8.34		
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–1 (11 KV)	8.69	0.20	8.49	10.15	7.48
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–11 (33 KV)	8.69	0.35	8.34	9.15	
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–111 (132 KV)	8.02	0.40	7.62	8.45	
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–1V (220 KV)	7.97	0.50	7.47	NA	
उच्च विभव विशेष सेवा (33 /11 KV)	5.56	0.30	5.26	NA	

यह बिहार राज्य के टैरिफ वर्ष 2017–18 के लिए एवं अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016–17 पर आधारित है ।

इस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को कुल वर्ष 2017–18 में 2,952 करोड़ रूपये की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । विदित हो कि

इस मद में वर्ष 2016-17 में 2,704 करोड़ रूपये की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया गया था, अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में 248 करोड़ रूपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है । ज्ञात हो कि वर्ष 2016-17 के लिए विद्युत उपलब्धता लगभग 24,905 मिलियन यूनिट अनुमानित है जबकि वर्ष 2017-18 में विद्युत उपलब्धता का लक्ष्य 30,740 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरी बात है जिसको मैं सदन के पटल पर रख देता हूँ और यह बात स्पष्ट रूप से एक नीति का हमलोगों ने सूत्रण किया है और वह यह नीति है कि अबतक कितनी लागत पर बिजली यहां बिहार में उपलब्ध हो रही है और कितनी सबसिडी राज्य सरकार दे रही है और किस दर पर उनको उपलब्ध हो रहा है, इसके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी । (क्रमशः)

टर्न-8/मधुप/31.03.2017

...कमशः ...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मैंने पूरी समीक्षा की और यह पाया कि जो सबसिडी राज्य सरकार देती है, इसकी जानकारी लोगों को रहनी चाहिये कि हम बाजार से या एन0टी0पी0सी0 से किस दर पर बिजली प्राप्त करते हैं और किस दर पर बिजली हम विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता समूहों को प्रदान करते हैं । इसकी कोई जानकारी नहीं थी । जब हमने इसकी विस्तृत समीक्षा की तो हमने यह निर्णय लिया कि इसके बारे में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिये कि किस रेट पर बिजली आ रही है और किस रेट पर हम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये ।

इसलिये इस बार नियामक आयोग के समक्ष जो प्रस्ताव याचिका रखी गई उसमें यह बताया गया कि बिना सबसिडी के आप दर का निर्धारण करें और बिना सबसिडी के नियामक आयोग द्वारा दर का निर्धारण किया गया । अनावश्यक हंगामा होने लगा कि इतना रेट बढ़ गया, इतना रेट बढ़ गया । हमलोगों ने तत्काल कहा कि हम सबसिडी अपनी क्षमता के अनुरूप जरूर देंगे और इसकी घोषणा चलते सत्र में करेंगे । लेकिन अब यह सबसिडी जो मिलेगी, जिनलोगों को भी विद्युत विपत्र मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा नियामक आयोग के द्वारा जो निर्धारित दर है, उसके हिसाब से क्या हुआ बिजली का बिल और उसमें प्रति यूनिट की दर से जो राज्य सरकार सबसिडी दे रही है, उसको उसमें घटा दिया जायेगा और वह भी अंकित रहेगा । अंत में जो उनको देना है, जो भुगतान करना है, उसका उल्लेख होगा, उनको वही भुगतान देना है । हर उपभोक्ता को विद्युत विपत्र के माध्यम से यह मालूम हो जाना चाहिये कि कितनी सबसिडी मिल रही है । यह सब चीज पारदर्शी होना चाहिये और बिहार पहला राज्य है जिसने यह नीति का सूत्रण करके प्रयोग किया है । मुझे ऊर्जा विभाग के लोगों ने जानकारी दी है कि केन्द्र सरकार ने, जब बिहार

ने यह किया है तो आधिकारिक स्तर पर उनलोगों ने इसकी प्रशंसा की कि यह बहुत बड़ा काम हो रहा है ।

विद्युत के क्षेत्र में सुधार के कई कदम उठाये गये, इसलिये रेट के निर्धारण के लिये नियामक आयोग बना, उसका कानून बना । इसके बाद हमलोगों ने विभिन्न कम्पनियों का गठन किया । बिहार राज्य विद्युत बोर्ड था, उसको भंग करके पाँच कम्पनियाँ बनाई गईं जिसका हमलोगों ने जिक्र किया - पावर होल्डिंग कम्पनी, नॉर्थ बिहार-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, दो कम्पनी बनी, जेनरेशन की कम्पनी बनी और ट्रांसमीशन के लिये कम्पनी बनी । डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी जो बनाई गई है, उसके माध्यम से बिजली की आपूर्त्ति की जाती है । अब हमलोगों को यह भी देखना है, यह जो कदम उठाया गया है, यह तो लोगों को मालूम होना चाहिये कि क्या सबसिडी मिलती है, किस रेट पर बिजली आती है, वह एक पहलू है । दूसरा पहलू है कि हमलोगों ने जो कम्पनियाँ बनाई हैं, जो यह रिफॉर्म लाया गया, उसके आधार पर कम्पनी जब बनाई गई तो वह कम्पनी पूरे इफिसियेंसी के साथ काम करेगी । अब उपभोक्ताओं के लिये सबसिडी के लिये अलग निर्धारण कर दिया गया कि क्या सबसिडी दी जायेगी। अब इसके बाद कम्पनी की क्या स्थिति है, पूरे पारदर्शी तरीके से उनकी इफिसियेंसी को मोनिटर किया जा सकता है । अब अगर उनका एग्रीगेट टेक्निकल एण्ड कॉमर्शियल लॉस जो होता है, वह ज्यादा होगा तो अब इसकी मोनिटरिंग कम्पनी, पावर होल्डिंग कम्पनी और ऊर्जा विभाग, पूरे तौर पर कर पायेगा । क्योंकि इसके बाद ही आप यह कर सकते हैं और क्यों होता है, इसके कई कारण हैं । ट्रांसमीशन का लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस तो होता ही है, इफिसियेंसी लॉस भी है । आपने बिजली की आपूर्त्ति कर दी लेकिन उसके लिये समय पर बिलिंग नहीं की और जब बिलिंग नहीं करियेगा तो भुगतान प्राप्त नहीं कर पाइयेगा । आप बिजली देते चले जा रहे हैं, लोग भुगतान भी करना चाह रहे हैं और समय पर बिल नहीं मिले । दूसरी बात, यह देखा गया है, हमलोगों ने अनुभव किया है कि बिलिंग का जो तरीका था, बिजली बोर्ड के जमाने से ही उसमें इतनी खामियाँ थीं कि लोग शिकायत करते थे और कभी-कभी तो कोई एक साधारण परिवार का आदमी है, जो एक बल्ब या दो बल्ब जला रहा, उसको भी हजार रूपये में बिल जाता था । खैर, अब तो लोक निवारण केन्द्र पर वह शिकायत करता है और तत्काल उसका समाधान भी हो जाता है । मैंने स्वयं देखा है.....

(व्यवधान)

हो रहा है । आपलोगों को इन दिनों दिलचस्पी नहीं है । आप जान लीजिये, हमने खुद देखा है । लोक शिकायत निवारण केन्द्र में हमने देखा कि एक व्यक्ति ने शिकायत किया, उसको बिल गया हुआ था 28 हजार रूपये का, उसने वहाँ शिकायत किया और आप जान लीजिये, उसने सिर्फ शिकायत किया तो तारीख पड़ी सुनवाई की ।

तबतक सब करेक्शन करके आ गया, मैंने खुद एक उदाहरण देखा है, अंततोगत्वा उसका बिजली बिल था 800 रूपये का । यह उसका सुधार किया गया । यह सब कदम तो उठाये जा रहे हैं और अब स्पॉट बिलिंग का भी इनलोगों ने प्रावधान शुरू किया है कि कोई भी जाता है, वहीं पर मीटर देखा, स्पॉट बिलिंग हुई और जो उपभोक्ता है उसको भी मालूम हो रहा है । लेकिन इस तरह के कई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि समय पर उपभोक्ताओं को बिल मिले, सही बिल मिले और वह ससमय भुगतान कर सके ।

मुझे पूरा विश्वास है, हमने सोच-समझकर यह सुधार का कदम उठाया है, इसके बाद जो हमारी वितरण की दोनों कम्पनियाँ हैं - नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, दोनों की इफिसियेंसी में सुधार जरूर आयेगा । एक तरफ पारदर्शिता होगी, लोगों को मालूम होगा कि आखिर सरकार हमको कितनी सबसिडी दे रही है । दूसरी चीज, कम्पनियों के इफिसियेंसी को बढ़ाने में यह कदम सहायक होगा । यह पहले मिक्स हो जाता था, नियामक आयोग ने तय कर दिया, उसके बाद मिक्स हुआ, वह तो आपको उतना पैसा देना ही है तो ठीक से मालूम भी नहीं हो पाता था कि इनइफिसियेंसी कितना और उपभोक्ताओं को अनुदान कितना, दोनों मिला हुआ था । अब इनइफिसियेंसी को ठीक ढंग से मोनिटर किया जायेगा और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं का जो अनुदान है, वह पूरे पारदर्शी तरीके से होगा । तो यह रिफॉर्म का कदम है । मुझे पूरा विश्वास है, अगर इस बिहार में इसको हमलोग लागू कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम आयेंगे एक वर्ष के अन्दर तो मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे । चूंकि सिर्फ जीरो सबसिडी पर टैरिफ निर्धारण करने की याचिका दी गई और उस आधार पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जब उसका टैरिफ का निर्धारण किया है और इसी बात को लेकर पूरी चर्चा शुरू हो गई ।

इसलिये मैं आग्रह करूँगा कि इन सारी चीजों को और आप स्टेट एक्सचेकर से बिजली का प्रयोग करने वालों को सबसिडी दे रहे हैं, यह मत भूलियेगा कि यह स्टेट एक्सचेकर है, राजकोष है और राजकोष में राशि कहाँ-कहाँ से आती है, सब आपको पता है । विद्युत के उपभोक्ता हैं, कई प्रकार के उपभोक्ता हैं - हाई टेंशन, लो टेंशन, कॉमर्शियल, घरेलू, कृषि एवं सिंचाई, तो हमलोगों ने ख्याल रखा है । आप देख लीजिये - कुटीर ज्योति, जो गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, कितना कम पैसे पर उनको बिजली दिया जा रहा है । कृषि एवं सिंचाई के लिये कितना कम पैसे पर, 1.50 रू0 मात्र यूनिट पर । इसलिये इन सब बातों का ख्याल रखा गया है कि जो तबका साधनविहीन है, गरीब है, उसको कम-से-कम दर पर बिजली मिले । चूंकि हमारी पूरी आबादी का 76 प्रतिशत हिस्सा आज भी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर है, तो कृषि एवं सिंचाई के लिये 1.50 रू0 प्रति यूनिट ।

इस तरह से सब बातों का ख्याल रखते हुये, घरेलू ग्रामीण को भी कम और शहरी लोग जो उपभोक्ता हैं उनको थोड़ा ज्यादा, जिस स्टेटस के लोग हैं, उस रूप में निर्धारित और यह इस बात का मैं दोबारा उल्लेख करता हूँ कि अभी 2016-17 का, साल जो बीत रहा है, इसका रेट यू0पी0 और बंगाल का हमलोगों ने देखा है, करेंट ईयर । अगले साल का, जो कल से शुरू होगा 01 अप्रील से, उसके बारे में उन राज्यों का निर्धारित दर अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, जो साल बीत रहा है, उसी को सामने रखकर हमलोगों ने निर्णय किया है और एक रेशनलाईज करने की कोशिश की है । यह एक रेशनलाईजेशन का है, यह एक सुधार का कदम है और मैं समझता हूँ कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिये । अगर सही परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो जान लीजिये, हर साल विद्युत की आपूर्त्ति बढ़ती जायेगी । जैसा आपको हमने बताया, करेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो आज समाप्त हो जायेगा 31 मार्च को, इसमें अनुमान है कि 24905 मिलियन यूनिट की आपूर्त्ति की गई और 01 अप्रील से जो साल शुरू होने वाला है, उसमें लक्ष्य है 30740 मिलियन यूनिट की आपूर्त्ति करने की ।

...क्रमशः ....

टर्न-9/आजाद/31.03.2017

.... क्रमशः .....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : यदि हर वर्ष विद्युत की उपलब्धता बढ़ती जायेगी । इसलिए सबसीडी का भी रेशनलाईलेजेशन होना चाहिए वरना दिनों-दिन, साल दर-साल आपके स्टेट एक्सचेकर पर इतना बड़ा बोझ बढ़ता चला जायेगा कि आप इस चीज को संभाल नहीं सकते । इसलिए दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए, पड़ोस के राज्यों का भी दर को देखते हुए और अपने यहां भी जो अपनी आर्थिक क्षमता है और समझ सकते हैं कि यहां पर भी इस साल जो अनुमानित होगा सबसीडी उपभोक्ताओं के लिए, वह 2952 करोड़ मतलब कि 3000 करोड़ के करीब, यानी 3000 करोड़ हमलोग अपने उपभोक्ताओं को बिजली का उपभोग करने के लिए राज्य कोष से सबसीडी देने वाले हैं । इसलिए सही परिप्रेक्ष्य में हर चीज को देखना चाहिए, मैं यही आग्रह करूँगा सदन में और सदन के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा कि सही परिप्रेक्ष्य में सब चीजों को देखा जाना चाहिए । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होता है, नेता विरोधी दल आप पुराने सदस्य हैं न । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 31 मार्च, 2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं - श्री विजय कुमार खेमका, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, श्री ललन पासवान, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री राणा रणधीर, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री संजय सरावगी, श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्री जिवेश कुमार । आज सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं, इसमें गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अध्यक्ष : शून्य-काल ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : आपको समय मिलेगा, शून्य-काल को जल्दी-जल्दी होने दीजिए । माननीय सदस्य श्री अमित कुमार ।

शून्यकाल

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार के परिवहन कार्यालय में गाड़ी का पंजीयन, ड्राइविंग लाईसेंस नवीकरण, गाड़ी ट्रान्सफर आदि अनेक कार्यों के लिए लोग महिनों परेशान रहते हैं और हजारों कागजात लंबित है । जनहित में सरकार टोला मित्र की तरह परिवहन मित्र से लंबित परिवहन कार्यो को अप-टू-डेट करने के लिए प्राधिकृत करें ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के प्रखण्ड गौनाहा के ग्राम-शेरवा मस्जिदवा गांगुली नदी से कट गया है, खेतों में केवल बालू ही बालू है । मैं माँग करती हूँ कि गाँव का सुरक्षात्मक कार्य करायी जाय ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एन०एच०-83, पटना-मसौढ़ी का चौड़ीकरण नहीं होने से सवारियों को आने-जाने में कठिनाई का साामना करना पड़ता है । प्रायः दुर्घटना होते रहती है।

अतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन सड़क चौड़ीकरण की माँग करता हूँ ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखण्ड छिटकियाँ से महुआ बाजार, मोरा चौक अतरखा चौक तक की सड़क एवं पुल जर्जर रहने के कारण आमजनों को कठिनाई हो रही है। छिटकियाँ से महुआ बाजार एवं मोरा चौक से अतरखा चौक तक जर्जर सड़क एवं पुल पक्कीकरण की माँग करता हूँ ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसपुरा प्रखण्ड के पचरूखीया चौक पर बहुत पहले से पुलिस पिकेट था, लेकिन किसी कारण यहाँ से पुलिस पिकेट हटा लिया गया है । पुलिस पिकेट हटाने के बाद छोटू मुखिया चर्चित कांड हो चुका है ।

अतः मैं सरकार से पुनः पुलिस पिकेट खोलने का माँग करता हूँ ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल आरा सहित पूरे भोजपुर जिला के सभी अस्पतालों में अन्तरिम सफाई, खाना सप्लाई एवं कपड़ों की सफाई हेतु एजेन्सी राष्ट्रीय लोक विकास संघ मालाझील, मझौआ द्वारा कार्य किए वगैर पूरी राशि फर्जी तरीके से गबन कर लिया जाता है।

अतः सरकार तत्काल जाँच कर टेण्डर रद्द करावे ।

श्री सीताराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के नरार से बासोपट्टी जाने वाली सड़क में मढ़िया ग्राम के निकट बछराजा नदी पर पूर्व में निर्मित पुल धस जाने से आवागमन बाधित है ।

अतः जनहित में उक्त पुल का पुनः निर्माण करावें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड के उस्तानीया एवं फोकानिया का शैक्षणिक कैलेन्डर एक वर्ष के अधिक समय से विलंब से चल रहा है, फलतः छात्र-छात्राओं में भविष्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है ।

अतः सरकार उक्त शैक्षणिक कैलेन्डर ससमय सुचारू ठंग से सम्पादित कराये।

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखण्ड के कुड़वाँ गाँव के पास सोन उच्चस्तरीय नहर पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है । आवागमन के समय कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है ।

अतः हम सरकार से माँग करते हैं कि उक्त जगह पर वाहन आने-जाने हेतु पुराने पुल के जगह नया पुल बनाये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड के रेशमलाल चौक से परसाहाट होते हुए चाँदी धासी घाट तक सड़क जर्जर है । जिसमें आए दिन दुर्घटना होते रहती है ।

उक्त सड़क की मरम्मति कराने की माँग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अन्तर्गत नुआव प्रखण्ड में नुआव कुछिला पथ में धरमावती नदी पर ग्राम एवली के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गई है । कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है । सरकार से नया पुल बनाने का माँग करता हूँ ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला अन्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड के रवई ग्राम में 16.12.2016 को विटटु कुमार को गला रेती गई जिसका केस सं०-200/16 है । थाना प्रभारी के कर्त्तव्यहीनता के कारण अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़ा गया । सरकार से थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करने का माँग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के मधुबनी नगर परिषद् के क्षेत्र में नाला एवं सिवरेज काफी पूर्व के बने हुए हैं, जिसके कारण उससे जल निकासी नहीं हो पाती है और हर बरसात में जल-जमाव हो जाता है ।

अतः मधुबनी नगर क्षेत्र में सुव्यवस्थित नाला एवं सिवरेज का निर्माण कराया जाय।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी के डाकबंगला रोड में बारी फार्मेसी के पास मुख्य नाला लगभग 50 वर्षो से निजी जमीन में बह रहा था । उसके बंद हो जाने से जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है ।

जनहित में अविलम्ब जल निकासी हेतु नाला निर्माण की माँग सरकार से करता हूँ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नगर परिषद् स्थित खाली पड़े गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि प्रशासनिक पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई । अवैध रूप से निरन्तर कब्जा जारी है ।

जनहित में अविलम्ब अवैध कब्जा पर रोक लगाने की माँग सरकार से करता हूँ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र जिला स्कूल के हॉस्टल में प्रारम्भ हो गया है, जमीन उपलब्ध नहीं होने से भवन की प्रक्रिया लंबित है, जिससे अगामी सत्र में शैक्षणिक परेशानी होगी ।

छात्र हित में सरकार शीघ्र जमीन उपलब्ध कराये, ताकि भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड में भादा चौक एस०एच० रोड से दामोवृति एवं अन्य ग्राम में जाने हेतु बमनाहर पर कच्ची रोड है । जो बरसात के दिनों में बन्द हो जाती है । हरसिद्धि से जाने हेतु मात्र यही रोड है ।

अत: सरकार जनहित में उक्त रोड का निर्माण करावे ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत फेनहारा प्रखण्ड को रतनवा गाँव से जोड़ने वाली सड़क पिछले 10 वर्षो से काफी जर्जर हालत में है । जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

अत: जनहित में उक्त सड़क निर्माण की माँग करता हूँ ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के 305 किसानों का 3 करोड़ 30 लाख मूल्य का बासमती धान दो वर्ष पहले कोलकाता के व्यापारी निलान्द्री गुप्ता एवं कौशीक गुप्ता द्वारा खरीदारी की गयी । अभी तक किसानों के धान का भुगतान नहीं हुआ है ।

अत: मैं माँग करता हूँ कि किसानों के धान का मूल्य यथाशीघ्र भुगतान कराया जाय ।

श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के नगर पंचायत चकिया ने सभी वार्ड में विद्युतिकरण करने के लिए विद्युत विभाग को वित्तीय वर्ष 2015-16 में 34 लाख रूपये दिया, पर अभी तक कार्य नहीं हो सका है ।

अत: सरकार से माँग करता हूँ कि विद्युतिकरण कार्य पूर्ण कराया जाए ।

सुश्री पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा बिना निविदा प्रकाशित किए, होमगार्ड कार्यालय का भवन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के भवन का मरम्मति कार्य एवं समाहरणालय परिसर में शौचालय निर्माण किया है, बिना निविदा के कार्य की जाँच कराने की माँग करती हूँ ।

श्री मो० नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में वर्ष 2017 की इन्टरमिडियट परीक्षा में अधिकांश छात्र एडमीट कार्ड नहीं आने से परीक्षा से वंचित है । जबकि परीक्षा शुल्क एवं फार्म कॉलेज में जमा था ।

मैं सदन के माध्यम से इसी वर्ष छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की माँग करता हूँ ।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, प्रखण्ड मुशहरी एवं प्रखण्ड बोचहाँ के प्रखण्ड शिक्षकों एवं शिक्षककर्मी को चार महीनों से वेतन नहीं मिला है । शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों में हाहाकार है ।

अत: शिक्षकों एवं शिक्षककर्मी के लंबित वेतन की भुगतान अविलम्ब किये जाने की माँग करती हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर के तरारी के माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों के लिए वर्ष 2016-17 के लिए मुख्यमंत्री विकास निधि से पुस्तकें भेजने की अनुशंसा आज तक संबंधित वरीय अधिकारियों की मनमानी के कारण नहीं हो सकी है, दोषियों पर कार्रवाई की माँग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में मानदेय कर्मी सरकारी कर्मचारी का दर्जा हासिल करने के लिए संघर्षरत है, सरकार उन्हें यह दर्जा तो नहीं दे रही है लेकिन उनके नगर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, या तो सरकार उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दे अथवा चुनाव पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड के पंचायत दरौली में मनरेगा योजनान्तर्गत चौदह सौ कार्य दिवस पूर्ण है, लेकिन मजदूरी भुगतान नहीं हुआ, जिससे मजदूर भूखमरी के शिकार है ।

अतः दरौल पंचायत के मजदूरों को मजदूरी तत्काल भुगतान कराने की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण बिहार राज्य के अंदर बी०पी०एल० तथा ए०पी०एल० परिवार में काफी संख्या में वयोवृद्ध, विधवा तथा विकलांगों का नाम वृद्धा, विधवा तथा विकलांगता पेंशन की सूची में नहीं है ।

अतः छूटे सभी व्यक्तियों को पेंशन देने का आग्रह सरकार से करता हूँ ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय के मौसमी डी०डी०टी० छिड़काव कर्मचारी संघ द्वारा दायर याचिका मिसलिनियस जुडिक्सन केश नं०-4962/2013, सी०डाब्लू०जे०सी० 20589/2012, एवं 9544/2015 दिनांक 14.09.2016 में पारित आदेश को शीघ्र लागू करवाने हेतु सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर के कबिलपुर निवासी मनोज चौधरी को लहेरिया सराय टावर के नजदीक दिन-दहाड़े पेट्रोल छीटकर जलाया गया, जिनकी मृत्यु 30 मार्च, को हो गई, मृतक के आश्रितों को 25 लाख मुआवजा, केस का स्पाडीट्रायल कर, जल्द से जल्द दोषियों को सजा एवं उच्चस्तरीय जाँचकर सम्बधित दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की माँग करता हूँ ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के अन्तर्गत सजौर बाजार घनी आबादी का क्षेत्र है जहाँ उपस्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर के अभाव में मरीजों को अपार कठिनाई हो रही है।

अतएव वहां मैं सरकार से अतिशीघ्र MBBS डॉक्टर के पदस्थापन की माँग करता हूँ ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार में स्प्रिट का प्रयोग अस्पतालों के लैब, ऑपरेशन, विद्यालय एवं कॉलेज के प्रयोशाला, मच्छर मारने हेतु दवा के रूप में तथा अलता के उत्पादन में

उपयोग होता है । अप्रैल, 2016 से शराब बंद होने से स्प्रीट उक्त कार्य हेतु अनुपलब्ध है । इसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कटिहार सहित उत्क्रमित शहरी निकायों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर लेने से किसान परेशान हैं एवं आर्थिक बोझ से पीड़ित हैं।

अतः सरकार शहरी निकायों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि को सम्पत्ति एवं अन्य करों से मुक्त करें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिले के बैंकुण्ठपुर, सिधवलिया, आर बरौली प्रखंडों सहित सम्पूर्ण जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन राशन कार्ड के सर्वे तथा गरीबों को मिलने वाली राशि किरासन में बड़े पैमाने पर अधिकारियों द्वारा धांधली और गबन की गई है । सरकार विशेष जॉच दल गठित कर अविलम्ब जॉंचोपरान्त कार्रवाई करें ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवाड़ा निवासी रामावतार साह जो नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीव्युसन कम्पनी दरभंगा के अधीन कार्यरत है । उनका 12 फरवरी, 2017 को अपने काम के दौरान करंट लग गया । इनकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इनके इलाज की जिम्मेदारी नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीव्युसन कम्पनी को उठाने की मॉंग करता हूँ ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पटना नगर निगम के वार्ड-48, सैदपुर, नंदनगर कॉलोनी, शिवम् अपार्टमेन्ट के पास पिछले एक माह से नाला निर्माण हेतु सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया । जिसके कारण कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है।

अतः इसे शीघ्र पूरा कराने हेतु सरकार से मॉंग करता हूँ ।

अध्यक्ष : संजय जी, क्या कह रहे थे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आज दरभंगा बन्द है । दरभंगा शहर के कबिलपुर निवासी मनोज चौधरी को लहेरिया सराय टावर के नजदीक 25 मार्च को पेट्रोल छीट कर दिन-दहाड़े जला दिया गया, जिनकी मृत्यु 30 मार्च को हो गई । मृतक के आश्रितों को 25 लाख रू0 मुआवजा, केस का स्पीडी ट्रायल, जल्द से जल्द दोषियों को सजा एवं उच्चस्तरीय जॉंच कराकर संबंधित दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार धान खरीद में पूरी तरह विफल रही है, लक्ष्य का अब तक .....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, एक मिनट उनका सुन लीजिए ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, टी0ई0टी एवं एस0टी0ई0टी0 के शिक्षक लोग 27 मार्च से अनशन पर हैं .....

अध्यक्ष : इसको तो आप कई बार उठा चुके हैं ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार धान की खरीद में पूरी तरह विफल रही है । लक्ष्य का अभी तक 50 प्रतिशत भी खरीद नहीं हो पायी है और किसान लाचार होकर बिचौलिये के हाथ महोदय 1000, 1100 रू0 में बेचने के लिए मजबूर हैं । सरकार के अरंगेबाजी के कारण राज्य के लाखों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित हो गये हैं । हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार ने जो घोषणा किया था 1470/- रू0 प्रति क्विंटल धान खरीदने का, लेकिन वह धान खरीद नहीं पायी महोदय और आज भी किसान महोदय, आज 31 तारीख अन्तिम समय है और सरकार धान खरीद नहीं पायी महोदय तो क्या सरकार तिथि बढ़ाने का विचार रखती है । किसानों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है ।

(व्यवधान)

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : सभापति,प्राक्कलन समिति ।

श्री शशि कुमार राय,सभापति,प्रा0स0 : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्राक्कलन समिति का 159वां प्रतिवेदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत सदन पटल पर रखता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्ष : सभापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ।

श्री रमेश ऋषिदेव,सभापति,अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0क0स0 : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का 32वां एवं 33वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन निमयावली के नियम 267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 165 याचिकायें प्राप्त हुई ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....

टर्न-10/अंजनी/दि0 31.03.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमलोगों ने वक्तव्य सुना, हमलोगों ने उसका अध्ययन किया, शहरी उपभोक्ताओं पर सरकार ने बिजली का दर बढ़ा दिया है, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, अतः राज्य सरकार से मेरा आग्रह होगा कि .....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, ये तीन सदस्य और क्यों खड़े हैं ?

(इस अवसर पर भाजपा के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सूबे बिहार के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए तो हम चाहेंगे कि उस ध्यानाकर्षण को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । आज के लिए सूचीबद्ध जो भी ध्यानाकर्षण सूचनायें थीं, उन्हें प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंप दिया जाय । गैर सरकारी संकल्प । श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप सबों ने इच्छा जाहिर की थी और सरकार से मांग की थी कि इस विषय पर सरकार समीक्षा करके वक्तव्य दे, सरकार ने समीक्षा करके एक वक्तव्य दिया और अगर उसमें कुछ आपको कहना है तो उसको प्रोपर तरीके से लाइए। आप सभी पुराने सदस्य हैं और आप सभी अवगत हैं कि सरकार के वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद या पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं । मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको दूसरी और प्रक्रियायें उपलब्ध हैं, आप उसके माध्यम से लाइए । अभी आप ही लोगों का गैर सरकारी संकल्प है, उसमें तो हिस्सा लीजिए । इनलोगों को बैठाइए न । आप लोग बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सीट पर चले गये)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हमलोगों ने अध्ययन किया कि शहरी उपभोक्ताओं पर बिजली का दर बहुत अधिक बढ़ गया है तो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार उसपर पुनर्विचार करके कम करे, बगल के राज्य झारखंड में कम है और हमारा बिहार में ज्यादा हो जायेगा तो लगता है कि शहरी

उपभोक्ताओं के साथ सरकार नाइन्साफी कर रही है, इसी बात को हम सदन में रखना चाह रहे थे आपके माध्यम से और सरकार से आग्रह कि इसको सुधार करके फिर से लाने का काम करे ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब क्या हो गया, आप लोगों का गैर-सरकारी संकल्प नहीं है क्या ?

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, राज्य सरकार के फैसला से किसानों को लाभ होने वाला है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को किसानों का लाभ नहीं पच रहा है?

गैर-सरकारी संकल्प

क्रमांक-1-श्री लक्ष्मेश्वर राय

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखंड के छारापट्टी नहर चौक लौकही प्रखंड के शोलाडीह तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मति करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 12.95 किलोमीटर है, पथ का डी0पी0आर0 मरम्मति हेतु तैयार किया जा चुका है, निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, यह नेपाल सीमावर्त्ती इलाका का रोड है.....

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बोल दिया कि डी0पी0आर तैयार किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने इसके महत्व को देखते हुए डी0पी0आर0 बना लिया है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं । अभी आप अपने प्रस्ताव को वापस लीजिए ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-2-श्री मो0 आफाक आलम

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के कसबा कॉलेज चौक से पूरब गेरूआ पथ में कोसीघाट स्थित स्क्रू पाईल पुल 2(दो) वर्षों से जर्जर है, के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित स्क्रू पाईल पुल कसबा गेरूआ पथ के प्रथम किलोमीटर पर अवस्थित है, यह लगभग 16 वर्ष पूर्व सांसद निधि से बना है । भारी वाहन के दबाब के कारण यह स्क्रू पाईल पुल कमजोर हो चुका है परन्तु अभिस्तावित पुल के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग तीन किलोमीटर पर निर्मित पुल है । उक्त पुल के स्थान पर नया आर0सी0सी0 पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, उसके अगल-बगल से कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वही एक सिंगल रास्ता है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उस पुल को आर0सी0सी0 बनाया जाय और यही कहकर मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मो0 आफाक आलम जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-3-श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, असल में आपके संबंधित मंत्री उस सदन में व्यस्त हैं, आपका बाद में ले लेंगे ।

क्रमांक-4-श्री अभय कुमार सिन्हा

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत टिकारी प्रखंड में मोरहर नदी के पानी को लाव पईन, महमन्ना पईन एवं मऊ पईन में वितरित करने के लिए मोरहर नदी में बीयर बांध का निर्माण करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि टिकारी प्रखंड के अंतर्गत संकल्पाधीन वीयर स्थल के आठ किलोमीटर अपस्ट्रीम में लोवर मोरहर सिंचाई योजना के अंतर्गत वीयर तथा दस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में धाउ वीयर निर्मित है । संकल्पाधीन वीयर स्थल के डाउनस्ट्रीम में लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा निम्नसर वीयर, दौलतपुर वीयर, उचिता वीयर, क्षेजन वीयर एवं पंडितपुर वीयर का निर्माण भी किया गया है । संकल्पाधीन वीयर के निर्माण के फलस्वरूप इसके डाउनस्ट्रीम के वीयरों के कमांड क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता में कमी की संभावना के मद्देनजर

इसका निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि चूंकि अभी वीयर बांध का निर्माण वहां पर संभव नहीं है और यह लाव पईन और महमन्ना पईन अतिमहत्वपूर्ण पईन है, इसमें जो गाद भरा हुआ है, अगर उसकी उड़ाही सरकार द्वारा करा दी जाती है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा, इसी के साथ मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-5-श्री प्रकाश राय

(अनुपस्थित)

क्रमांक-6-श्री निरंजन कुमार मेहता

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड के झिटकिया कलौतहा पंचायत में छः बेड के अस्पताल का निर्माण करावे ।"

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड के झिटकिया कलौतहा पंचायत में सरकारी भवन नहीं है एवं इसके चार किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं आठ किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थित है। प्रश्नगत पंचायत में छः बेड अस्पताल बनाने की योजना नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लें।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जो आठ किलोमीटर, छः किलोमीटर के बारे में सूचना दी गयी है, वह गलत है । 12 किलोमीटर एवं 14 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालपाड़ा प्रखंड मुख्यालय से झिटकिया-कलौतहा की दूरी है.....

अध्यक्ष : वह आप अलग से मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि माननीय मंत्री जी इसपर विचार करें.....

अध्यक्ष : वह आप लिखकर दे दीजियेगा, माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, अभी आप अपने संकल्प को वापस लें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दूंगा, इसी के साथ मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-11/शंभु/31.03.17

क्रमांक-7-श्री नारायण प्रसाद

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, अभी माननीय मंत्री कौंसिल में गये हुए हैं।

अध्यक्ष : अभी आप रूक जाइये, आपका बाद में लेंगे, अभी माननीय मंत्री जी कौंसिल में हैं।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : 7 और 9 भी।

अध्यक्ष : ठीक है, 7 और 9 बाद में लिया जायेगा।

क्रमांक-8-श्रीमती एज्या यादव

श्रीमती एज्या यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीनगर प्रखंड के कसीनगर पंचायत के भोजलचक गांव में बौयॉ नदी पर पुल का निर्माण जनहित में करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल के एक तरफ लगभग 4 सौ मीटर कच्ची पथ के बाद बसावट मोगलचक अवस्थित है जिसको पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ से संपर्कता प्राप्त है। अभिस्तावित स्थल के दूसरी तरफ लगभग 11 सौ मीटर कच्ची पथ के बाद बसावट बहादुरचक अवस्थित है। जिसको पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ से संपर्कता प्राप्त है। अभिस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम में 4 कि0मी0 पर तथा डाउन स्ट्रीम में डेढ़ कि0मी0 पर पुल पूर्व से निर्मित है। अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्रीमती एज्या यादव : जब विचाराधीन नहीं है तो मैं संकल्प वापस लेती हूँ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती एज्या यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-10-श्री मो0 नवाज आलम

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के आरा नगर निगम अन्तर्गत मोती सिनेमा रोड, मठिया रोड, सदर अस्पताल रोड, शिवगंज रोड के जल जमाव से निजात हेतु मोती सिनेमा से मठिया रोड शिवगंज रोड होते नहर तक नाला निर्माण करावे।''

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विभिन्न नगर निकायों में जल जमाव की समस्या को दूर करने हेतु सभी नगर निकायों से बड़े और फुल नालों का

डी0पी0आर0 विभागीय पत्रांक 9331, दिनांक 15.12.2016 द्वारा मांगा गया है। इसके आलोक में नगर निगम आरा के पत्रांक 2, नगर निगम दिनांक 18.02.2017 द्वारा कुल 1 अरब 12 करोड़ 39 लाख 11 हजार 5 सौ 30 रूपये मात्र का कुल 12 प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता के आलोक में अति आवश्यक योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री मो0नवाज आलम : महोदय, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि यह पूरे शहर के जल जमाव का सेंसेटिव मैटर है। इसको थोड़ा जल्दी टेकअप कर लिया जायेगा। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मो0 नवाज आलम जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–11–श्री मुजाहिद आलम

श्री मुजाहिद आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत मोजाबारी से गाछपाड़ा बांध (4कि0मी0) का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करावे।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत मोजाबारी से गाछपाड़ा बांध 4 कि0मी0 का विगत बाढ़ अवधि में आंशिक क्षरण हुआ था जिसे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है तथा कराया गया कार्य वर्तमान में प्रभावी है। विषयक बांध अपने पुल सेक्शन में है। वहां वर्तमान में बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जिसके कारण इस बार भयंकर बाढ़ में भी किशनगंज जिला– जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जो बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ। अभी मैं पिछले दिनों वहां गया था बाढ़ से कटाव भी हो रहा है, अगर उसका मरम्मतिकरण नहीं कराया गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जायेगी और जैसा मुझे विभागीय पदाधिकारियों ने जानकारी दिया उसका मामला नाबार्ड में प्रस्ताव दिये हैं और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इसपर विचार करें और मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मुजाहिद आलम जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–12–श्री सरोज यादव

श्री सरोज यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड अन्तर्गत पकड़ी पंचायत के मिल्की मुख्य पथ के मिल्की मुस्लिम बस्ती गड्ढा में पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड अन्तर्गत पकड़ी पंचायत के मिल्की ग्राम तक नाबार्ड योजना अन्तर्गत सरैया पी0डब्लू0डी0 पथ से मिल्की ग्राम तक पथ वर्ष 2007-08 में निर्मित है, जो जर्जर स्थिति में है। प्रस्तावित पुलिया इस पथ पर नहीं है। इसी पथ से अलग आरेखन में एक पगडंडी में गड्ढा है जो ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत नहीं है। प्रस्तावित पुलिया निजी जमीन में है। ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर ही विभाग पुल का निर्माण कराता है। वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, डा0 अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

श्री सरोज यादव : मैं तो वापस लूंगा माननीय मंत्री जी लेकिन आपसे आग्रह है कि वहां सरकारी जमीन है, जस्ट रोड के बगल में है। वहां पर लोगों को आने जाने में पिछड़े क्लास के, अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं, आने जाने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सरोज यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक-13-श्री विजय कुमार खेमका</u>

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर बिहार का सीमावर्त्ती क्षेत्र सीमांचल की हृदयस्थली पूर्णियां जिला मुख्यालय में पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित कराने हेतु केन्द्रीय कानून मंत्रालय से सिफारिश करे।''

श्री कृष्णनन्दन प्र0वर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों का गठन एवं संगठन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में वर्णित संघ सूची के क्रम संख्या 78 में है। जो कि संघीय विषय है एवं केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। माननीय उच्च न्यायालय पटना से आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार सिफारिश करने पर विचार करेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, यह क्षेत्र सीमावर्ती है, साढ़े तीन सौ कि0मी0 से ज्यादा पड़ता है पटना आने में.....

सभापति(डा0अशोक कुमार) : माननीय मंत्री ने कह दिया न कि सरकार विचार करेगी।

श्री विजय कुमार खेमका : मैं आग्रह करूँगा माननीय मंत्री जी से कि उस क्षेत्र में उसके लिए अनुशंसा करें, उच्च न्यायालय से भी वार्त्तालाप करके अनुशंसा करें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री विजय कुमार खेमका जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-14-श्री रमेश ऋषिदेव

श्री रमेश ऋषिदेव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखण्ड प्रखंड के मुख्यमंत्री सड़क रानीपट्टी वेतरणी नहर गोपालपुर से टेगरहाँ होते हुए एस0एच0 रोड लक्ष्मीनियाँ तक कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ के नाम का कोई पथ कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 में शामिल नहीं है। अभिस्तावित पथ के बसावटों यथा गोपालपुर महादलित टोला, टेंगरहाँ, लक्ष्मीनियाँ को विभिन्न पथों से संपर्कता प्राप्त है। अभिस्तावित पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री रमेश ऋषिदेव : जी वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री रमेश ऋषिदेव जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-15-श्रीमती समता देवी

श्रीमती समता देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड के बाराचट्टी जी0टी0 रोड ब्लॉक मोड़ से बाजू में महादलित टोला होते हुए चौआरी से लाडू तक कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, प्रश्नाधीन ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बालूकलां से लाडू तक पथ का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस पथ के बाजूकलां महादलित टोला चौआरी एवं लाडू को एकल संपर्कता प्राप्त है। पथ की पैकेज सं0-बी0आर012आर0557 है। वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगी।

श्रीमती समता देवी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ।

सभापति(डा0अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0श्रीमती समता देवी जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न–12/अशोक/31.03.2017

क्रमांक–16–श्रीमती सुनीता सिंह

श्रीमती सुनीता सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेलसंड प्रखंड के डुमरा ननौर पंचायत के ननौरा गॉव में पुरानी बागमती नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावे ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल पचौर से ननौरा पी.एम.जी.एस.वाई. पथ के रेखांकन पर है जिसकी लम्बाई 3.19 कि.मी. है, संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा को विखंडित कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है जो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है पथ के रेखांकन पर बागमति नदी के नई धार एवं पुराने धार क्रमशः 120 मीटर लम्बे एवं 60 मीटर लम्बे पुल की आवयकता हैं जिसे पी.एम.जी.एस.वाई. में प्रस्तावित किया गया है । भारत सरकार के स्वीकृति उपरान्त पुल का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती सुनीता सिंह : महोदय, डुमरा–ननौरा में पुल नहीं रहने के कारण लोगों को परेशानी होती है महोदय, बेलसंठ नक्सल एवं बाढ़ प्रभावित एरिया है, पुल होना अतिआवश्यक है ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेती हैं ?

श्रीमती सुनीता सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्रीमती सुनीता सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–17– श्री अशोक कुमार

श्री अशोक कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड में सासाराम लखउसराय से खोमरिया घट होते हुए एन. एच. तक पथ का निर्माण करावे ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह हैं रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड में सासाराम लखउसराय घाट होते हुए एन.एच. तक पथ की लम्बाई 01 कि.मी. है इस पथ के बीच में कोई बसावट नहीं हैं, लखउसराय बसावट शहरी क्षेत्र में आता है, वह शेरशाह मकबरा से कादिरगंज पथ द्वारा सम्पकर्ता प्राप्त है, ग्रामीण कार्य विभाग का लक्ष्य राज्य के सभी ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करना है । वर्णित परिस्थिति मानीय सदस्य से अनुरोध हैं इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार : मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्री अशोक कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय शिक्षा मंत्री, अभी यहां है नहीं, आगे बढ़ता हूँ । माननीय सदस्या श्रीमती आशा देवी ।

<u>क्रमांक-19-श्रीमती आशा देवी</u>

श्रीमती आशा देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह माननीय विधान सभा सदस्यों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनहित में सड़क एवं नाले निर्माण कार्य हेतु माननीय सदस्य की अनुशंसा की व्यवस्था लागू करे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत सड़क एवं नाल निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है । योजनाओं का दोहरीकरण न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अनुमान्य योजनाओं की सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सड़क एवं नाली निर्माण की योजना को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

सभापति(डॉ अशोक कुमार): माननीय सदस्या, जिन्होंने प्रस्ताव किया है उनको तो बोलने दीजिये न, माननीय नंद किशोर जी ।

श्री नंद किशोर यादव : कोई विचाराधीन नहीं है । इन्होंने प्रस्ताव दिया है जोड़ने के लिए, इसको आप जोड़ लीजिये ।

(व्यवधान)

सभापति(डॉ अशोक कुमार): ठीक है, अब आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सारे विधायकों का का मैटर है, महोदय, जब क्षेत्र में जाते हैं जनता को क्या चाहिए काम चाहिए, कहावत है कि काम प्यारा होता है न कि चाम, काम प्यारा होता है, माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सात निश्चय(व्यवधान) महोदय, एक विधायक नाली, गली की समस्या सौल्भ नहीं करेगी तो क्या करेगी ? माननीय मंत्री से कहना चाहती हूँ कि सात निश्चय में माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ सात निश्चय में विधायक लोग अनुशंसा करें मुख्यमंत्री शहरी विकास भी खत्म हो गया क्षेत्रीय विकास में नाली, रोड नहीं बना, क्या करें, माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें

सभापति(डॉ अशोक कुमार): आपना प्रस्ताव वापस लेंगी ?

श्रीमती आशा देवी : मंत्री जी कुछ बताये, इस पर कुछ जवाब दें, सात निश्चय में विधायक लोग अनुशंसा करें ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): प्रस्ताव को क्या करना है ? वह तो बोलिये ।

श्रीमती आशा देवी : मंत्री जी कुछ बताये ।(व्यवधान) मंत्री महोदय से मैं कहना चाहती हूॅ इस पर विचार तो करें सात निश्चय में,नली, गली की बहुत समस्या है । ठीक है मंत्री महोदय इस पर विचार करें हम तो वापस ले ही लेंगे । वापस ले लिये लेकिन विचार किया जाय ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0 श्रीमती आशा देवी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-20- श्री राम विशुन सिंह</u>

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सासाराम मुख्य पथ के गटरिया पुल से बलुआ टोला होते हुए पचरी फाल तक नहर का पक्कीकरण करावे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सोन पश्चिमी मुख्य नहर, आरा मुख्य नहर एवं इससे नि:सृत वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन(DPR) तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को समर्पित है । संकल्पाधीन भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सासाराम मुख्य पथ के गटरिया पुल से बलुआ टोला होते हुए बचरी फॅाल तक नहर का पक्कीकरण कार्य भी वर्णित विस्तृत येाजना प्रतिवेदन में शामिल है । केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यान्वयन कराया जाएगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राम विशुन सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूॅ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्री राम विशुन सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग को दूसरे सदन में जाना है इसलिये उनसे संबंधित प्रस्तावों को मैं पहले लेता हूॅ ।

<u>क्रमांक-29-श्री अमित कुमार</u>

श्री अमित कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

यह सभी राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुप्पी प्रखंड स्थित गम्हरिया बैरेज का जीर्णोद्धार कराकर उसे चालू करावे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बागमती बहुद्येशीय परियोजना के सिंचाई अवयव के अन्तर्गत भारत नेपाल सीमा के नीचे ढेंग रेलवे ब्रीज से 3.00 कि.मी. डाउन स्ट्रीम में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड के गम्हरिया ग्राम के पास रामनगर में बागमती नदी पर बराज का निर्माण प्रस्तावित था, परन्तु प्रस्तावित बराज का निर्माण नहीं हो पाया ।

वर्त्तमान में बागमती सिंचाई परियोजना, फेज-1 के तहत ढेंग रेलवेब्रीज के पास बराज का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिये डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अमित कुमार : में वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्री अमित कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30-श्रीमती लेशाी सिंह

सभापति(डॉ अशोक कुमार): अनुपस्थित ।

क्रमांक-46-श्री शमीम अहमद

श्री शमीम अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिले के छोड़ादानों प्रखंड अंतर्गत पी.डब्लू.डी. रोड लखौरा-नरकटिया दुहो-सूहो नहर पर खैरवा, मुड़ली, श्रीपुर होते हुए छोड़ादानों चिरान तक (रक्सौल-घोड़ासाहन मेन कैनाल तक) सड़क का निर्माण करावे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चमपारण जिला अन्तर्गत घोड़ासहन शाखा नहर के वि0दू0 186.10(दायां) से मधुबन उपवितरणी निःसृत है । मधुबन उपवितरणी के वि0दू0 6.80(दायॉ) से लखौरा उपवितरणी निःसृत है ।

प्रश्नगत सड़क छोड़ादानों प्रखण्ड में खैरवा, मुड़ली, श्रीपुर होते हुए छौड़ादानों चिरान तक जाने वाली मधुबन एवं लखौरा उपवितरणी के बायॉ बांध पर स्थित नहर का सेवा पथ है

इस सेवा पथ की सम्मिलित लम्बाई 235.30 आर.डी.(7.71) कि.मी.) है । वर्त्तमान में इसकी स्थिति ठीक है ।

नहर के सेवा पथ का उपयोग नहर निरीक्षण हेतु किया जाता है ।

जल संसाधन विभाग द्वारा आवागमन हेतु सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है।

अगर प्रश्नगत नहर बांध पर सड़क निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर विभाग द्वारा विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री शमीम अहमद : सभापमि महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्री शमीम अहमद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्नः 13/ज्योति/31-03-2017

क्रमांक-60-श्रीमती गायत्री देवी

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखंड अन्तर्गत रजवाड़ा होकर बहने वाली बांके नदी पर जर्जर सुलिस गेट का पुनर्निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के रजवाड़ा होकर बहने वाली बांके नदी पर निर्मित गेट युक्त वियर संरचना जल संसाधन विभाग का नहीं बल्कि यह लघु सिंचाई प्रमंडल, सीतामढ़ी का है । इस प्रकार यह संरचना लघु जल संसाधन विभाग का है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, वापस तो लेना ही है । 3 करोड़ की लागत से स्लुईस गेट बना हुआ है पॉच साल पहले लेकिन वह नीचा है । जमीन जो खेत में पानी जाता है जिससे स्लुईस गेट नीचा है जमीन ऊपर है किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि इसको थोड़ा करवा दिया जाय । मैं आपसे आग्रह करती हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): प्रस्ताव वापस लेती हैं वह बताईये ?

श्रीमती गायत्री देवी : प्रस्ताव तो वापस लेती हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्रीमती गायत्री देवी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक-63-श्री दिनकर राम

श्री दिनकर राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चैनल बनाकर छितरा गयी लखनदेई नदी की धारा को मुख्य धारा में लावे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लखनदेई नदी की मृतप्राय पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने अर्थात चैनल बनाकर लखनदेई नदी की नयी धारा को पुरानी मुख्य धारा में लाने हेतु 1560.29 लाख रुपये की विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किया गया है ।

उक्त योजना के तहत लखनदेई नदी की नई धारा को 3 कि0मी0 लम्बा चैनल बनाकर पुरानी धारा से जोड़ते हुए पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने तथा पुरानी धारा को सोरम नदी के संगम तक लगभग 18.27 कि0मी0 की लम्बाई में नदी उड़ाही कर लखनदेई नदी को मुख्य धारा में लाने का कार्य प्रस्तावित है ।

उक्त योजना की आवश्यक स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराये जाने का कार्यक्रम है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री दिनकर राम : मैनें वापस ले ले लिया लेकिन कम से कम बिहार सरकार ..

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : इसके बाद भाषण्ण दे रहे हैं तो कहेंगे कि दो साल के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में ..

श्री दिनकर राम : वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्री दिनकर राम जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक 65 श्रीमती रंजु गीता</u>

श्रीमती रंजु गीता : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बंगराहा ग्राम में अघवारा नदी पर कृषि सिंचाई हेतु बराज सह उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल पहुंच पथ के साथ निर्माण की स्वीकृति प्रदान करे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बंगराहा ग्राम के अघवारा नदी का स्वरुप ''V'' आकार में बहुत गहराई में है । इस स्थल के अपस्ट्रीम में दायां बांध में 1200 फीट एवं वायॉ बांध में 1500 फीट की दूरी पर जल जमाव क्षेत्र(चौर) के पानी की निकासी के लिए स्लूईस गेट निर्मित है ।

अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, नहर प्रमंडल, ढाका द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार इस स्थल को बराज निर्माण के लिए तकनीकी रुप से संभाव्य नहीं पाया गया है ।

फिर भी विभागीय पत्रांक 264 दिनॉक 08-03-2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन , जल संसाधन विभाग, पटना तथा मुख्य

अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी को तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है ।

तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती रंजु गीता : महोदय, मैं मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्रीमती रंजु गीता जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक-83-श्री सीताराम यादव

श्री सीताराम यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जयनगर किंग्स नहर के सेवा पथ को जयनगर से बेलौना गांव (बासोपट्टी प्रखंड) तक कच्ची सड़क का पक्कीकरण करावे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत किंग्स नहर, कमला पश्चिमी मुख्य नहर के चेन 53.00 से निःसृत है । उक्त नहर की कुल लम्बाई (जयनगर से बेलौना गांव तक) 590.00 चेन है ।

प्रश्नगत नहर के सेवा पथ का उपयोग नहर निरीक्षण हेतु किया जाता है ।

जल संसाधन विभाग द्वारा आवागमन हेतु सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है।

श्री सीताराम यादव : महोदय, बहुत ही यह सड़क बनना जनहित में आवश्यक है चूँकि बेनीपट्टी कलुआही जयनगर और बासोपट्टी चार चार प्रखंड को यह नहर जोड़ती है यह यदि बन जाय तो जनता के हित में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करुंगा कि नहीं यदि बनावें तो कम से कम एरीगेशन डिपार्टमेंट नहीं बनावे तो रोड डिपार्टमेंट को ये लिखकर दे दें अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्रामीण कार्य विभाग को ।

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : मैंने कहा है कि पथ निर्माण विभाग अगर मांगेगा अनापत्ति पत्र तब न देंगे ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): प्रस्ताव वापस लेंगे न ?

श्री सीताराम यादव : जी, वापस लिया ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्री सीताराम यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक-88- श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती गुलजार देवी: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है वह सुपौल एवं मधुवनी जिलान्तर्गत सिकरहट्टा बेला मझारी गढ़गांव निम्न कोसी बांध का विस्तारीकरण गढ़गांव से आगे 5 किलोमीटर तक करे । ''

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : महोदय, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण वीरपुर परिक्षेत्राधीन पूर्व निर्मित विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध का लगभग 5 कि0मी0 की लम्बाई में विस्तारीकरण पर विस्तृत सर्वेक्षण कराकर इसकी तकनीकी सम्भाव्यता के आलोक में योजना समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक-1437 दिनॉक 28-03-2017 के द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियिंत्रण एवं जल निस्सरण वीरपुर को निदेशित किया गया है ।

श्रीमती गुलजार देवी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से श्रीमती गुलजार देवी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक -102-श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कू सिंह</u>

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कू सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड के मनोर नदी से मलकौली, दरदरी एवं पंचफेड़वा गांव को कटाव से बचावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह , मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड में मलकौली एवं दरदरी गांव मनोर नदी के किनारे तथा पंचफेड़वा गांव भबसा नदी के किनारे अवस्थित है । वर्तमान में वहॉ कटाव नहीं हो रहा है ।

मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-1415, दिनॉक 27-03-2017 से बाढ़ अवधि में उक्त स्थल की सतत् निगरानी एवं चौकसी रखने एवं आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुंरक्षित रखने हेतु निदेशित किया गया है ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कू सिंह : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कू सिंह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमॉक -109-श्री शम्भूनाथ यादव</u>

श्री शम्भूनाथ यादव : महोदय, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ काम मेरे यहॉ शुरु हो गया है और एक साथ में, आग्रह करना चाहता हूँ महोदय, कि 100 मीटर और बढ़ा दिया जाता ।

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : पहले संकल्प वापस लीजिये न तब 100 मीटर का करियेगा ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, मैं अपनी बात बता रहा हूँ । नाराज क्यों हो रहे हैं ।

श्री राजीव रंजन सिंह,मंत्री : नाराज कहॉ हो रहे हैं ।

श्री शम्भू नाथ यादव : हम अपना प्रस्ताव ले रहे हैं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : धन्यवाद के साथ अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री शम्भ नाथ यादव : मैं धन्यवाद दे रहा हूं अपनी बात बता रहा हूँ तो आप घबड़ा रहे हैं । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0 श्री शम्भूनाथ यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-114-श्री अरुण कुमार सिन्हा

श्री अरुण कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कुम्हरार ट्रांसपोर्ट नगर एवं बाजार समिति में अधूरे सम्प हाउस निर्माण कार्य को पूरा करावे ।''

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 262 दिनाँक 22-03-2017 एवं आवंटन आदेश संख्या 263 दिनाँक 22-3-2017 द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में अधूरे सम्प हाउस निर्माण को पूर्ण करने हेतु 1 करोड़ 86 हजार रुपये मात्र की योजना स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण राशि आवंटित कर दी गयी है । इस योजना की कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य जल पर्षद पटना को बनाया गया है । बाजार समिति कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन है इसके आलोक में बाजार समिति में पूर्व से निर्मित सम्प हाउस के जीर्णोद्धार हेतु विभागीय पत्रांक 847 दिनाँक 9-2-2012 द्वारा कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है अत: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री अरुण कुमार सिन्हा : बहुत, बहुत धन्यवाद देते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0 श्री अरुण कुमार सिन्हा प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-14/31.3.2017/बिपिन

क्रमांक-115-श्री अनिल कुमार यादव

श्री अनिल कुमार यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के सुरसर नदी पर अचरा में सुलिश गेट का निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: महोदय, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा को विभागीय पत्रांक 343 दिनांक 29.03.2017 से प्रश्नगत स्थल पर सिंचाई कार्य हेतु स्लूइस गेट निर्माण की संभाव्यता की जाँच कर प्रस्ताव/प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है । मुख्य अभियंता से प्रस्ताव/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अनिल कुमार यादवः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्री अनिल कुमार यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-123- श्री रत्नेश सादा

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): अनुपस्थित ।

क्रमांक-127- श्री अशोक कुमार सिंह

श्री अशोक कुमार सिंहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में कर्मनाशा नदी के ढडहर पंचायत में ढडहर ग्राम के पास पम्प कैनाल लगाकर लगभग डेढ़ कि0मी0 कर्मनाशा नहर में पानी गिराकर असिंचित खेतों की सिंचाई करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः महोदय, संकल्पाधीन कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत कर्मनाशा नदी पर पम्प नहर योजना निर्माण के संबंध में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को विभागीय पत्रांक 480 दिनांक 23.03.2017 द्वारा तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार सिंहः माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0 श्री अशोक कुमार सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30-श्रीमती लेशी सिंह

श्रीमती लेशी सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियॉ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड अधीन दमैली फरियानी बॉध के 62 आर.डी. से 65 आर.डी. के बीच पुल निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है । विशेष परिस्थिति में पूर्णियॉ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड अधीन दमैली फरियानी बॉध के 62 आर.डी. (18.90कि.मी.) से 65 आर.डी. (19.82कि.मी.) को जोड़ने हेत एवं तटबंध के निरीक्षण तथा बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों को ससमय सुचारू रूप से ले जाने हेतु एकपथीय स्क्रुपाईल सेतू का निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा दिनांक-06.11.2013 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में सैद्धान्तिक सहमति होने के उपरान्त विस्तृत योजना प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कटिहार द्वारा तैयार करने के क्रम में है ।

इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1435 दिनांक-27.03.2017 द्वारा मुख्य अभियंता, कटिहार को विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती लेशी सिंहः माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0स0श्रीमती लेशी सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-123-श्री रत्नेश सादा</u>

श्री रत्नेश सादाः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत प्रखंड-सोनवर्षा के पंचायत-वीराटपुर के भादा जल सीमा से पानी निकासी हेत ड्रेनेज का निर्माण करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः महोदय, संबंधित कार्य, भादा चौर एवं हरिपुर लिंक ड्रेन जल निस्सरण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई कोशी काडा, सहरसा द्वारा की जा रही है । काडा के निरसन के पश्चात् सम्बन्धित सिंचाई सृजन प्रमण्डल इस कार्य को सम्पन्न करेगा और वर्ष 2017-18 में सम्पादित कर लिया जायेगा।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादाः सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से मा0 स0श्री रत्नेश सादा जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-21-श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव</u>

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दनियावा, एकंगरसराय पथ स्थित रामबाबू हाई स्कूल के निकट रेल के फाटक पर आर.ओ.बी. का निर्माण हेतु केन्द्र सरकार रेल मंत्रालय से सिफारिश करे ।''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्रीः महोदय, दनियावॉ-एकंगरसराय पथ स्थिति रामबाबु हाई स्कूल के निकट रेल के फाटक पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करेगी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादवः धन्यवाद मंत्रीजी ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-7- श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत पखनाहा बाजार सिंगही के सामने गंडक नदी में पीपा पुल का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत पखनाहा बाजार सिंगही से मात्र चार कि.मी. अपस्ट्रीम में पुजहा श्रीनगर एवं जगीराहा के बीच गंडक नदी पर पीपा पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है । इसलिए पखनाहा बाजार सिंगही के सामने गंडक नदी पर पीपा पुल का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नारायण प्रसाद: सभापति महोदय, जहां पर पुजहा परजीरवा की चर्चा कर रहे हैं वहां नदी की धारा बदल गई है और धारा सीधे निकल कर आ गई है सिंगही पखनाहा । चार कि.मी. पहले वह धारा सूख गई है । यदि उसी धारा का पीपा पुल को निकाल कर सिंगही में कर दिया जाता तो बैजुआ से सीधा संपर्क हो जाता और..

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): प्रस्ताव का क्या करना है, बताइए ।

श्री नारायण प्रसाद: प्रस्ताव वापस करता हूं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-9-श्री राम सेवक सिंह

श्री राम सेवक सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला में हथुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड फुलवरिया के ग्राम पंचायत राज गिदहा में भागीपट्टी-समउर पी.डब्लू.डी. पथ में ग्राम मगहा एवं डेरवा के बीच दुलारपुर वितरणी नहर पर स्थित पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, उक्त स्थान पर एक नये पुल का यथाशीघ्र निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: महोदय, गोपालगंज जिला के हथुआ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड फुलवरिया के ग्राम पंचायत राज गिदहा में नीमगंज बाजपट्टी समौर पथ के 21वें कि.मी. में जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक वितरणी नहर पर निर्मित पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । पुल की चौड़ाई मात्र 4.20मीटर है । पुल संकीर्ण रहने के कारण वाहनों के ठोकर लगने से पैरापेट वाल भी क्षतिग्रस्त हो गया है । यह पुल जल संसाधन विभाग द्वारा नहर पर निर्मित है । पुल के उपर से वाहनों का आवागमन चालु है । इस पुल का रख-रखाव पूर्व से जल संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाता था । परन्तु क्षतिग्रस्त पैरापेट

वाल की मरम्मती नहीं कराई गई है । मुख्य अभियंता उत्तर बिहार उपभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता पथ प्रमण्डल गांपालगंज को निर्देशित किया गया है कि जल संसाधन विभाग के स्थानीय कार्यपालक अभियंता को सूचना देते हुए सुरक्षा दृष्टिकोण से क्षतिग्रस्त पैरापेट वाल की मरम्मती तत्काल करा दें । इस स्थल पर एक 10मीटर लंबाई का 10मीटर चौड़ी पुल बनाने का आवश्यकता है । जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर अगले वित्तीय वर्ष में इस स्थल पर पुल का निर्माण करवाया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राम सेवक सिंहः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न : 15/कृष्ण/31.03.2017

क्रमांक-3-श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि
वह पटना के हार्डिंग पार्क में निर्माणाधीन आजादी पार्क में चम्पारण
सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल की आदमकद
प्रतिमा स्थापित करावे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद सिंह,मंत्री : सभापति महोदय, स्व0 महानुभावों की स्थापना हेतु अनुशंसा देने के लिये विभागीय संकल्प संख्या 730 दिनांक 30.04.2007 द्वारा राज्य स्तर पर राज्यस्तरीय अंतरविभागीय समिति एवं राजधानी पटना के लिये प्रमंडलीय आयुंक्त,पटना की अध्यक्षता में स्थल चयन समिति गठित है । पं0राजकुमार शुक्ल की आदमकद प्रतिमा स्थापित किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

अतः माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि चम्पारण सत्याग्रह का शताब्दि वर्ष बना रहा है और पं0 राजकुमार शुक्ल जिन के चलते गांधी जी महात्मा बने चम्पारण में आकर और उन की प्रतिमा नहीं लगाना, एक तरह से आजादी के जितने दिवाने थे, जिन्होंने ख्याति प्राप्त करने की दिशा में प्रेरणा दी ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : प्रस्ताव तो वापस लेंगे ही ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-5-श्री प्रकाश राय

सभापति (डा अशोक कुमार) : माननीय सदस्य,श्री प्रकाश राय अनुपस्थित

क्रमांक–22–(श्री सुदामा प्रसाद)

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है ।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के ग्राम तेतरडीह के महादलित मुहल्ले में सरकारी जमीन पर पक्की नाली का निर्माण कर पानी की निकासी की व्यवस्था करावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय मंत्री, पंचायती राज इसका जवाब देंगे ।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी,भोजपर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पीरो प्रखंड के ग्राम तेतरडीह के महादलित मुहल्ले में पानी निकासी हेतु मनरेगा के तहत नाली निर्माण की योजना ली गयी है एवं नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

श्री महबूब आलम : महोदय, 5 साल से दबंगों ने इस नाली को बंद कर रखा है । दलित का टोला है महोदय, अभी हाल में कार्य जरूर शुरू हुआ है। एक महीना के अंदर कार्य समाप्त करने की मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं । इसी के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री सुदामा प्रसाद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, शिक्षा मंत्री को भी दूसरे जाना है। इसलिये बीच बीच में लेते रहेंगे ।

(व्यवधान)

क्रमांक–23–श्री ललन पासवान

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखंड में स्थित कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित के नाम पर विख्यात रोहतासगढ़ किला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे । ''

श्रीमती अनीता देवी,मंत्री : सभापति महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखंड में स्थित कैमूर पहाड़ी पर विख्यात रोहतासगढ़ किला है, जो काफी प्रसिद्ध है । उक्त किला तक जाने के लिये रोप–वे का निर्माण योजना 12 करोड़ 65 लाख 15 हजार रूपये मात्र की स्वीकृति दी गयी है, जिस का कार्यन्वयन राईड सेलीमिडेट द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम

के माध्यम से किया जाना है । यह योजना विभिन्न अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है । पर्यटकों की अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिये निर्माण समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधाार पर चरणबद्ध रूप में किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैंने जो संकल्प दिया था, उस में राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के साथ-साथ लिखा हुआ था, जो कि गलत छपा है, मैंने सेक्रेटरी साहब से भी आग्रह किया था, मैंने राजकीय महोत्सव रोहित के नाम पर मनाने का आग्रह किया था । यह जो छूटा हुआ है, इस को भी सम्मिलित कर लिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री ललन पासवान जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-18-श्रीमती बेबी कुमारी

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समान काम के आधार पर समान वेतन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए नियोजित शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षकों के समरूप वेतनमान दे ।''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : सभापति महोदय, सभी कोटि के शिक्षकों को मूल नियमित शिक्षकों के सदृश वेतन के लिये संबंधित याचिकाकर्त्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 17176/2009, 20666/2014, 703/2017, 12611/2012 19301/2016, 1370/2017, 19840/2014 एवं 13307/2016 द्वारा याचिका दायर की गयी । संबंधित याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिये माननीय सदस्य से आगग्रह करते हैं कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, मैंने यह मांग इसलिए रखी है कि क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि समान काम के लिये समान वेतन दिया जाय । माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश बाध्यकारी है । नियोजित शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षकों के समरूप वेतनमान नहीं देना माननीय उच्चतम न्यायालय की अवहेलना है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्रीमती बेबी कुमारी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-24-श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्व मध्य रेल के डेहरी-बरवाडीह रेल खण्ड पर अंकोरहा स्टेशन से बाघा स्टेशन के बीच खैरा गांव के सामने सरदार पटेल हाल्ट खैरा को हाल्ट स्टेशन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे । ''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : सभापति महोदय, पूर्व मध्य रेल के डेहरी-बरवाडीह रेल खण्ड पर अंकोरहा स्टेशन से बाघा स्टेशन के बीच खैरा गांव के सामने सरदार पटेल हाल्ट खैरा को हाल्ट स्टेशन निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय,भारत सरकार से अनुरोध करेगी । यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकता है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह का प्रस्ताव सदन की सहमति से स्वीकृत हुआ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह : धन्यवाद ।

<u>क्रमांक-40-श्री जितेन्द्र कुमार</u>

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला के बिन्द प्रखंड के बिन्द उच्च विद्यालय के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार करावे । ''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : सभापति महोदय, राज्य संसाधन की उपलब्धता के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर नालन्दा जिले के बिन्द प्रखंड के बिन्द उच्च विद्यालय के जर्जर भवन का जिर्णोद्धार कार्य कराया जायेगा । इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा 29.03.2016 को इसी सदन में आश्वासन दिया गया था, जिस का आश्वासन सख्या-678/2016 है । आश्वासन दिया गया था कि इसी वित्तीय वर्ष में, जो वित्तीय वर्ष आज समाप्त होनेवाला है, निर्माण हो जायेगा । छात्र के हित में आवंटन देने की कृपा करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री जितेन्द्र कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-42-श्री रामनारायण मंडल</u>

श्री रामनारायण मंडल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि

वह राज्य के वित्तरहित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की बदहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु वित्तरहित विद्यालयों/महाविद्यालयों का सरकारीकरण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : सभापति महोदय, विभागीय संकल्प संख्या 538/दिनांक 19.05.2009 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुये स्थापना अनुमति के प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को एवं संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.01.2008 के आलोक में सम्बद्धता प्राप्त डिग्री माध्यमिक विद्यालय छात्राओं की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है। अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालयों की सरकारीकरण का कोई प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न-16/राजेश/31.3.17

श्री रामनारायण मंडल: अध्यक्ष महोदय, यह जो नीति है, यह राज्य सरकार बनाती है और नीति कोई ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है, सरकार बीच-बीच में समीक्षा करके सरकार इन नीतियों में बदलाव कर सकती है और इसको टेक-अप कर लेने से बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारी भूमि और बेरोजगार नौजवानों को नौकरी भी मिल जायगी और राज्य सरकार को उससे काफी धन की भी प्राप्ति हो जायेगी,, इसलिए बेरोजगार नौजवानों को कैसे सरकारी नौकरी मिले इसकी चिंता करनी चाहिए । वैसे सभापति महोदय, मेरी बाध्यता है और आपका भी आदेश है, तो इसे वापस लेना पड़ेगा लेकिन राज्य सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ुत ही महत्वपूर्ण सवालों को राज्य सरकार के सामने रखने का काम किया है । मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामनारायण मंडल जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-66-श्री आनंद शंकर सिंह</u>

श्री आनंद शंकर सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय स्थापित करावें ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि औरगांबाद जिला में संचालित हो रहे सभी महाविद्यालयों के लिए पूर्व से ही बोध गया एवं मगध विश्वविद्यालय, बोध गया संचालित है । मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के कार्य बोझ को कम करने के लिए इसे विभाजित कर पटना एवं नालंदा जिले के महाविद्यालयों के लिए

पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय स्थापना हेतु नियम प्रख्यापित हो चुका है । ऐसी स्थिति में औरंगाबाद जिला में एक अलग से विश्वविद्यालय स्थापना के लिए राज्य सरकार के समक्ष वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री आनंद शंकर सिंह: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-103-श्री विजय कुमार सिन्हा</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

'यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महिलाओं के उच्च शिक्षा हेतु लखीसराय जिला में एक महिला कॉलेज की स्थापना करावे।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना है, जहॉ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । लखीसराय में पूर्व से ही के0एस0एस0 कॉलेज, लखीसराय एक अंगीभूत महाविद्यालय संचालित हो रहा है, जहॉ छात्रों के साथ-साथ छात्राओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा है । लखीसराय में सम्प्रति महिला कॉलेज की स्थापना वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करुंगा कि वे अपना प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: सभापति महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा-बड़ा नारा इस सरकार की ओर से आता है, 23 साल से ज्यादा हो गया उस जिला का लेकिन एक महिला कॉलेज तक नहीं है । माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि आपका जो संकल्प था.....

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): इसमें जानना नहीं होता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: महोदय बताना तो पड़ेगा न कि सरकार का संकल्प हर जिला में एक महिला कॉलेज का और प्रखंड स्तर पर, जब ये चर्चा कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): आप अपने प्रस्ताव के बारे में कहिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: चूंकि महिलाओं के प्रति इस सरकार की उदासीनता है, इसलिए मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-108-श्री लाल बाबू राम

श्री लाल बाबू राम: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के कटेसर या बाजी बुजुर्ग पंचायत में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करावें ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना है, जहाँ पूर्व से डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में पूर्व से ही आर0सी0कॉलेज, सकरा अंगीभूत महाविद्यालय के रुप में संचालित हो रहा है । सरकार कटेसर या बाजी बुजुर्ग पंचायत में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । अत: हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वे अपना संकल्प को वापस लें ।

श्री लाल बाबू राम: सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-128-श्री सुभाष सिंह

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक-129-श्री यदुवंश कुमार यादव

श्री यदुवंश कुमार यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला स्थित बी0एस0एस0 महाविद्यालय, सुपौल में पी0जी0 की सभी विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है, विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार किसी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय ही सक्षम प्राधिकार है । राज्य सरकार के पास संभवत: बी0एस0एस0 कॉलेज, सुपौल में पी0जी0 का पढ़ाई प्रारंभ कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है । इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वे अपना संकल्प को वापस लें ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-25-डा0 राजेश कुमार

माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक-26-श्री मुन्द्रिका सिंह यादव

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत लाखापुर के धानाडिहरी से मसण्डा भाया वखियारपुर 03 कि0मी0 सड़क तक सड़क निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित पथ धानाडिहरी से वखियारपुर होते हुए मसण्डा तक जाता है । पथ की लंबाई ढ़ाई किलोमीटर है तथा लक्षित बसावट मसण्डा है । ग्राम वखियारपुर एवं ग्राम मसण्डा की आबादी क्रमश 258 एवं 181 है । राज्य में 47 आई0ए0पी0 प्रखंडों में 100 से लेकर 249 तक आबादी वाले बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये मापदंड अपनाया गया है । रतनी फरीदपुर प्रखंड भी उसी नये मापदंड में शामिल है । ओमास में धानाडिहरी से मसण्डा भाया वखियारपुर तक पथ की मैपिंग की कार्रवाई की जा रही है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं धन्यवाद के साथ अपना संकल्प को वापस लेता हूँ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मुन्द्रिका सिंह यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-27-श्री संजीव चौरसिया

श्री संजीव चौरसिया: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना स्थित दीघा आई0टी0आई0 कम्पलेक्स में एक रेफरल अस्पताल का निर्माण करावें ।''

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दीघ में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, दीघा कार्यरत है, वहॉ से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र बॉसकोठी है । आई0टी0आई0 के पास दीघा मुशहरी में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, इसलिए आई0टी0आई0 कम्पलेक्स में जमीन उपलब्ध होने पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करा दिया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें।

श्री संजीव चौरसिया: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि वहॉ जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहॉ पर सिर्फ ए0एन0एम0 की बहाली है, इसलिए उससे नहीं हो पायेगा, इसलिए आग्रह होगा कि रेफरल के दृष्टिकोण से अगर नहीं होगा, तो कम से कम एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का हम स्वागत करेगें, इस उम्मीद के साथ मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-17/सत्येन्द्र/31-3-17

क्रमांक-31-श्री शकील अहमद खॉं

श्री शकील अहमद खॉं: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के तैय्यबपुर ग्राम पंचायत के महानंदा नदी के बेनीबाड़ी रैयापुर घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल महानंदा नदी के मुख्य नदी पर है । जहां पर नदी की चौड़ाई लगभग 650 मीटर है । उक्त पुल स्थल के एक तरफ रैयापुर बसावट है । आर0सी0डी0 पथ से रैयापुर पथ की लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 है जो वर्त्तमान में किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । उक्त पुल के दूसरे तरफ पहुंच पथ की लम्बाई डेढ़ कि0मी0 है जिसमें कोई आबादी नहीं रहने के कारण किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शकील अहमद खॉं: महोदय, सरकार यह कहती है और सही कहती है कि पटना तक पहुंचने में 6 घंटे की जरूरत है लेकिन जो मेरा इलाका है वह 12 पंचायत का इलाका है, अगर ये पुल नहीं बना तो यहां आने में लगभग 10 घंटे लग जायेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 पंचायत के लोगों को पटना मुख्यालय तक इस पुल के नहीं बनने से 12-13 घंटे लगेंगे, प्लस वहां का जो प्रखंड है वहां आने में उनको 40 मिनट लगता है तो 12 पंचायत के लोगों का आवागमन गलत है वह रूका हुआ है और आराम से नहीं हो पाता है तो मुझको लगता है कि यहां नहीं है, वहां नहीं है, एकबाल का शेर एक सुन लीजिये-मैं तो बार-बार कहूंगा, नसेमन पर नसेमन पर, तु इस कदर तामिर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जायें । मैं दस बार क्वेश्चन करूंगा, आप इसको बनाने का संकल्प लीजिये और मुझे लगता है कि मुझे प्रस्ताव वापस करना है, जरूर करूंगा लेकिन इस पर ठीक से ध्यान दीजिये । धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-28-श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह तरैया, चंवलिया चक्की सुहागपुर फतेहाबाद पथ में गंडक नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित स्थल पर नदी की चौड़ाई लगभग 450 मीटर है । इस स्थल के एक तरफ बसावट फतेहाबाद को केवलपुरा से फतेहाबाद पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ के बसावट चक्की से घारपुर से फतेहाबाद से चक्की से घारपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय: संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-32-श्री सैयद अबु दौजाना

श्री सैयद अबु दौजाना: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत दीवारी मतौना पंचायत के मतौना गांव से पश्चिम मतौना टोला से पूरब बीच नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल नवाही से मतौना सड़क पर अवस्थित है । अभिस्तावित पुल के एक छोर पर मतौना गांव है जिसे पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ दीवारी मतौना से सम्पर्कता प्राप्त है तथा पुल के दूसरी छोर पर मतौना टोला है जिसे मतौना नवाही पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । इस स्थल के अप स्ट्रीम में ढाई कि0मी0 पर तथा डाउन स्ट्रीम में डेढ़ कि0मी0 पर पुल पूर्व से निर्मित है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सैयद अबु दौजाना: सभापति महोदय, दोनों छोर पर रोड बना हुआ है और बीच में पुल निर्माण है और इन दोनों गांव में पहुंचने के लिए डेढ़ घंटा लगता है और ढाई कि0मी0 पर पुल निर्माण नहीं हुआ है, छ: कि0मी0 पर पुल निर्माण है इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पुल का निर्माण कराया जाय और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-33-श्री मो0 नेमातुल्लाह

श्री मो0 नेमातुल्लाह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जंक्शन के पूरब वाले रेलवे क्रॉसिंग (सिसमन ढ़ाला) पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री: सीवान जंक्शन के पूरब वाले रेलवे क्रॉसिंग (सिसमन ढाला) पर आर0ओ0बी0 के निर्माण कराये जाने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-34- श्री महबूब आलम

श्री महबूब आलम: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :-

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रतिमाह डेढ़ करोड़ रू0 की आय देने वाला बारसोई जंक्शन को मॉडल जंक्शन बनाने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री: महोदय, बारसोई जंक्शन को मॉडल जंक्शन बनाने के लिए राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-35-श्री नन्द कुमार राय

श्री नन्द कुमार राय: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीपुर को रेफरल अस्पताल का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री तेजप्रताप यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीपुर को 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेफरल अस्पताल के ही बराबर होती है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नन्द कुमार राय: सभापति महोदय, मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां एन0एच0 28 है और बगल में मोतीपुर है, वहां बराबर एक्सीडेंट होता रहता है इसलिए आग्रह के साथ है कि इसके बेड को बढ़ाया जाय और संकल्प वापस लेता हूॅ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 36 (श्री विनोद कुमार सिंह)

श्री विनोद कुमार सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अन्तर्गत खरसौता पंचायत के हांसोपाड़ा घाट पर पुल का निर्माण शीघ्र करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बसावट हांसोपाड़ा को निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरे तरफ से बसावट पहाड़पुर एवं अलिहारपुर को निर्माणाधीन पथों से सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । पहाड़पुर गांव स्थित साईं मंदिर पुल स्थल पर कोई भी बसावट नहीं रहने के कारण इसे कोई कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विनोद कुमार सिंह: सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सेतु योजना को भी समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत नाला को और चापाकल, सड़क बगैरह बगैरह को भी समाप्त कर दिया गया है तो आखिर में कैसे यह संकल्प वापस लिया जायेगा । ये निर्माण कराना आवश्यक है, बहुत बड़ा पुल है, बहुत सारा आबादी प्रभावित हो रहा है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): वापस लीजिये ।

श्री विनोद कुमार सिंह: वापस लेने का तो कोई रास्ता ही नहीं रहा । सभापति महोदय एक मेरा सुझाव है और सुझाव के साथ अपना संकल्प वापस लेंगे, सदन के अन्दर में माननीय सदस्य गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो प्रस्ताव दिये हैं, उन सारे प्रस्तावों को शून्यकाल के जैसा जैसे आज सब की स्वीकृति दी गयी थी और पढ़ा हुआ मान लिया गया था इसी प्रकार पढ़ा हुआ मानकर सारे प्रस्तावों को स्वीकृत कर के उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-37-श्री रणधीर कुमार सोनी

श्री रणधीर कुमार सोनी: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह क्यूल गया रेलखंड में शेखपुरा जिला अन्तर्गत शेखपुरा आढ़ा पी0डब्लू0डी0 पथ पटेल चौक रेलवे क्रॉसिंग पर ओभर ब्रिज निर्माण के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री: महोदय, क्यूल गया रेल खंड में शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा आढ़ा पी0डब्लू0डी0 पथ पटेल चौक रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओभर ब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-18/मधुप/31.03.2017

क्रमांक- 38 : श्री सुनील कुमार(क्षेत्र सं0-28)

श्री सुनील कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बंद पड़े सभी राजकीय नलकूपों को अतिशीघ्र चालू करावे ।''

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 30 राजकीय नलकूप हैं । वर्त्तमान में 19 राजकीय नलकूप चालू हैं तथा 2 नलकूपों पर कार्य प्रगति पर है, 2 अदद नलकूप विद्युत दोष से तथा 3 अदद नलकूप संयुक्त दोष से बंद हैं । 4 अदद नलकूप असफल हैं जिसे चालू कराना संभव नहीं है । संयुक्त दोष से बंद 3 अदद नलकूप के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार कराया गया है । निधि उपलब्धता के आधार पर चालू कराने की कार्रवाई की जायेगी । विद्युत दोष से बंद 2 अदद नलकूपों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत दोष दूर किये जाने के पश्चात् इसे चालू करा दिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने का कष्ट करेंगे ।

श्री सुनील कुमार : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करते हुये अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ ।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि 19 नलकूप चालू हैं, चालू तो हैं लेकिन उनका जो अधिग्रहण क्षेत्र हैं, जितने जमीन में पटवन होना चाहिये, नाला की खराबी के कारण या अन्य दूसरी गड़बड़ी के कारण उतना पटवन नहीं हो पाता है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में पटवन का दूसरा कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है । इसलिये जो नलकूप हमारे यहाँ बंद हैं, उसको भी चालू करा दिया जाय और इन सबमें जहाँ नाला की कमी है या अन्य कारणों से बंद हैं, उनको ठीक कराकर चालू करा दिया जाय ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुनील कुमार : मंत्री महोदय के आश्वासन के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक- 39 : श्री राजेन्द्र कुमार

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकोलिया प्रखंड के मथुरापुर पंचायत में प्रखंड कोटवा सिवान से मथुरापुर चौक एवं मथुरापुर जानकी सिंह स्कूल होते हुए कुशहर लाल बाबू चौधरी के घर तक सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ मथुरापुर चौक से जानकी सिंह विद्यालय होते हुये कुशहर लाल बाबू चौधरी के घर तक पथ की लम्बाई 1.4 कि0मी0 है, जो आंशिक कच्ची एवं ईंटकृत है । यह पथ राज्य के किसी भी कोर-नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । वर्त्तमान में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 रोड कोटवा-मोतिहारी पथ से मथुरापुर पथ प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से कुशहर लाल बाबू चौधरी का घर एवं मथुरापुर चौक को सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगा । अभिस्तावित पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, दूसरे प्रखंड से तुरकोलिया प्रखंड को यह रोड जोड़ती है । इसलिये हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि इस पथ को प्राथमिकता प्रदान कर इसका निर्माण कराया जाय ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : इसको तो हम सम्पर्कता दे ही रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार : दे ही रहे हैं लेकिन कोटवा प्रखंड से तुरकोलिया प्रखंड को यह जोड़ती है, इसलिये प्राथमिकता प्रदान करते हुये हम आग्रह करेंगे कि उस सड़क का निर्माण कराया जाय । इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक- 41 : श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम</u>

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह देश में सबसे अधिक सी-फेयरर वाले राज्य बिहार में मर्केंटाईल मैरीन डिपार्टमेंट (एम0एम0डी0) की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से पहल करे ।''

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : महोदय, अभी विभाग के पास फिलहाल कोई इस तरह का प्रस्ताव मर्केंटाईल मैरीन डिपार्टमेंट की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, विचाराधीन नहीं है । फिर भी, माननीय सदस्या का कहना है कि बिहार के हित की बात है तो इन सारे विषयों पर हमलोग समीक्षा करके पुनः इसपर विचार करेंगे ।

इसलिये माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : महोदय, सी-फेयरर की संख्या देश में सबसे अधिक बिहार में है परन्तु यहाँ मर्केंटाईल मैरीन डिपार्टमेंट की शाखा नहीं रहने के कारण उन्हें परीक्षा, नवीकरण, विस्तार आदि के लिये मुम्बई, कोलकता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोचीन, कंडाला, नोयडा जाना पड़ता है । डायरेक्टर जेनरल, शिपिंग द्वारा मर्केंटाईल मैरीन डिपार्टमेंट की एक नई शाखा खोले जाने पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है । यहाँ सी-फेयरर की संख्या को देखते हुये बिहार सरकार केन्द्र सरकार से पहल कर एम0एम0डी0 की शाखा बिहार में खोलवाये । यही मेरा अनुरोध है । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक- 43 : श्री रवि ज्योति कुमार

श्री रवि ज्योति कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला अंतर्गत पड़ने वाली संपर्क पथ (दुर्गापुर, गिरियक प्रखंड से शेरपुर एन0एच0-82 तक) को स्टेट हाईवे करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प सह पठित ज्ञापांक 935(एस) दिनांक 07.2.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति द्वारा फिजिबलिटी रिपोर्ट के आधार पर समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा । समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार करना संभव होगा। इस पथ का अधिग्रहण वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रवि ज्योति कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक- 44 : श्री सुरेश कुमार शर्मा

श्री सुरेश कुमार शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजरफ्फरपुर जिला के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड -13 सिकंदरपुर स्थित श्मशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करावे ।''

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में शवदाह गृह का निर्माण, जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा एक नीति प्रारूप तैयार की जा रही है। नीति प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के

पश्चात् स्वीकृत नीति के अनुरूप राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शवदाह गृह का निर्माण कराया जायेगा ।

अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा : सभापति महोदय, हमने यह कहा है कि वहाँ पर विद्युत शवदाह गृह बनाया जाय चूंकि लकड़ी का अभाव है और लकड़ी नहीं मिलने से गरीब लोग दाह-संस्कार नहीं कर पाते हैं, शव को ऐसे ही पानी में फेंक देते हैं तो इसपर विचार सरकार करके इसको बनाने की कृपा करे । इसके साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 45 : श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0 224)

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में तिवारी बिगहा के पास माल गोदाम के निकट रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा करे ।''

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत रफीगंज प्रखंड में तिवारी बिगहा के पास माल गोदाम के निकट आर0ओ0बी0 का निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : धन्यवाद ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक- 47 : श्री सुरेन्द्र कुमार

श्री सुरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई प्रखंड अंतर्गत बाबा भैरव स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करावे ।''

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री : महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न पर्यटकीय महत्व के स्थलों के विकास के लिये एक रोडमैप का निर्माण किया जा रहा है । तदोपरांत समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से विभिन्न स्थलों में पर्यटकीय सुविधा का निर्माण किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 48 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार नीरज ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 49 : श्री राणा रणधीर

श्री राणा रणधीर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड के गड़हिया गाँव में इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल को जोड़ने वाली पथ कोर-नेटवर्क में नहीं है । पुल के दोनों तरफ कच्ची सड़क है जिसपर कोई आबादी नहीं है । पुल स्थल के अप-स्ट्रीम में 8 कि0मी0 पर पुल निर्मित है एवं डाउन-स्ट्रीम में 4 कि0मी0 की दूरी पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल निर्माण कार्य निर्माणाधीन है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राणा रणधीर : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ लेकिन मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वर्षों से इब्राहिमपुर घाट पर पुल निर्माण की माँग होती रही है । मंत्री जी इसपर विचार करें, सरकार विचार करके इसको कोर-नेटवर्क में शामिल करे ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-19/आजाद/31.03.2017

क्रमांक- 50 : श्री गिरिधारी यादव

श्री गिरिधारी यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक लगावे । ''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, राज्य के सरकारी चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु वित्त विभाग द्वारा मार्च, 2000 में राज्य के सभी सरकारी चिकित्सकों को दिनांक 1 अप्रील,2001 के प्रभाव से नन्-प्रैक्टिस भत्ता की स्वीकृति दी गई थी । सरकारी चिकित्सकों को अपने निजी/प्राईवेट प्रैक्टिस को बन्द कराने पर ही भरपाई के रूप में उक्त भत्ते की स्वीकृति दी गई थी । परन्तु राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के बावजूद यह पाया गया कि अधिकांश चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा निजी/ प्राईवेट प्रैक्टिस को जारी रखा गया । फलस्वरूप नन्-प्रैक्टिस भत्ता देने का मूल उद्देश्य ही विफल हो

जाने के कारण वित्त विभाग द्वारा दी गई नन्-प्रैक्टिस भत्ता की सुविधा को दिनांक 1 मार्च,2001 के प्रभाव से समाप्त कर दी गई है । कार्यालय अवधि में डॉक्टरों को अस्पताल में रहने का निर्देश है । जो डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं , उनपर कार्रवाई की जाती है । अभी तक 100 से अधिक डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है । पुनः इसे लागू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री गिरिधारी यादव : माननीय सभापति महोदय, जिस समय डॉक्टर लोग अस्पताल में रहते हैं, उनके पुर्जा पर उसी समय का समय अंकित रहता है कि इतने समय से इतने समय तक प्राईवेट प्रैक्टिस करेंगे । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि सरकार इसपर और गंभीरता से विचार करे और जो डॉक्टर ड्यूटी के समय प्राईवेट प्रैक्टिस करें, उसपर सरकार रोक लगावे ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 51 : श्री वृज किशोर विन्द

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 52 : श्री राम बालक सिंह

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : श्री रामदेव राय को अधिकृत किया गया था ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 53 : श्री फराज फातमी

श्री फराज फातमी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड में आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण करावे । ''

श्री विजय प्रकाश,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रत्येक अनाछादित अनुमंडल में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाछादित जिला मुख्यालय में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि केवटी प्रखंड, दरभंगा जिला के दरभंगा सदर अनुमंडल अन्तर्गत पड़ता है, जहां पूर्व से ही दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नम्बर-1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,दरभंगा में स्थापित है । इसके अतिरिक्त विरौल अनुमंडल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विरौल में स्थापना की गई है और वित्तीय वर्ष 2017-18 में बेनीपुर अनुमंडल के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,बेनीपुर में स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दरभंगा जिला के सभी अनुमंडलों में प्रखंड के योग्य युवक/युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करने का पात्र हैं । वर्तमान में उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री फराज फातमी : सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लूंगा लेकिन मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री जी को आपके तरफ से देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले कल में सरकार इसके बारे में सोचें कि हरेक प्रखंड में आई0टी0आई0 कॉलेज खोलवाने की कृपा करें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 54 : श्री सरफराज आलम

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 55 : श्री संजय कुमार सिंह

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 56 : श्री संजय सरावगी

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा शहर के रेलवे क्रासिंग नं0-21 (लहेरियासराय चट्टी चौक) एवं क्रासिंग नं0-26 (दरभंगा म्यूजियम के पास) पर रेल ओवरब्रीज, जिसकी सहमति राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों से मिली हुई है, उसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर निर्माण करावे । ''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : महोदय, दरभंगा शहर के रेलवे क्रॉसिंग नम्बर-21 (एल0सी0 नम्बर-21) लहेरियासराय टावर से चट्टी चौक होते हुए फेकला पथ एवं एल0सी0 नम्बर-26 दरभंगा यार्ड, म्यूजियम के पास रेल ओवरब्रीज हेतु 50-50 कौस्ट शेयर की सहमति राज्य सरकार के द्वारा रेलवे को दी जा चुकी है ।

दिनांक 21.03.2017 को रेलवे एवं राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सभी आर0ओ0बी0 (पहुँच पथ सहित) का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से कराया जायेगा । रेलवे से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री संजय सरावगी : ऐसे एक विशेष सूचना मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ कि क्रॉसिंग नं0-26 जो है, जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी माननीय रेल मंत्री थे, उस समय एक जगह उन्होंने कई पुलों का शिलान्यास किया था, उसमें इसका भी शिलान्यास किया था । मैं विशेष सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि जरा व्यक्तिगत रूप से इसपर गंभीरता से देखिये क्योंकि 2005 में ही 26 नम्बर का जो है, उस समय के तत्कालीन माननीय रेल मंत्री जी ने शिलान्यास किया था .....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : जवाब तो माननीय मंत्री जी सकारात्मक दिये हैं, आप धन्यवाद के साथ प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री संजय सरावगी : ठीक है सर, वापस लेता हूँ लेकिन माननीय मंत्री जी इसको जल्द से जल्द बनवा दें ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 57 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ी दयाल रेफरल अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना करावे । ''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ी दयाल में एक नवसृजित अनुमंडलीय अस्पताल है जो वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्यरत है । पकड़ीदयाल में अनुमंडलीय अस्पताल पूर्ण रूप से कार्यरत होने के पश्चात् वहां बल्ड स्टोरेज की स्थापना कर दी जायेगी । इसके अतिरिक्त जिला के अनुमंडलीय अस्पताल, चकिया एवं अरेराज में ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना हेतु कार्रवाई की जायेगी।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले महीना पकड़ीदयाल में जो घटना घटी सर, अगर पकड़ीदयाल में ब्लड बैंक रहता तो इसमें से एक-दो आदमी बच सकते थे । इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वहां पर ब्लड बैंक बनाने का कृपा करें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 58 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा स्थित दारोगा राय चौक से लेकर ब्रह्मपुर पुल तक सड़क एवं नाली का निर्माण अतिशीघ्र प्रारंभ करे । ''

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, वर्णित सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकार, एन0एच0आई0 के अधीन है । यह नगर विकास विभाग से संबंधित नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है छपरा दो भागों में बंटा हुआ है पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग । पूर्वी भाग का यह काम नाली बनने का हो चुका है । पश्चिमी भाग दारोगा राय चौक से ब्रह्मपुर तक जाता है, अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : यह एन0एच0आई0 का रोड है, नगर विकास विभाग का नहीं है ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-59 : श्री अशोक कुमार सिंह

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-20/अंजनी/दि0 31.03.2017

क्रमांक-61 : श्री सुबोध राय

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला में पर्यटन के विकास हेतु शाहकुंड के गिरवरनाथ पहाड़ी का घेराबंदी करते हुए सौंदर्यीकरण कार्य करावे ।"

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर से सूचना की मांग की गयी है जो अप्राप्त है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबोध राय : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबोध राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-62 : श्री हरिनारायण सिंह

श्री हरिनारायण सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर भाया बिहारशरीफ, नूरसराय, दनियावॉ होते फतुहा तक रेलवे लाईन पर परिचालित रेलगाड़ी का परिचालन पटना जंक्शन तक विस्तारित करने हेतु रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।"

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत भाया बिहारशरीफ, नूरसराय, दनियावां होते हुए फतुहा तक रेलवे लाईन पर परिचालित रेलगाड़ी का परिचालन पटना जंक्शन तक विस्तारित करने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-64 : श्री भोला यादव

श्री भोला यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत हनुमाननगर प्रखंड के रतनपुरा त्रिमुहान के पास बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल पर नदी की चौड़ाई 200 मीटर है, इस स्थल के एक तरफ रतनपुरा गांव अवस्थित है, जिसको एम0एन0जी0एस0वाई0 से निर्मित रतनपुरा से तेंदुआ पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित स्थल के दूसरी तरफ हनुमाननगर त्रिमुहान गांव है, जिसको सम्पर्कता प्रदान करने हेतु राज्य कोर नेट वर्क में पथ प्रस्तावित है । अभिस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम में पांच किलोमीटर पर पुल से निर्मित है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, वे बता रहे हैं कि उस स्थल पर पुल की आवश्यकता नहीं है, वहां से 9 किलोमीटर की दूरी पर पुल है और वहां पुल बन जाने से गाय घाट विधान सभा का पूरा क्षेत्र कनेक्ट हो जाता है, कल्याणपुर जो समस्तीपुर का पोरशन है, वह उस पुल से कनेक्ट हो जाता है और इसके साथ-ही-साथ दरभंगा जिला का हनुमाननगर प्रखंड का मैक्सिमम इलाका कनेक्ट हो

जाता है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उस जगह पर पुल की अतिआवश्यकता है, वहां पुल बनावें, मैं अपने इस आग्रह के साथ प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री भोला यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-67 : श्री सुबेदार दास

श्री सुबेदार दास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड स्थित कुमंडी ककरिया मुख्य पथ से झारखंडी स्थान से ग्राम ढाव तक लिंक रोड का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 100 से 250 आबादी वाले राज्य के 47 प्रखंडों के बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने का नया मापदंड बनाया गया है । मखदुमपुर प्रखंड भी उसी नये मापदंड में शामिल है । उमास में कुबड्डी ककरिया मुख्य पथ से झारखंडी स्थान से ग्राम ढाव तक पथ की मैपिंग की कार्रवाई की जा रही है। स्वीकृतोपरांत कार्य कराया जायेगा । वर्णित स्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबेदार दास: सभापति महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबेदार दास जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-68 : श्री मिथिलेश तिवारी

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज के एन0एच0-28 बरहिमा मोड़ से सलेमपुर घाट-गंडक नदी-पूर्वी चम्पारण जिले के गोविन्दगंज-अरेराज-मोतीहारी एन0एच0-28ए को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय उच्च पथ में शामिल करते हुए इस मार्ग में गंडक नदी पर पुल निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।"

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा गोपालगंज-अरेराज-सुगौली तथा अरेराज-मोतीहारी तक सड़क को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उस सैद्धांतिक स्वीकृति के आलोक में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कनस्लटेंट की नियुक्ति के लिए निविदा प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डी0पी0आर0 में गंडक नदी पर पुल का निर्माण भी शामिल होगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, प्रस्ताव पूर्ण स्वीकृत हो गया माननीय मंत्री जी । महोदय, केन्द्र सरकार को अनुशंसा करना है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सैद्धांतिक रूप से हो गया तो मतलब हो गया है और पुल भी शामिल है इसमें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-69 : श्रीमती सावित्री देवी

श्रीमती सावित्री देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला के सोनो प्रखंड के अंतर्गत बटिया घाटी में जनहित में चिरैन पुल के बगल में एक अतिरिक्त पुल का निर्माण करावे ।"

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-333 के किलोमीटर 112वें में बटिया घाटी में अवस्थित है । यह पुल तीखा मोड़ एवं अत्याधिक ढ़लान पर अवस्थित होने के साथ-साथ संकीर्ण भी है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है । वस्तुस्थिति को देखते हुए उक्त पुल के बगल में उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराने का निर्देश मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर को दिया गया है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती सावित्री देवी : सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती सावित्री देवी जी का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-70 : श्री रामचन्द्र सहनी

श्री रामचन्द्र सहनी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड-रामगढ़वा अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत सड़क एन0एच0-28ए नरीरगीर चौक से बैरिया होते हुए आर्यानगर तक अधूरे सड़क के निर्माण कार्य को अविलम्ब पूरा करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 9.47 किलोमीटर है, पथ के निर्माण हेतु संवेदक से एकरारनामा किया गया था । संवेदक द्वारा अधूरे कार्य को अप्रील, 2017 तक पूर्ण करने का शपथ-पत्र दिया गया है । वर्त्तमान में पथ में ग्रेड-2 का कार्य प्रगति पर है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र सहनी : सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र सहनी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-71 : श्री अनिल सिंह

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या पर रोक का कार्यक्रम प्रभावी हो, इसके लिए पंचायत चुनावों में दो बच्चे से अधिक के माता/पिता को चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान करे ।"

श्री कपिल देव कामत, मंत्री : महोदय, वर्त्तमान में पंचायत चुनाव में दो बच्चों से अधिक के माता/पिता को चुनाव लड़ने पर रोकने के संबंध में बिहार पंचायती राज अधिनियम,2006 में कोई संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, नगर निकाय चुनाव में राज्य सरकार के द्वारा यह व्यवस्था 2008 से लागू है । इसके लिए हमें समझ में ऐसी बात आती है कि पंचायत में भी इसकी आवश्यकता है । बिहार राज्य सर्वाधिक घनत्व वाले राज्यों में से एक है, जहां भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत दर 17.04 रही, वहीं बिहार में 25.07 है महोदय । बिहार सरकार जब निकाय चुनाव में इसको प्रभावी तरीके से लागू करा रही है तो मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि पंचायत चुनाव में भी उसको प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए प्रस्ताव या इसके लिए अगर नियमावली में संशोधन करना पड़े, बनाना पड़े तो माननीय मंत्री महोदय बनायें । जनसंख्या नियंत्रण करना अनिवार्य है महोदय, वरन् विस्फोटक स्थिति होगी बिहार की, इसलिए आग्रह होगा कि इसे लागू करायें । इसी सुझाव के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-21/शंभु/31.03.17

क्रमांक-72-श्री जनार्दन मांझी

श्री जनार्दन मांझी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बाँका जिलान्तर्गत अमरपुर प्रखंड में 90 वर्ष पूर्व बने अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरामा के जर्जर भवन की मरम्मति करावे।''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत अमरपुर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरामा का भवन जर्जर हालत में है। मरम्मति हेतु प्राक्कलन की मांग की गयी है। राशि उपलब्ध होने पर भवन की मरम्मति करा दी जायेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री जनार्दन मांझी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-73-श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के ग्राम पंचायत दुलारे के ग्राम जगदीशपुर के पास बटाने नदी पर पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पुल एन0एच0 139 से निकलकर जगदीशपुर गोहा तक जानेवाली पथ में है, जो पी0एम0जी0एस0वाइ0 से निर्मित है।

एन0एच0 139 के बाद बटाने नदी है जिसपर पुल नहीं है। जगदीशपुर को एकल संपर्कता प्रदत्त है। राज्य के सभी बसावटों को वर्तमान में एकल संपर्कता प्रदान करने का विभाग का लक्ष्य है। अतः पुल का निर्माण विचाराधीन नहीं है। वर्णित परिस्थितियों में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, ये जो दुलारे पंचायत है काफी नक्सल प्रभावित इलाका है। वहां पास के एक गांव में कोबरा बटालियन स्थापित हुआ है नक्सल प्रभावित इलाकों पर अंकुश के लिए- ये पुल इतना महत्वपूर्ण है दुलारे पंचायत में तो मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि इसकी सेंसेटिविटी को देखते हुए इस पुल पर निकट भविष्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-74-श्री मो0 तौसीफ आलम

श्री मो0 तौसीफ आलमः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के चन्दवार पंचायत के ढोलमनी में कनकई नदी में 10 वर्षों से ध्वस्त पुल का नवनिर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्मित पथ एल0आर0पी0के0 चन्दवार पथ, पैकेज सं0-बी0आर018801 में ढोलमनी धार पर अवस्थित है। उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए डी0पी0आर0 मिसिंग ब्रिज के अधीन एन0आर0आर0डी0ए0 नयी दिल्ली को स्वीकृति हेतु समर्पित है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री मो0 तौसीफ आलम : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, 8 पंचायत प्रभावित है। मैं आग्रह करूँगा कि जल्दी से जल्दी वह काम करवा लें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-75-श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत आरा-सासाराम मेन रोड (एस0एच0-12) से किनो-डिहरी से दुबे डिहरा होते हुए रेपुरा तक सड़क का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत आरा सासाराम मेन रोड एस0एच0 12 से किनो डिहरी से दुबे डिहरा होते हुए रेपुरा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस पथ का डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है।

प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया जा सकेगा। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक-76-सुश्री पुनम कुमारी ऊर्फ पुनम पासवान

सुश्री पुनम कुमारी ऊर्फ पुनम पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के प्रखंड- कोढा के ग्राम पंचायत राजवाडा की आबादी 24000 है, जिसे विभक्त कर ग्राम पंचायत चॉपी का निर्माण करावे।''

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : महोदय, बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा-127 में प्रावधान किया गया है कि जब तक 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 2011 की जनगणना पर विनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण करे। वर्ष 2016 के पंचायत आम चुनाव वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर गठित पुराने निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में कोई परिवर्तन किये बिना वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कराया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2021 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन होने तक राज्य में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन का विचार नहीं रखती है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

सुश्री पुनम कुमारी ऊर्फ पुनम पासवान : सभापति महोदय, वह जो हमारा पंचायत है रजवारा कोढा प्रखंड में....मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-77-श्री उपेन्द्र पासवान

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक (10+2) विद्यालय शकरपुरा के मैदान में स्टेडियम का निर्माण करावे।''

श्री शिवचन्द राम,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास येजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक-एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का लक्ष्य है। बेगुसराय जिला के बखरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजकीयकृत उच्च माध्यमिक टेन प्लस टू शकरपुरा के मैदान में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी बेगुसराय से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक 314, दिनांक 09.03.2017 के द्वारा की गयी है। जिला पदाधिकारी बेगुसराय से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् निर्विवाद सरकारी भूमि विभागीय मानक के अनुसार प्राप्त होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री उपेन्द्र पासवान : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-78-श्री राजकुमार राय

श्री राजकुमार राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखंड के करेह नदी पर फुहिया घाट पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल पी0एम0जी0एस0वाइ0 बैच-2 के तहत प्रस्तावित पथ एल 45 से सलहाचन्दन पथ के 1900 मी0 पर अवस्थित है। पथ का डी0पी0आर0 एस0टी0ए0 से अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पुल का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। जिसे एस0टी0ए0 से अनुमोदन के उपरांत भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित की जायेगी। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री राजकुमार राय : धन्यवाद महोदय, वापस लेता हूं।

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न-22/अशोक/31.03.2017

क्रमांक-79-श्री नरेन्द्र नारायण यादव

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज के अधीन एनएच-106 मधैली से मधैलीगोठ, बलिया,बालाटोला (पश्चिम टोला) रौता, बथनाहा, पी.एम.जी.एस.वाई. पथ तक जाने वाली क्षतिग्रस्त मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पथ की शीघ्र मरम्मति करावे ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 7.10 कि.मी. है, उक्त पथ कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, उक्त पाथ के पाचं वर्ष अनुरक्षण

अवधि मार्च,15 में समाप्त हो चुका हैं, उक्त पथ श्रेणी-2 अंतर्गत है इसकी मरम्मति का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय सभापति महोदय, यह पथ तीन प्रखंड को जोड़ती है, छः गांवों को जोड़ती है और जो अनुरक्षण मद की सूची है उसमें भी यह सम्मिलित है और आवागमन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जर्जर हो गयी है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में, जो 2017-18 आने वाला है, इसकी मरम्मति करावे, इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80-श्री चन्द्रसेन प्रसाद

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत खुदागंज पावर ग्रीड (एस.एच.-71 के 34.00 कि.मी.)से दाहापर तक (बड़ीमढ-मुड़ॉव-देवरिया) पथ के 18 वें कि.मी. भाया-बरदाहा-नारायणपुर- मीना बाजार-हरसौनी कुल लम्बाई 15.00 कि.मी. सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग से करावे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : संकल्पाधीन पथ वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है । ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प ज्ञापांक-935(एस) दिनांक 07.02.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति द्वारा फिजिविलिटी रिपोर्ट के आधार पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायगा । समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा ।

वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाक-81- श्री सुधीर कुमार

श्री सुधीर कुमारः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला के सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र के खैरा प्रखंडान्तर्गत गिद्धेश्वर स्थान जहॉ पौराणिक कथा के अनुसार रामायणकाली में सीताहरण के समय गिद्धराज जटायू रावण से युद्ध किए थे, को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर नागरिक सुविधा उपलब्ध करावे ।"

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी जमुई ने अपने पत्रांक 38 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जमुई जिला के खैरा प्रखंड अन्तर्गत गिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर का प्रांगण चहारदिवारी से घिरा है, अतिथिशाला आदि उपलब्ध है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लिया जाय ।

श्री सुधीर कुमार : इसको फिर से दिखलवा लिया जाय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-82- श्री फैयाज अहमद

श्री फैयाज अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के दरभंगा जिला मुख्यालय में एक 'एम्स' की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे।"

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में एक और एम्स की स्थापना हेतु जिला का चयन कर सूचित करने का अनुरोध किया गया है । भारत सरकार से सूचना प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे संकल्प को वापस ले लें ।

श्री फैयाज अहमदः मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-84- श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत के केशोवन के समीप कोहड़ा नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल केशोवन के निकट कोहड़ा नदी पर पुल निर्माण से संबंधित हैं, जो ग्रामीण कार्य विभाग के कच्ची पथ के रेखांकन पर है परन्तु यह पथ पी.एम.जी.एस.वाई कोर नेटवर्क अथवा ग्राम टोला सम्पर्क निश्चय योजना की सूची में नहीं है । नदी के किनारे पर केशोवन स्थल है जिसमें दो कि.मी. की दूरी पर परसा हरिजन टोला एवं 2.9 कि.मी. की दूरी पर परसा गांव है, परसा से परसा

हरिजन टोला के बीच का पथ ग्राम्य टोला सम्पर्क निश्चय योजना में लिया जा चुका है, जिसका बसावट क्रमांक- 5669 है, परसा हरिजन टोला के केशोवन तक का पथ है, कच्ची है तथा इस बीच में बसावट नहीं है । नदी के दूसरे छोर पर से 1.30 कि.मी. की दूरी पर सिकहरिया ग्राम हैं जिसे निर्मित पी.एम.जी.एस.वाई पथ है । बैठहनिया से सिकरीया से सम्पकर्ता प्राप्त है, नदी के दूसरी छोर से सिकहरिया तक पथ की लम्बाई 1.3 कि.मी. जो कच्ची है तथा इसमें बसावट नहीं है, बसावट नहीं रहने के चलते परसा हरिजन टोला से चिकहनिया तक के पथ को किसी भी कोर नेटवर्क में नहीं लिया जा सका है । अतः अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण विचाराधीन नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मदन मोहन तिवारी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85-श्रीमती अमिता भूषण

श्रीमती अमिता भूषण: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किसान हित में बेगूसराय जिला के बेगूसराय विधान सभा क्षेत्र में फूड प्रॉसेसिंग यूनिट की स्थापना करावे ।"

श्री जय शंकर सिंह, मंत्री : राज्य सरकार की नीति खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करने की रही है, जिसके आलोक में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 में भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित कया गया है तथा खाद्य प्रसंस्करण की परियोजना को प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है ।

निर्धारित नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वयं उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है, अपितु उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु निवेशकों को प्रोत्साहन किया जाता है ।

बेगूसराय जिला के बेगूसराय विधान-सभा क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती अमिता भूषण : महोदय, मैं आग्रह करना चाहती हूँ अगर सरकार के समक्ष नये कोई प्रस्ताव आये तो इसको प्राथमिकता के साथ विचार करे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-86-श्री प्रमोद कुमार

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी प्रखंड के झिटकहीया गाँव के निकट तिलावे नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पी.एम.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत निर्मित मोतिहारी छौड़ादानो तिरौलिया रोड से छिटकहिया पथ पर अवस्थित है, पी.एम.जी.एस. वाई. योजनान्तर्गत पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया गया है, स्वीकृतिपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार : स्वीकारात्मक जवाब के साथ मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-87-श्री प्रह्लाद यादव

श्री प्रह्लाद यादवः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के लखीसराय स्टेशन के दक्षिण पथ निर्माण विभाग के सड़क पर स्थित धोबीघाट एवं किउल स्टेशन धनबह पथ के बीच किउल नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

टर्न-23/ज्योति

31-03-2017

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अभिस्ताव में निहित लख्खीसराय रेलवे के दक्षिण स्थित घोबीघाट के करीब डेढ़ कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में एन0एच0- 80 में पुल बना हुआ है जिससे आवागमन सुचारु रुप से चालू है । धोबीघाट एवं क्यूल स्टेशन धनबह पथ के बीच क्यूल नदी पर पुल निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह सिर्फ कर सकता हूँ । वापस तो ले ही लूंगा । ऐसी बात नहीं है दो प्रखण्ड है, एक सूर्यगढ़ा प्रखंड है, एक चानन प्रखंड है सूर्यगढ़ा प्रखंड में 28 पंचायत हैं और चानन में दस पंचायत हैं, सब मिला करके 38 पंचायत है और ये जो जवाब मिला है वह एन0एच0 80 का तो बिल्कुल उल्टा है चूंकि सब की सहूलियत के लिए यह अगर पुल बन जाता है तो निश्चित रुप से यह पूरे दोनों

प्रखंड को जोड़ेगा और आम अवाम के मुख्यालय तक आने में बड़ी सुविधा होगी इसलिए माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करुंगा कि भविष्य में इस बात के लिए निश्चित रुप से सोचेंगे । इतना ही कह कर मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : देखवा लेते हैं आपसे मिलकर जिस हिसाब से जरुरत होगा उस आधार पर कार्रवाई करेंगे ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक-89-श्री राम विलाश पासवान

सभापति (डा0 अशोक कुमार): श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव अधिकृत हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के मथुरापुर से खानपुर, सबलपुर होते हुए दौलतपुर ग्राम तक जाने वाली सड़क का जनहित में निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित मथुरापुर से खानपुर सबलपुर होते हुए दौलतपुर ग्राम तक जाने वाली सड़क के सभी बसावट 12 मासी पथों से जुड़े हुए है । मथुरापुर एनर0एच0 80 से खानपुर एन0बी0सी0सी0 द्वारा निर्मित एन0एच0 80 से महरपुर पथ से सबलपुर एन.बी.सी.सी. द्वारा निर्मित महपुर चौक से 03 दौलतपुर सिंहानी पथ से तथा दौलतपुर एम0एम0जी0एस0वाय0 अंतर्गत निर्मित पथ से जुड़ा हुआ है प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आग्रह किया है कि सबलपुर जो गांव तरफ जाती है वहाँ तक कनेक्टिवीटी सम्पर्कता प्रदान नहीं की गयी है तो माननीय मंत्री से अनुरोध है आपके माध्यम से कि इसको देखवा लें और इसी के साथ हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक-90 श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव

श्री श्यामबाबू यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत जमुनिया पंचायत धनौती नदी के खैरीडीह पर जनहित में पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल राज्य के कोर नेट वर्क में सम्मिलित मार्ग रेखन पर नहीं है । स्थल के एक तरफ लगभग 500 मीटर की दूर पर खैरीमल ग्राम है तथा दूसरी तरफ 500 मीटर की दूरी पर कस्बा ग्राम है । खैरीमल ग्राम एवं कस्बा ग्राम

को अलग अलग पी.एम.जी.एस.वाई. निर्मित पथों से सम्पर्कता प्राप्त है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्यामबाबू यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह पुल जो है तीन अनुमंडल को जोड़ता है । मैं आग्रह करुंगा मंत्री जी से उसको कोर नेट वर्क में लेकर काम कराने की कृपा करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक -91 - श्री मनोहर प्रसाद सिंह

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान अधिकृत हैं ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के प्रखंड कार्यालय अमदाबाद से चौकिया पहाड़पुर तक पक्की सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विश्व बैंक में अमदाबाद बाजार से चौकिया पहाड़पुर भाया भरत टोला के नाम से चयनित है उक्त पथ की लम्बाई 8.730 कि0मी0 है । उक्त पथ का डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । स्वीकृति के पश्चात इसपर कार्रवाई की जा सकेगी अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ मंत्री जी को कि डी.पी. आर. तैयार करवा रहे हैं फिर भी हम चाहते हैं चूँकि वह बिहार का बहुत पिछड़ा हिस्सा है बरसात तक अगर हो जाय तो वहाँ कम से कम समझिये कि उस पंचायत में 14 पंचायत प्रभावित हैं अगर जल्द करवा दिया जाय ताकि वहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा हो अतः मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक -92-श्री राहुल तिवारी

श्री राहुल तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड शाहपुर के लक्षुटोला पंचायत के लक्षु टोला ग्राम के धरमावती नदी पर पुलिया का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अस्वीकारात्मक है । अभिस्ताव पुल राज्य कोर नेटवर्क में नहीं हैं । नदी के एक तरफ अभिस्तावित पुल स्थल रैयती जमीन लगतार लगभग दो कि0मी0 तक है । लक्षुटोला ग्राम को एक तरफ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहोरनपुर से लक्षुटोला ग्राम पथ के द्वारा सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है अतः पुल का निर्माण

विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राहुल तिवारी: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक-93-श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित हाऊसिंग बोर्ड की जमीन पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना करावे । ''

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज उक्त जमीन पर बनाने के लिए समाहर्ता से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी । समाहर्ता से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है । विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ आभार प्रगट करता हूँ लेकिन सभापति महोदय, मेरा जो सवाल है हाऊसिंग बोर्ड की जमीन में यह तो नगर विकास विभाग से आता है । उनको अनुमति देना है तो हम चाहेंगे कि वो बोल देंगे तब मेरा संकल्प हो पायेगा । मेरा सवाल है कि हाऊसिंग बोर्ड की जमीन पर खोला जाय यह तो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): हाऊसिंग बोर्ड की जमीन पर खोलने का विचार किया जाय यही आपका संकल्प है ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन: इसलिए सदन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि मेरा हस्तांतरित कर दिया जाय । मुझे जवाब मिल जायेगा ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): ठीक है इसको अलग से करियेगा ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : मेरे इस बात को विचार करते हुए गंभीरता से विचार किया जाय इन्हीं बातों के साथ अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमाँक-94-श्री भाई वीरेन्द्र

श्री भाई वीरेन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आई.जी.आई. एम.एस.,पटना (एम.बी.बी.एस. कोर्स) की तर्ज पर राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इन्टर्नसीप कर रहे छात्रों(एम.बी.बी.एस.कोर्स) को स्कॉलरशीप का भुगतान 12500/- रुपये प्रतिमाह की जगह 18000/- प्रतिमाह करावे । ''

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : सभापति महोदय, राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के इन्टर्नशीप कर रहे छात्रों की छात्रवृति समय समय पर बढ़ा दी जाती है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, 12500 से 18000 ही मैंने कहा है इसलिए माननीय मंत्री जी कहे कि समय समय पर बढ़ेगा मैं इस आश्वासन के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

मंत्री जी का दो और बचा है और उनको कहीं जाना है तो दो हमलोग पहले ले लेते हैं ।

क्रमॉक -101-श्री रामप्रीत पासवान

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के प्रखंड अन्धराठाढ़ी में रेफरल अस्पताल जर्जर हो गया है, का नया भवन निर्माण करावे।''

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के प्रखंड अन्धराठाढ़ी स्थित रेफरल अस्पताल का भवन जर्जर होने के कारण चिकित्सा कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्धराठाढ़ी के भवन में किया जा रहा है । जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन के निर्माण हेतु प्राक्कलन की मांग की गयी है । राशि उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण कराया जायेगा अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ एक आग्रह के साथ जितना जल्दी हो सके इस रेफरल अस्पताल को बनाने की कृपा करेंगे । वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जगह बहुत कम है और चार प्रखंड का रेफरल अस्पताल है तो मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि जितना जल्दी हो सके उसको बना देने की कृपा करेंगे । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-24/31.3.2017/बिपिन

क्रमांक-126-श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एवं अनुमोदित अस्पतालों में एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण इन्टर्नशीप कर रहे छात्रों को आई.जी.आई.एम.एस., पटना के तर्ज पर स्कॉलरशिप का भुगतान बारह हजार पॉच सौ रूपये प्रतिमाह के स्थान पर पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह करावे ।''

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के इन्टर्नशीप कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति समय-समय पर बढ़ाई जाती है ।

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे संकल्प को वापस ले लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: सभापति महोदय, राज्य में जब इंटर्नशीप कर रहे सभी छात्र समान हैं तो यह दोहरा इंटर्नशीप के लिए जो स्कॉलरशीप दिया जाता है, यह उचित नही है । कहीं-न-कहीं यह छात्र महसूस करते हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें । इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-95-श्री आबिदुर रहमान

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के पोखरिया पंचायत अंतर्गत बकरा नदी पर बड़े पुल का निर्माण यथाशीघ्र करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ के बसावटों को पी.एम.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत निर्मित पथ पचौली सीमा से अबू टोला से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ के बसावटों को अररिया प्रखंड के राज्य कोर नेटवर्क के क्रम संख्या-83 में सम्मिलित पोखरिया के दियारी बानडोभ पथ के निर्माण से संपर्कता प्राप्त हो जाएगी । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री आबिदुर रहमान: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-96-श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के रेलवे लाईन के दक्षिण निवास करने वाली आबादी के आवागमन हेतु पहाड़पुर स्टेशन के पश्चिम रेलवे पार पथ पर जनहित में ओवरब्रिज का निर्माण करावे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: महोदय, संकल्पाधीन रेलवे क्रॉसिंग बलुआ पहाड़पुर एम.डी. आर. पथ के 26 वें कि.मी. पर अवस्थित है । रेलवे समपारों पर ट्रेन वैहिकिल यूनिट टी. वी.यू. एक लाख से अधिक होने पर ही रेलवे द्वारा आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु कार्रवाई की जाती है तथा राज्य सरकार से आर.ओ.बी. के निर्माण एवं फिफ्टी परसेंट कॉस्ट शेयर

करने का अनुरोध किया जाता है । इस आर.ओ.बी. के निर्माण एवं इसमें अनुमानित कॉस्ट शेयर करने का अनुरोध पथ निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । रेलवे से निर्माण एवं कॉस्ट शेयर हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : वापस लेता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-97-श्री रविन्द्र यादव

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): अनुपस्थित ।

क्रमांक-98-श्री सत्यदेव राम

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महाभारत काल के महान पुरूष एकलव्य का जन्मस्थली, सिवान जिलान्तर्गत प्रखंड दरौली, ग्राम-कुकरभोका, जहॉ आज भी उनके घर का खंडहर मौजूद है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करावे ।''

श्रीमती अनिता देवी,मंत्री: महोदय, जिला पदाधिकारी, सीवान ने प्रतिवेदित किया है कि दरौली प्रखंड स्थित ग्राम कुकरभोका के स्थानीय लोग द्वारा जनश्रुति के आधार पर इसे महाभारतकालीन पात्र एकलव्य का जन्मस्थली बताया जाता है । बताए गए स्थल पर स्थानीय लोग द्वारा घर बना लिया गया है तथा कोई खंडहर उपलब्ध नहीं है । उक्त स्थल की ऐतिहासिकता के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जांच हेतु लिखा गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सत्यदेव रामः सभापति महोदय, आज भी जो महाभारत में वर्णित है उसके अनुसार द्रोणाचार्य का खंडहर बहुत विशाल रूप में आज भी खड़ा है और उससे चार से पांच किलोमीटर की दूरी पर एकलव्य का भी छोटा-सा खंडहर आज भी है । जो माननीय मंत्री जी को जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दिया है, मैं उसे चुनौती देता हूं और इसके साथ पुनः माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उसकी गहन जांच कराकर और उसको पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए । इसके साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-99-श्री मेवालाल चौधरी

श्री मेवालाल चौधरी : अनुपस्थित ।

क्रमांक-100-श्री विद्यासागर केशरी

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): श्री विद्यासागर केशरी द्वारा श्री रामप्रीत पासवान को अधिकृत किया गया है । माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान संकल्प प्रस्तुत करें ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के सैफगंज पंचायत के स्टेट हाईवे से सटे सड़क जो ठाकुरबाड़ी होते हुए बहरदार टोला, मुस्लिम टोला से सैफगंज चौक से दास टोला होते हुए मंडल टोला तक जाती है, का पक्कीकरण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ के सभी बसावटों को राज्य कोर नेटवर्क के सी.एन.सी.पी.एल. के क्रमांक 25 पर अंकित पथ परवाहा से मंडल टोला के निर्माण से संपर्कता प्राप्त हो जाएगी । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि के उपलब्धता के आधार पर उक्त पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री रामप्रीत पासवान: सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि वह कच्ची सड़क है । उसको निश्चित रूप से पक्कीकरण करा दें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-104-श्री समीर कुमार महासेठ</u>

श्री समीर कुमार महासेठ: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संजय गॉधी स्टेडियम, गर्दनीबाग (गर्दनीबाग एथलेटिक क्लब) में मिट्टी भराई एवं जल निकासी की व्यवस्था कर फुटबॉल खेल के लिए कर्णांकित करावे ।''

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री: सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक-एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का लक्ष्य है । मिट्टी भराई एवं जल निकासी से संबंधित कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस प्रकार क्रिकेट के लिए मोइनुल हक स्टेडियम कर्णांकित किया गया, फुटबॉल के लिए पटना में एक भी नहीं है । हमारा उसमें छूट गया है । माननीय मंत्रीजी फुटबॉल खेल के लिए कर्णांकित करावें, स्पेसियलाइज्ड फॉर फुटबॉल, यह हमारा डिमांड है । तो हम चाहेंगे कि उसपर विशेष ध्यान देकर, चूंकि पटना में एक भी फुटबॉल का नहीं है और यह महत्वपूर्ण है, इसलिए इस आशय के साथ कि मंत्रीजी उसको कर्णांकित कराकर के फुटबॉल के लिए फुटबॉल प्रेमी के लिए करें और इसलिए हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव से वापस हुआ ।

क्रमांक–105–श्री राजू तिवारी

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज अनुमंडल के मलाही से चटिया दियर होते हुए गोपालगंज –बेतिया को जोड़ने वाली पथ में चांदसी यादव के घर के पास पुल का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ 500 मीटर की दूरी पर कोतराहा गांव है । पुल स्थल से कोतराहा गांव तक पथ कच्ची है । कोतराहा गांव दूसरी तरफ से पक्की सड़क से एस.एच. से जुड़ा है । पुल स्थल की दूसरी तरफ 3.4 कि.मी. तक पथ कच्ची है जो मझरिया गांव तक जाती है । इस मार्ग रेखन में पुल स्थल से 400 मीटर की दूरी पर चटिया दियर है । यह मार्ग रेखन के किसी भी कोर नेटवर्क में स्वीकृत नहीं है। मझरिया गांव को पक्की सड़क से संपकर्ता प्राप्त है । अत: पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न : 25/कृष्ण/31.03.2017

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि प0 चम्पारण जैसे गोपालगंज से जुड़ गया है अगर यह पुल बन जायेगा, 3.5 किलोमीटर रास्ता बन जायेगा तो पूर्वी चम्पारण से यह रोड जुड़ जायेगा । यह आग्रह करते हुये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री राजू तिवारी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–106–श्री अमरनाथ गामी

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

क्रमांक–107–श्री बशिष्ठ सिंह

श्री बशिष्ठ सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कुछिला थानान्तर्गत कैमूर जिला के गांव को कैमूर जिला के थाना से जोड़ते हुये कुछिला एवं गारा पंचायत के गांवों को कुछिला थाना अंतर्गत कर, कुछिला थाना को कैमूर से रोहतास जिला में स्थानान्तरण करावे । ''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : सभापति महोदय, कुछिला थाना के कुछिला एवं गारा पंचायत कैमूर जिला के अस्तित्व में आने के पूर्व रामगढ़ प्रखंड के क्षेत्र के अन्तर्गत थे, 1991 में कैमूर जिला के सृजन के उपरांत उपरोक्त दोनों पंचायत को रोहतास जिला के कोचस प्रखंड में समाहित किया गया । दिनांक 09.09.1997 को रामगढ़ प्रखंड को विभाजित कर के नुआंव प्रखंड का सृजन किया गया ।

उपरोक्त कुछिला एवं गारा पंचायत नुआंव प्रखंड क्षेत्र में समाहित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 27.09.2002 को पारित आदेश के आलोक में पुनः उक्त दोनों पंचायत को रोहतास जिला के कोचस प्रखंड में समाहित किया गया । उस समय से उपरोक्त दोनों पंचायतों का राजस्व संग्रह रोहतास जिला से होता है । पुलिस नियंत्रण कैमूर से होता था । इस कारण विशेष चुनाव के दौरान सिविल प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय में काफी कठिनाई होती थी । इस के बाद गृह विभाग की अधिसूचना संख्या–2 थाना 10/12/16 गृह आरक्षी 234,पटना दिनांक 12.01.17 द्वारा कुछिला एवं गारा पंचायत कुल 13 गांवों को रोहतास जिला के कोचस थानान्तर्गत कर दिया गया । इस के बाद वर्तमान में कुछिला थाना क्षेत्र में अब दो पंचायत नोखा और कोटा बचा हुआ है । उपरोक्त दोनों पंचायत में कुल 14 गांव पड़ते हैं, जिस में मुखड़ा पंचायत में मुखड़ा–1 एवं मुखड़ा–2 अहरौली, लक्ष्मणपुर, बलियारी, छावनी, कछोरा एवं बसमिसिया तथा कोटा पंचायत में ग्रम कोटा, बरूना, चंदौल, गायचक, चंदौली, गौरा सरोजपुर, थाहपुर और चौबिसपुर अवस्थित है ।

उल्लेखनीय है कि कुछिला थाना का भवन कुछिला मौजा में अवस्थित है जो अब रोहतास जिला के कोचस थाना क्षेत्र में चला गया है । बचे हुये दो पंचायत मुखड़ा और कोटा के सारे गांव कैमूर जिला कुढ़नी थाना के 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । कुढ़नी थाना मात्र दो पंचायत का थाना है ।

विदित हो कि कुछिला थाना का नामकरण भी कुछिला गांव के नाम से था, जो अब कोचस थाना में चला गया है कुछिला थाना के बचे दो पंचायत जो कुढ़नी थाना में समायोजित करने, कुछिला थाना को विलोपित करने संबंधी जिला पदाधिकारी,कैमूर (भभुआ) के ज्ञपांक 144/सा0 दिनांक 03.02.2017 को संबंधित प्रस्ताव पर विभागीय ज्ञापांक 1683 दिनांक 27.02.2017 द्वारा पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना से मंतव्य सहित प्रस्ताव की मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री बशिष्ठ सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा इतना ही आग्रह है कि कुछिला थाना रोहतास जिला में अवस्थित है, थाना बना हुआ है, पहले से थाना रहा है, उस को रोहतास में रखा जाय और अस्तित्व में रखते हुये रोहतास जिला के गारा पंचायत, कुछिला

पंचायत, सरेया पंचायत उसमें जोड़ दिया जाय और थाना को अस्तित्व में रखा जाय । मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेताा हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा.स0 श्री बशिष्ठ सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ

क्रमांक–110–श्रीमती पूर्णिमा यादव

श्रीमती पूर्णिमा यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि
वह नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड एवं गोबिन्दपुर प्रखंड के सकरी नदी पर गोसांई बिगहा–ओहारी के निकट पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित पथ प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित है जो ओमास में क्रमांक 4 पर नवादा कुंद सड़क के सकरी नदी पर पुल नाम से अंकित है । डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है, स्वीकृति क उपरांत कार्य करा दिया जायेगा । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापल लें।

श्रीमती पूर्णिमा यादव : सभापति महोदय, आम जनता को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुये अतिशीघ्र बनवाने के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा. सदस्या श्रीमती पूर्णिमा यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–111–श्री विनोद प्रसाद यादव

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि
वह गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत, शेरघाटी, जिस की आबादी लगभग वर्तमान में 60 हजार है, उसे नगर परिषद् का दर्जा दे ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : सभापति महोदय, अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–4352 दिनांक 06.07.2016 एवं पत्रांक 6168 दिनांक 08.09.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी,गया से ग्राम पंचायत को नगर पंचायत के रूप में गठित करने तथा वर्तमान में नगर निकायों को वृहद् नगर निकायों में उत्क्रमित किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो आज तक अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, सरकार का निर्णय है कि 40 हजार से ऊपर की जनसंख्या रखने वाले ग्राम पंचायत को नगर परिषद् बनाया जायेगा तो मैं मंत्री महोदय से केवल आग्रह करना चाहता हूं कि इस में 60 हजार से अधिक जनसंख्या है, उस के अधीनस्थ गया जिला में मात्र एक नगर निगम और 3 नगर पंचायत है । शेरघाटी राज्य का

सबसे बड़ा अनुमंडल है । इसलिए मुख्यालय का नगर पंचायत होने के कारण अतिशीघ्र प्रतिवेदन मंगवा लें और उस को नगर परिषद् का दर्जा देने की कृपा करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : माननीय मंत्री आश्वासन दे देंगे तो वह रेकर्ड पर आ जायेगा ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : हो जायेगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : माननीय मंत्री के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री विनोद प्रसाद यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-112-श्री निरंजन राम

श्री निरंजन नाम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया बस स्टैंड को शहर में व्याप्त सडक जाम को दूर करने हेतु शहर के बाहरी छोर पर स्थानान्तरित करावे ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मोहनिया शहर में बस स्टैंड के लिये सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है । मोहनिया शहर से बाहर बस पड़ाव स्थानान्तरित करने हेतु एन0एच0-02 पर कुदरा की तरफ 5 से 7 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन उपलब्ध होने पर विधि सम्मत् निर्णय लिया जायेगा ।

श्री निरंजन राम : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने जिस तरफ जमीन का जिक्र किया है वहां पर जमीन है, आप प्रयास करेंगे तो जमीन मिल जायेगी । अगर मोहनिया बस स्टैंड शहर से बाहर चला जायेगा तो मोहनिया शहर के लिये बहुत अच्छा होगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री निरंजन राम जी का प्रस्ताव वापस हुआ

क्रमांक-113-डा0 रामानुज प्रसाद

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत सबलपुर पूर्वी पंचायत के चहारम ग्राम के सिगदेव घाट से पटना जिलान्तर्गत रानी घाट तक गंगा नदी में पीपा पुल का निर्माण करावे ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : सभापति महोदय, संकल्पाधीन पीपा पुल स्थल रानी घाट पूरब डाउन स्ट्रीम में 1.5 कि0मी0 पर गाय घाट में एवं 14.5 कि0मी0 में कच्ची दरगाह पीपा पुल है । साथ ही, पूरब तरफ 1.5 कि0मी0 की दूरी पर महात्मा गांधी सेतु से भी वाहनों

का आवागमन चालू है । पश्चिम तरफ अप स्ट्रीम में 8 कि0 मी0 पर दीघा घाट में रेल-सह-सडक पुल के पहुंच पथ का निर्माण पूरा होनेवाला है । इस के अतिरिक्त 10 कि0 मी0 पर दानापुर में पीपा पुल निर्मित एवं कार्यरत है ।

अत: वर्तमान में संकल्पाधीन पीपा पुल निर्माण का प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न-26/राजेश/31.3.17

श्री रामानुज प्रसाद: सभापति महोदय, मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से आग्रह करुंगा कि जहाँ मैं पीपा पुल का मांग कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी नाव डूबने से 25 लोगों की जानें गयी, हमलोगों ने देखा पतंग महोत्सव के समय और इसके पूर्व छठ में भी इसतरह की घटना हो चुकी है, तो मेरा कहना है कि यह न सिर्फ सबलपुर या सोनपुर प्रखंड के लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने वाला होगा बल्कि पटना के लोगों का भी छठ के अवसर पर अभी पतंग महोत्सव में जो लोग जाते हैं गंगा पार करके, उसको बहुत बड़ा एक साधन मिलेगा, इसलिए मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ये पुन: विचार करें और यह जो दूरी बतायी जा रही है, तो मैं यह कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि यह जो डेढ़ किलोमीटर है, वह गंडक नदी बीच में आ जाती है, वह वैशाली जिले में पड़ता है, यह मैं सारण सोनपुर के बीच मांग रहा हूँ और यह 14 किलोमीटर जो है, वह भी यहाँ से दूर है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप-मुख्यमंत्री: महोदय, हमने आपके रिकोमेंडेशन पर कई पुलों का हमने स्वीकृति दी है और कई पुल बन भी रहे हैं, पहलेजा में भी पीपा पुल बन रहा है और कई छोटे-मोटे आर0सी0सी0 पुल हैं, उसका भी निर्माण कराया जा रहा है और दीघा वाला जब बन जायेगा, तो यह भी आप ही के क्षेत्र में आता है, तो उसका भी उपयोग होगा, तो आगे देखा जायेगा जरुरत के अनुसार, इसलिए आग्रह है कि अभी आप अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री रामानुज प्रसाद: माननीय उप-मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-116-श्री जय वर्द्धन यादव</u>

श्री जय वर्द्धन यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के समदा एवं ग्राम बहादुरगंज के बीच पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित स्थल के अप स्टीम में 6 कि0मी0 की दूरी पर एवं डाउन स्टीम के 4 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व से ही पुल निर्मित है । ग्राम समदा को समदा गौसगंज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ की संपर्कता प्राप्त है । बहादुरगंज को पाली किंजर पथ से बहादुरगंज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है । अत: विस्थापित पुल का निर्माण विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री जय वर्द्धन यादव: सभापति महोदय, आपके माध्यम से केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि समदा मेला हमारे यहाँ एक पौराणिक मेला है, उसका अपना एक पौराणिक महत्व है और साथ में जिस पुल का प्रस्ताव दिया जा रहा है, वह एन0एच-10 और एस0एच00 को जोड़ेगा और पालीगंज का जो दक्षिणी भाग है, उसके पूर्वी भाग का जुड़ाव होगा इस पुल के निर्माण से, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसपर विचार रखेंगे, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री जय वर्द्धन यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-117- श्री दिनेश चन्द्र यादव</u>

श्री दिनेश चन्द्र यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलानतर्गत बनमा इटहरी एवं सलखुआ प्रखंड को जोड़ने वाली बनमा ढ़ाला (पी0डब्लू0डी0 पथ) से कोपड़िया (एस0एच0-95) भाया-हथरा पॉच किलोमीटर सम्पर्क पथ का पथ निर्माण विभाग अधिगृहित कर निर्माण कराये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री: महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत बनमा ढ़ाला (पी0डब्लू0डी0 पथ) से कोपड़िया (एस0एच0-95) भाया-हथरा पथ की कुल लंबाई 5.00 कि0मी0 है । इस पथ का बनमा ढ़ाला से हथरा तक 3.00 कि0मी0 पथांश जिला परिषद सहरसा के अधीन एवं हथरा से कोपरिया (एस0एच0-95) तक 2.00 कि0मी0 पथांश ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है ।

ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प ज्ञापांक-935 (एस) दिनांक 7.2.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति द्वारा फिजिविलिटी रिर्पोट के आधार पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा । समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अग्रेतर कार्रवाई किया जायेगा ।

वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री दिनेश चन्द्र यादवः सभापति महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रुप से कहा है कि मापदंड में यह होगा, तो करेंगे लेकिन इनका जो संकल्प निकला हुआ है विभाग का, उसके कंडिका-4 के (11) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सड़क एन0एच0 को एन0एच0 से जोड़ती है, जो सड़क एन0एच0 से एस0एच0 को जोड़ती है, जो पथ निर्माण विभाग को एस0एच0 से जोड़ती है, तो उसको हम करायेंगे, लेकिन जिलापरिषद् की सड़क है, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र जिलापरिषद् ने दे दिया है और बाकी जो दो किलोमीटर सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की है, अगर सड़क अधिग्रहण हो जायेगा, जब उसमें अनापत्ति आयेगी, तब वह बनेगा, यह तो शुरु से इसी तरह से चला आ रहा है, यह बात सही है कि माननीय नंदकिशोर बाबू ने बहुत सारा काम किया था, इसलिए हम उनको धन्यवाद पहले दिये थे, इसलिए हम आग्रह करेंगे उप-मुख्यमंत्री जी से, यह नियम के तहत आता है, तो अगर ये कर देंगे, तो इन्हें भी जश जायेगा, अगर ये करेंगे तो इनको तो लोग धन्यवाद देंगे ही, लेकिन 5 कि0मी0 सड़क अधिग्रहित नहीं हो रहा है तो यह भी तो दुखद है, इसलिए हम यह प्रस्ताव वापस करते हैं, इस आग्रह के साथ कि इसको जल्द आप करा दें, यह आप ही का संपर्क पथ होगा पी0डब्लू0डी0 से एस.एच.-95 इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री दिनेश चन्द्र यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-124- श्री जिवेश कुमार</u>

श्री जिवेश कुमारः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा-समस्तीपुर एस0एच0 विशनपुर चौक से निकलकर अतरवेल-जाले होते हुए घोघराहा चौक एस0एच0 52 (मधुबनी-सीतामढ़ी) पर मिलने वाली एस0एच0 97 का जाले शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण करावें ।''

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, राज्य उच्च पथ सं0-97 (विशनपुर-अतरबेल-जाले-घोराचट्टी पथ) का डी0पी0आर0 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 समस्तीपुर के पर्यवेक्षण में तैयार कराया जा रहा है ।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) सम्पोषण से 788 कि0मी0 के कुल 14 राज्य उच्च पथों के 2-लेन मानक संरचना के अनुरुप निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु समर्पित प्रस्ताव को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (DEA) के Screening Committee ने 500 million US dollars के ऋण हेतु अपनी अनुशंसा के साथ ADB को अग्रेत्तर

कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है, जिसमें राज्य उच्च पथ सं0-97 भी शामिल है । DPR परामर्शी के सर्वेक्षण के फलाफल पर जाले में आवश्यकतानुसार बाईपास का प्रावधान किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, जाले की स्थिति जाम के संबंध में बहुत खराब है हुजूर, रोज वहॉ जाम लगा रहता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करुंगा कि उसकी वस्तुस्थिति का आक्कलन ये करा दें, पहले भी इसका सर्वे करके डी0पी0आर0 बना था, उसको मानते हुए वहॉ बाईपास बनवा दें, इस आश्वासन के साथ कि जरुर माननीय मंत्री जी इसको करवा देंगे, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति: सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

क्रमांक-118- श्री विनय वर्मा

श्री विनय वर्मा: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बिनवलिया पंचायत के मझरीया गॉव से मनवा परसी पंचायत तक जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 10 किलोमीटर है, जो आर0ई0ओ0 की पुरानी क्षतिग्रस्त पथ है, यह पथ न तो स्टेट कोरनेट वर्क के सी0ओ0पी0एल0 में है और न ही मरम्मति श्रेणी-1 में ही शामिल है । सम्प्रति इस पथ की मरम्मति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकलप को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय वर्मा: महोदय, माननीय मंत्री जी यह सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है, इसको काइंडली देखा जायेगा, मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री विनय वर्मा जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-27/सत्येन्द्र/31-3-17

क्रमांक-119-श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अचमित ऋषिदेव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के रानीगंज एवं भरगामा प्रखंड को मिलाकर रानीगंज अनुमंडल की स्थापना करावे ।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, राज्य के जिला, अनुमंडल, अंचल, प्रखंड के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-532 दिनांक 7-4-2016 के द्वारा मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है जिसके सदस्य माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग तथा मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हैं । प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प पुनर्गठित मंत्री समूह के विचारार्थ रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह वापस हुआ ।

क्रमांक-120-श्री रामदेव राय

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड स्थित भगवानपुर संजात सड़क जर्जर होकर गड्ढे में तब्दील होने से सामान्य आवागमन पर गहरा असर पड़ा है, प्राथमिकता के आधार पर उसका जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ की लम्बाई 7.5 कि0मी0 है जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा दिनांक 15-3-2013 को पूर्ण किया गया है । केन्द्रीय एजेंसी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सड़क में भारी वाहन के दबाव के कारण आंशिक जगहों पर गड्ढे हो गये हैं । संवेदक को मरम्मति कार्य हेतु निर्देशित किया गया है । मरम्मति का कार्य 30-4-2017 तक करा लिया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामदेव राय: महोदय, आंशिक रूप से गड्ढे की चर्चा इन्होंने की है जबकि पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है, उसमें एक लोहा का पुल था, वह भी ध्वस्त हो चुका है एक सप्ताह पहले जिसमें दो जख्मी होकर अस्पताल में आज भी भर्त्ती हैं । कोई वाहन वहां नहीं चल पा रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय । ये कहकर नहीं छोड़ा जाय कि यह पी0एम0जी0एस0वाई0 में था और इसका समय नहीं पुरा हुआ है मरम्मति करने के लिए, इसको जबतक आप अपने स्तर से नहीं देखेंगे, यह उत्तर बिहार जाने वाली जो चार पांच जिला को यह सड़क जोड़ती है और वह पूर्ण रूप से बंद है ।

अध्यक्ष: कह रहे हैं कि अपने स्तर से देख लीजियेगा ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : देख लेंगे ।

श्री रामदेव राय: मंत्री जी स्वयं थोड़े ही जायेंगे, मैं तो उनको सूचना दे रहा हूँ कि सारी सड़क जर्जर है, गड्ढे में तब्दील है, आवागमन बंद है जिससे चार पांच जिला का कनेक्शन टूट गया है और जो पुल था वह भी ध्वस्त हो चुका है, अब क्या चाहिए सड़क बंद होने के लिए ।

अध्यक्ष: अभी आपने कहा तो मंत्री जी ने कहा है कि अपने स्तर पर उसकी समीक्षा कर के देख लेंगे ।

श्री रामदेव राय: वापस लेता हूँ, मगर इस अनुरोध के साथ कि...

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-121-श्री नीरज कुमार

श्री नीरज कुमार: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कुरसैला प्रखंड के संगम स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करावे।''

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री: महोदय, बिहार के विभिन्न जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से गांधी सर्किट के रूप में विकसित करने का निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया है । अत: श्रीमान् से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री नीरज कुमार: सकारात्मक उत्तर के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-122-श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि अरवल जिला अन्तर्गत कुर्था विधान-सभा क्षेत्र के बंशी सूर्यपुर प्रखंड के ग्राम बलौरा-खड़ासीन मुख्य पथ (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित) में ग्राम-एकरौंजा के पास दो कट्ठा निजी जमीन, सड़क निर्माण के लिए बाधा बना हुआ है, को अधिग्रहित कर शेष सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित है । खारासीन से बलौरा पथ पैकेज संख्या बी0आर0-14/आर0 420 जिसकी लम्बाई 4.50 कि0मी0 है । ग्राम एकरौंजा के पास 275 मीटर लम्बाई में निजी भूमि रहने के कारण उस भाग में सड़क निर्माण नहीं किया गया है । शेष सड़क कार्य पूर्ण है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में सामान्य तौर पर भूमि अधिग्रहण सतत्

लीज की नई सामान्य नीति नहीं है । निजी जमीन को दान में उपलब्ध कराने का अनुरोध रैयतों से किया जा रहा है । तदनानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री सत्येदव सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और एकरौंजा गांव के दो शातिर आदमी श्री नारायण शर्मा और रामनाथ शर्मा, ये लोग पिछड़ी जाति के गांव में सड़क जाना नहीं देना चाहते हैं और पिछड़ी जाति के लोगों ने अपनी जमीन में पक्की सड़क बनवा लिया है । ये दो आदमी दलित और पिछड़ी जाति के गांव में जो सड़क जा रही है, सामाजिक न्याय की यह सरकार है, इस राज्य में भी समाज विरोधी लोग सरकार विरोधी लोग सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, दो कट्ठा जमीन है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस सड़क के लिए दो कट्ठा जमीन को जबर्दस्ती अधिग्रहित सरकार करे ।

अध्यक्ष: यह सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजिये ।

श्री सत्येदव सिंह: और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-125-श्री सुधांशु शेखर

श्री सुधांशु शेखर: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक-एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का लक्ष्य है । जहां तक मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर प्रखंड में स्टेडियम निर्माण का प्रश्न है के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पीत पत्र संख्या 548 दिनांक 9-5-2016 के आलोक में सरकारी नियमानुसार राज्य में पूर्व से स्वीकृत स्टेडियम निर्माण की योजना को पूर्ण होने पर तथा इसकी उपयोगिता निर्धारण के पश्चात् नये स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुधांशु शेखर: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-128-श्री सुबाष सिंह

श्री सुबाष सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छात्राओं को मिलने वाली पोशाक की राशि को 1000/-रू0 से बढ़ाकर 2000/-रू0 तथा साईकिल की राशि को 2500/-रू0 से बढ़ाकर 4000/-रू0 करे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: देखवा लेंगे महोदय और इस पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री सुबाष सिंह: अध्यक्ष महोदय, काफी समय पूर्व इस राशि का निर्धारण हुआ है । मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि उस पर विचार करते हुए उस राशि को बढ़ाने की कृपा की जाय । यह पूरे बिहार का मामला है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना अन्तर्गत छात्राओं को मिलने वाली पोशाक की राशि को 1000/-रू0 से बढ़ाकर 2000/-रू0 तथा साईकिल योजना की राशि 2500/-रू0 से बढ़ाकर 4000/-रू0 करने का कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: बतलाईए सुभाष जी ।

श्री सुबाष सिंह: हम तो आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि महंगाई को देखते हुए चूंकि केवल हमारे क्षेत्र का ही मामला नहीं है, सब माननीय के क्षेत्र का मामला है, पूरे बिहार का मामला है इसलिए ..

अध्यक्ष: आप सही कह रहे हैं लेकिन प्रस्ताव के बारे में क्या कहना है ?

श्री सुबाष सिंह: वोटिंग करा दिया जाय ।

अध्यक्ष: आप वापस नहीं लेंगे ?

श्री सुबाष सिंह: मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं । वापस ले लेते हैं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से यह वापस हुआ ।

टर्न-28/मधुप/31.03.2017

<u>क्रमांक- 130 : श्री विजय कुमार मंडल</u>

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के कोडेली पश्चिम पार तक पुल सह सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ एवं पुल राज्य कोर-नेटवर्क के क्रमांक-53 पर कोडेली से पैकाकोरी टोला नाम से अंकित पथ से संबंधित है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार मंडल : सर, संकल्प तो वापस ले ही लेंगे लेकिन उसमें आजादी के बाद आज तक.....

अध्यक्ष : ले ही लेंगें - मजबूरी क्यों बताते हैं, च्वॉयस बना लीजिये ।

श्री विजय कुमार मंडल : सर, उसमें काम नहीं हुआ है । हम आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि उसमें काम करावें । प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब गैर-सरकारी संकल्प पर विमर्श समाप्त होगा, इसके पहले किन्हीं माननीय सदस्य का संकल्प छूटा हुआ हो !

श्री रामदेव राय : महोदय, क्रमांक-52 के लिये मैं अधिकृत हूँ ।

अध्यक्ष : क्रमांक-52 तो श्री राम बालक सिंह जी का है ?

श्री रामदेव राय : जी ।

अध्यक्ष : उनका प्राधिकृत करने की कोई सूचना हमारे यहाँ नहीं आयी है ।

श्री रामदेव राय : आपके यहाँ दिया जा चुका है ।

अध्यक्ष : नहीं, यहाँ नहीं आया है । आपने लिखकर दिया है ।

श्री रामदेव राय : मैं तो अलग से लिखकर दिया हूँ ।

अध्यक्ष : राम बालक सिंह जी ने नहीं दिया है ।

श्री रामदेव राय : उसकी प्रति मुझको दी है ।

अध्यक्ष : छोड़ दीजिये न इसको ! उनका पत्र प्राप्त नहीं है सभा सचिवालय को ।

अब गैर-सरकारी संकल्प पर विमर्श समाप्त हुआ ।

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र दिनांक 23 फरवरी, 2017 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-23 बैठकें हुईं ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 23 फरवरी, 2017 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत सदस्यों को सम्बोधित किया गया । चर्तुदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित ''बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने संबंधी महामहिम राष्ट्रपति से प्राप्त संदेश से सदन को अवगत कराया गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार सरकार का वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2) तथा विनियोग लेखे की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गई । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गई । सभा सचिव द्वारा

बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित कुल 06 (छः) विधेयकों में से 05 (पाँच) अनुमत विधेयकों एवं 01 (एक) विधेयक ''आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016'' पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति अप्राप्त रहने की सूचना सदन को दी गई । सत्र के दौरान कुल-09 (नौ) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश हुआ ।

दिनांक 27 फरवरी, 2017 को माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2017 को वाद-विवाद एवं तदुपरान्त माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ ।

दिनांक 02 मार्च, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य विमर्श हुआ एवं दिनांक 03 मार्च, 2017 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग स्वीकृत हुई । शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुईं फिर तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक स्वीकृत हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्मिलित अनुदान की माँगों में से कुल बारह विभागों से संबंधित अनुदान की माँगें दिनांक 06 मार्च से 27 मार्च, 2017 के बीच वाद-विवाद, सरकार के उत्तर एवं मतदान के उपरान्त स्वीकृत हुईं । शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं ।

दिनांक 28.3.2017 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा अधिकाई व्यय विवरणी सदन में उपस्थापित किया गया जिसका व्यवस्थापन दिनांक 30 मार्च, 2017 को हुआ ।

राजकीय विधेयक (1) बिहार विनियोग(संख्या-2)विधेयक,2017, (2) बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017, (3) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2017, (4) बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, (5) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, (6) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, (7) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय विधेयक, 2017 एवं (8) बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 को सदन की स्वीकृति मिली।

इसके अलावा इस सत्र के दौरान सभा ने नियम समिति द्वारा अनुशंसित बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधनों की स्वीकृति प्रदान कर नियमावली में उन्हें अंगीकार किया । आपको यह जानकर प्रसन्नता

होगी कि शायद देश में पहली बार बिहार विधान सभा ने अपनी नियमावली में विश्वास-मत प्रस्ताव पेश करने हेतु अलग से प्रावधान बनाया है ।

सत्र के दौरान कुल-4499 प्रश्न प्राप्त हुए । कुल-3488 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें 33 अल्पसूचित प्रश्न, 3107 तारांकित प्रश्न तथा 348 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 458 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 1083 प्रश्नों के उत्तर सदन पटल पर रखे गये। उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-21, अपृष्ठ प्रश्न 69 एवं 1857 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल-846 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 780 स्वीकृत हुए एवं 66 अस्वीकृत हुए । कुल-296 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 238 स्वीकृत एवं 58 अस्वीकृत हुईं ।

इस सत्र में कुल-493 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 41 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 440 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 12 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र के दौरान कुल-264 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र में प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी की गयी । इस कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जन-मानस के बीच सदन की कार्यवाही को सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है, इसके लिए वे धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं ।

अब आप सबों को वसंत ऋतु की शुभकामनाओं के साथ सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

*****